

निदेशक मण्डल
(दिनांक 20.01.2009)

- अध्यक्ष : श्री सी.एस. राजन
प्रमुख शासन सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक : श्री एम. एल. माथुर
आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर ।
- निदेशक :
1. श्री जे.सी. मोहन्ती
निदेशक, (आर.एस.आर.डी.सी.), परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 2. श्री यदुवेन्द्र माथुर
निदेशक, (आर.एस.आर.डी.सी.),
शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. श्री अभय कुमार
निदेशक, (आर.एस.आर.डी.सी.),
शासन सचिव, वित्त (व्यय) राजस्थान, जयपुर।
 4. श्री पी. के. सक्सेना
निदेशक, (आर.एस.आर.डी.सी.),
शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 5. श्री डी. सी. कटारा
निदेशक, (आर.एस.आर.डी.सी.),
मुख्य अभियन्ता एवं अपर सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।
 6. श्री बी. पी. चौहान
निदेशक, (आर.एस.आर.डी.सी.),
मुख्य अभियन्ता, (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
 7. श्री मनोहर लाल माथुर
प्रबंध निदेशक, (आर.एस.आर.डी.सी.), राजस्थान, जयपुर।
- कम्पनी सचिव : श्री आर. के. सिंघल

टेलीफोन : प्रबन्ध निदेशक : 2709364

महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रन्धक : 2709884, 2709160

ई.पी.ए.बी.एक्स : 2711386 से 2711389

फैक्स : 0141-2711178

पंजीकृत कार्यालय : ःसेतु भवन' झालाना डूंगरी के सामने, जयपुर-आगरा बाईपास, जयपुर-302004

BOARD OF DIRECTORS

(Dated 20-01-2009)

- Chairman : **Shri C.S. Rajan**
Principal Secretary to Govt.,
PWD, Rajasthan, Jaipur
- Managing Director : **Shri M.L. Mathur,**
RSRDC, Jaipur
- Directors**
1. Shri J.C. Mohanty,
Director, RSRDC, Transport Commissioner &
Ex-officio, Secretary to Govt. Transport Deptt.
Rajasthan, Jaipur
 2. Shri Yaduvendra Mathur, Director, RSRDC),
Secretary to Govt., Planning Deptt., Rajasthan, Jaipur
 3. Shri Abhay Kumar, Director, RSRDC
Secretary to Govt., Finance (Exp.) Deptt.
 4. Shri P.K. Saxena, Director, RSRDC,
Secretary to Govt., PWD, Rajasthan, Jaipur
 5. Shri D.C. Katara, Director, RSRDC
Chief Engineer cum Addl. Secy., PWD Rajasthan, Jaipur
 6. Shri B.P. Chauhan, Director, RSRDC,
Chief Eingeer (Building), PWD, Rajasthan, Jaipur
 7. Shri Manohar Lal Mathur
(Managing Director), RSRDC, Jaipur
- Company Secretary : **Shri R. K. Singhal**

Telephone : Managing Director : 2709364

General Manager / Chief Project Manager : 2709884, 2709160

EPABX : 2711386 to 2711389

FAX : 0141-2711178

Reg. Office : Setu Bhawan, Opp. Jhalana Doongri, Agra Bye Pass, Jaipur-302 004

अनुक्रमणिका

वार्षिक साधारण सभा का नोटिस	6
निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति	16
निदेशकों का प्रतिवेदन	20
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	32
तुलन-पत्र	52
लाभ एवं हानि लेखा	54
अनुसूचियां	56
तुलन पत्र सार एवं निगम की सामान्य व्यापार रूप रेखा	86
नकद प्रवाह	88
लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर उत्तर	90
सी.ए.जी. की टिप्पणी	102

CONTENTS

Notice	7
Compositon of Audit Committee of Directors	17
Director's Report	21
Auditor's Report	33
Balance Sheet	53
Profit & Loss Account	55
Schedules	57
Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile	87
Cash Flow Statement	89
Replies to Auditor's Report	91
Comments of the Comptroller & Auditor General of India	103

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड**(राजस्थान सरकार का उपक्रम)****पंजीकृत कार्यालय : सेतु भवन, झालाना डूंगरी के सामने, जयपुर-आगरा बाईपास, जयपुर - 302 004**

संख्या : डी-4(36)/22005-17

दिनांक 19.01.09

समस्त अंशधारक,

निदेशक एवं अन्य (पीछे पृष्ठ की अनुसूची के अनुसार)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंशधारकों/सदस्यों की आठवीं (और आगे स्थगित) वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, दिनांक 20 जनवरी, 2009 को प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. के कक्ष (संख्या 140, उत्तर-पश्चिम (एस.एस.ओ.) में 10.30 बजे (प्रातः) निम्नलिखित कारोबार सम्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

विचार करना एवं यदि उचित समझा गया तो, निम्नलिखित संकल्पों को उपान्तरणों सहित या रहित, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना

साधारण कारोबार के रूप में :

1. 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि लेखों, तथा उस दिनांक को यथास्थिति तुलन-पत्र, उस पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन एवं अंशधारकों/सदस्यों को निदेशकों का प्रतिवेदन प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं उसे अंगीकृत करना।
2. लाभांश की घोषणा के लिए।

बोर्ड की आज्ञा से

स्थान : जयपुर

दिनांक : 19.01.09

ह/-

(आर.के. सिंघल)

कम्पनी सचिव

नोट :

1. बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य है, स्वयं के बदले किसी मतदान में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए अधिकृत है तथा उस परोक्षी को कॉरपोरेशन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रोक्सियाँ निगम द्वारा बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए। प्रोक्सी का प्रारूप संलग्न है।
2. तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, उस पर कानूनी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा अंशधारकों को निदेशकों का प्रतिवेदन संलग्न है। **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ भी संलग्न हैं।** कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए (4) के अधीन यथा अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति का गठन संलग्न है।

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Rajasthan Undertaking)

Regd. Office : Setu Bhawan, Opp. Jhalana Doongri, Jaipur-Agra Bye Pass Jaipur-302004

No. : D-4 (36)/22005-17

Date : 19/01/09

To All the Shareholders,
Directors & Others, (As per the list overleaf)

NOTICE

Notice is hereby given that the Eight (Further Adjourned) Annual General Meeting of the Shareholders / Members of the Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Limited will be held on Tuesday the 20th day of January 2009 in the Chamber of Principal Secretary to Govt. PWD (Room No. 140, North-West (SSO), Building) Govt. Secretariat, Jaipur at 10.30 AM to transact the following businesses.

TO CONSIDER IF THOUGHT FIT TO PASS WITH OR WITHOUT MODIFICATIONS THE FOLLOWING RESOLUTIONS AS ORDINARY RESOLUTIONS**As Ordinary Business :**

1. To receive, consider and adopt the Audited Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2008 and the Balance Sheet as on that date, Auditors Report thereon and the report of the Director to the Shareholders/Members.
2. To declare dividend

By order of the board

Place : Jaipur
Dated : 19/10/09

Sd/-
(R.K. Singhal)
Company Secretary

Note :

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Corporation. Proxies in order to be effective must be received by the Corporation not less than 48 hours before the meeting. Format of proxy is enclosed.
2. Balance Sheet, profit and loss account together with statutory auditors report thereon and the report of Directors to the Shareholders are enclosed. Comments of Comptroller & Auditor General of India are also enclosed. The composition of the Audit Committee as required U/S 292 A(4) of the Companies Act 1956 is enclosed.

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

कारपोरेशन के सभी माननीय अंशधारकों को प्रस्तुत :-

1. **महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, मार्फत**
श्री प्रकाश टेकवानी, उप सचिव (वित्त-IV), राजस्थान
2. **श्री सी.एस. राजन**
(उपाध्यक्ष एवं अंशधारक), आर.एस.आर.डी.सी.
(प्रमुख शासन सचिव), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. **श्री जे. सी. मोहंती**
(निदेशक एवं अंशधारक), आर.एस.आर.डी.सी.
शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. **श्री यदुवेन्द्र माथुर**
(निदेशक एवं अंशधारक), आर.एस.आर.डी.सी.
शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. **श्री अभय कुमार**
(निदेशक एवं अंशधारक), आर.एस.आर.डी.सी.
शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. **श्री पी. के. सक्सेना**
(निदेशक एवं अंशधारक) आर.एस.आर.डी.सी.
शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. **श्री डी. सी. कटारा**
निदेशक एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी.
मुख्य अभियन्ता एवं अपर सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. **श्री बी. पी. चौहान**
निदेशक एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी.
मुख्य अभियन्ता, (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. **श्री मनोहर लाल माथुर**
प्रबंध निदेशक एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर ।

प्रतिलिपि :-

1. वित्तीय सलाहकार, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर
2. महा प्रबन्धक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर

Submitted to all the respected Shareholders of the Corporation :-

1. **His Excellency the the Governor of Rajasthan**, through
Sh. Prakash Tekwani, Dy. Secretary Finance (Exp. IV)
Govt. of Rajasthan
2. **Shri C. S. Rajan (Chairman and Shareholder)**, RSRDC,
Principal Secretary to Govt., PWD, Rajasthan, Jaipur
3. **Shri J. C. Mohanty, (Director and Shareholder)**, RSRDC,
Secretary to Govt., Transport Deptt., Rajasthan, Jaipur
4. **Shri Yaduvendra Mathur, (Director and Shareholder)**, RSRDC
Secretary to Govt., Planning Deptt., Rajasthan, Jaipur
5. **Shri Abhay Kumar, (Director and Shareholder)**, RSRDC
Secretary to Govt., Finance (Exp.), Rajasthan, Jaipur
6. **Shri P. K. Saxena, (Director and Shareholder)**, RSRDC
Secretary to Govt., PWD, Rajasthan, Jaipur
7. **Shri D. C. Katara, (Director and Shareholder)**, RSRDC
Chief Engineer cum Addl. Secy., PWD, Rajasthan, Jaipur
8. **Shri B. P. Chauhan, (Director and Shareholder)**, RSRDC
Chief Engineer (Building), PWD, Rajasthan, Jaipur
9. **Shri Manohar Lal Mathur**
(Managing Director and Shareholder), RSRDC, Jaipur

Copy to :-

1. Financial Advisor, RSRDC, Jaipur
2. General Manager, RSRDC, Jaipur
3. Chief Project Manager, RSRDC, Jaipur

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : सेतु भवन, झालाना झूंगरी के सामने, जयपुर-आगरा बाईपास, जयपुर - 302 004

संख्या : डी-4(36)/20991-99

दिनांक 23.12.08

समस्त अंशधारक,
निदेशक एवं अन्य (पीछे पृष्ठ की अनुसूची के अनुसार)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंशधारकों/सदस्यों की आठवीं (स्थगित) वार्षिक साधारण सभा बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को निगम के पंजीकृत कार्यालय में 10.30 बजे (प्रातः) निम्नलिखित कारोबार सम्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

विचार करना एवं यदि उचित समझा गया तो, निम्नलिखित संकल्पों को उपान्तरणों सहित या रहित, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना

साधारण कारोबार के रूप में :

1. 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि लेखों, तथा उस दिनांक को यथास्थिति तुलन-पत्र, उस पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन एवं अंशधारकों/सदस्यों को निदेशकों का प्रतिवेदन प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं उसे अंगीकृत करना।
2. लाभांश की घोषणा करना।

बोर्ड की आज्ञा से

स्थान : जयपुर

दिनांक : 23.12.08

ह/-

(आर.के. सिंघल)

कम्पनी सचिव

नोट :

1. बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य स्वयं के बदले मतदान में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए किसी परोक्षी (प्रोक्सी) को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है तथा उस परोक्षी को कॉरपोरेशन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रोक्सियाँ निगम द्वारा बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए। प्रोक्सी का प्रारूप संलग्न है।
2. तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, उस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन, तथा अंशधारकों को निदेशकों का प्रतिवेदन संलग्न है। **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, उन्हें मीटिंग में उपलब्ध करा दिया जाएगा।** कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए (4) के अधीन यथा अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति का गठन संलग्न है।
3. मूल सूचना के साथ अग्रेषित संलग्नक यथावत रहेंगे।

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Rajasthan Undertaking)

Regd. Office : Setu Bhawan, Opp. Jhalana Doongri, Jaipur-Agra Bye Pass Jaipur-302004

No. : D-4 (36)/20991-99

Date : 23/12/08

To All the Shareholders,
Directors & Others, (As per the list overleaf)

NOTICE

Notice is hereby given that the Eight (Adjourned) Annual General Meeting of the Shareholders/ Members of the Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Limited will be held on Wednesday the 31st day of December 2008 at the registered office of the Corporation at the address mentioned above, at 10.30 AM to transact the following businesses.

TO CONSIDER IF THOUGHT FIT TO PASS WITH OR WITHOUT MODIFICATIONS THE FOLLOWING RESOLUTIONS AS ORDINARY RESOLUTIONS**As Ordinary Business :**

1. To receive, consider and adopt the Audited Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2008 and the Balance Sheet as on that date, Auditors Report thereon and the report of the Director to the Shareholders/Members.
2. To declare dividend

By order of the board

Place : Jaipur
Dated : 23/12/08

Sd/-
(R.K. Singhal)
Company Secretary

Note :

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Corporation. Proxies in order to be effective must be received by the Corporation not less than 48 hours before the meeting. Format of proxy is enclosed.
2. Balance Sheet, profit and loss account together with statutory auditors report thereon and the report of Directors to the Shareholders are enclosed. Comments of Comptroller & Auditor General of India are yet to be received hence, shall be provided during the meeting. The composition of the Audit Committee as required U/S 292 A(4) of the Companies Act 1956 is enclosed.
3. The enclosures forwarded with original notice shall remain the same.

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड**(राजस्थान सरकार का उपक्रम)****पंजीकृत कार्यालय : सेतु भवन, झालाना झूंगरी के सामने, जयपुर-आगरा बाईपास, जयपुर - 302 004**

संख्या : डी-4(36)/20127-20142

दिनांक 28.11.08

01.12.08

समस्त अंशधारक,**निदेशक एवं अन्य (पीछे पृष्ठ की अनुसूची के अनुसार)****सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख अंशधारकों/सदस्यों की आठवीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 को उपरि वर्णित पते पर निगम के पंजीकृत कार्यालय में 10.30 बजे (प्रातः) निम्नलिखित कारोबार सम्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

विचार करना एवं यदि उचित समझा गया तो, निम्नलिखित संकल्पों को उपात्तरणों सहित या रहित, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना

साधारण कारोबार के रूप में :

1. 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि लेखों, तथा उस दिनांक को यथास्थिति तुलन-पत्र, उस पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन एवं अंशधारकों/सदस्यों को निदेशकों का प्रतिवेदन प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं उसे अंगीकृत करना ।
2. लाभांश की घोषणा करना ।
3. संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए कानूनी लेखा परीक्षक मैसर्स डी. आर. महनोट एण्ड कम्पनी को संदेय पारिश्रमिक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8) ए ए के अनुसरण में 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष, तथा कस्बे के बाहर लेखा परीक्षा करने के लिए वास्तविक, उचित, पाकेट खर्चे निश्चित हों तथा यह एतद्वारा निश्चित किया जाता है।
यह और संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक बोर्ड को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8) ए ए के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए कानूनी लेखा परीक्षकों को संदेय पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया जाये तथा उन्हें एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
बोर्ड की आज्ञा से

स्थान : जयपुर

दिनांक : 01.12.08

ह/-

(आर.के. सिंघल)

कम्पनी सचिव

नोट :

1. बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य, स्वयं के बदले किसी मतदान में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए अधिकृत है तथा उस परोक्षी को कॉरपोरेशन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रोक्सियाँ निगम द्वारा बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए। प्रोक्सियाँ का प्रारूप संलग्न है।
2. तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, उस पर कानूनी लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तथा अंशधारकों को निदेशकों का प्रतिवेदन संलग्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इन्हें बैठक में उपलब्ध करा दिया जाएगा। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए (4) के अधीन यथा अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति का गठन संलग्न है।

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Rajasthan Undertaking)

Regd. Office : Setu Bhawan, Opp. Jhalana Doongri, Jaipur-Agra Bye Pass Jaipur-302004

No. : D-4 (36)/20127-20142

Date : 28/11/08

01/12/08

To All the Shareholders,
Directors & Others, (As per the list on next page)

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eight Annual General Meeting of the Shareholders/ Members of the Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Limited will be held on Tuesday the 23rd day of December 2008 at the registered office of the Corporation at the address mentioned above, at 10.30 AM to transact the following businesses.

TO CONSIDER IF THOUGHT FIT TO PASS WITH OR WITHOUT MODIFICATIONS THE FOLLOWING RESOLUTIONS AS ORDINARY RESOLUTIONS

As Ordinary Business :

1. To receive, consider and adopt the Audited Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2008 and the Balance Sheet as on that date, Auditors Report thereon and the report of the Director to the Shareholders/Members.
2. To declare dividend
3. RESOLVED that the remuneration payable to Statutory Auditory M/s D.R. Mhnot & Co., Chartered Accountants, Jaipur for the financial year 2007-2008, be and is hereby fixed at Rs. 50,000/- per year and actual, reasonable, out of pocket expenses (for audit out of town) in pursuance to section 224 (8) aa of Companies Act, 1956.

RESOLVED FURTHER that the Board of Diectors of the Corporation be and is hereby authorised to fix the remuneration payable to the Statutory Auditors for financial year 2008-2009 and onwards pursuance to section 224(8) aa of the Companies Act, 1956.

By order of the board

Place : Jaipur
Dated : 28/11/08

Sd/-
(R.K. Singhal)
Company Secretary

Note :

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Corporation. Proxies in order to be effective must be received by the Corporation not less than 48 hours before the meeting. Format of proxy is enclosed.
2. Balance Sheet, profit and loss account together with statutory auditors report thereon and the report of Directors to the Shareholders are enclosed. **Comments of Comptroller & Auditor General of India are yet to be received hence, shall be provided during the meeting.** The composition of the Audit Committee as required U/S 292 A(4) of the Companies Act 1956 is enclosed.

निगम के सभी सम्माननीय व अंशधारकों को प्रस्तुत है :-

1. **महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान**
श्री प्रकाश टेकवानी, उप सचिव (वित्त-IV), राजस्थान सरकार
2. **श्री राजेन्द्र राठौड़**
अध्यक्ष एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी.
मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. **श्री सी. एस. राजन**
उपाध्यक्ष एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी.
प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. **श्री जे. सी. मोहंती**
निदेशक एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी.
परिवहन विभाग एवं पदेन शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. **श्री यदुवेन्द्र माथुर**
निदेशक एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी.
शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. **श्री अभय कुमार**
निदेशक एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी.
शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. **श्री पी. के. सक्सेना**
निदेशक एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी.
शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. **श्री डी. सी. कटारा**
निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.
मुख्य अभियन्ता एवं अपर शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. **श्रीमान् बी. पी. चौहान**
निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.
मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. **श्री रोहित मोदी**
निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.
प्रेसीडेंट, इंडिया ऑपरेशन्स, मैसर्स सुजलोन एनर्जी लि.
11. **श्री पी. पी. पारीक**
निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट, एस. भंडारी एण्ड कं., जयपुर
12. **श्री अरिमर्दन सिंह**
निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (सेवानिवृत्त) नोर्थ वेस्टर्न रेल्वे, जयपुर
13. **श्री मनोहर लाल माथुर**
प्रबंध निदेशक एवं अंशधारक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. वित्तीय सलाहकार, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर
2. महा प्रबन्धक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर

Submitted to all the respected Shareholders of the Corporation :-

1. **His Excellency the the Governor of Rajasthan**, through
Sh. Prakash Tekwani, Dy. Secretary Finance (Exp. IV)
Govt. of Rajasthan
2. **Shriman Rajendra Rathore, (Chairman and Shareholder)**, RSRDC
Hon'ble Minister for Public Works, Deptt., Rajasthan, Jaipur
3. **Shri C. S. Rajan (Vice Chairman and Shareholder)**, RSRDC,
Principal Secretary to Govt., PWD, Rajasthan, Jaipur
4. **Shri J. C. Mohanty, (Director and Shareholder)**, RSRDC,
Transport Commissioner & Ex-Officio
Secretary to Govt., Transport Deptt., Rajasthan, Jaipur
5. **Shri Yaduvendra Mathur, (Director and Shareholder)**, RSRDC
Secretary to Govt., Planning Deptt., Rajasthan, Jaipur
6. **Shri Abhay Kumar, (Director and Shareholder)**, RSRDC
Secretary to Govt., Finance (Exp.) Deptt., Rajasthan, Jaipur
7. **Shri P. K. Saxena, (Director and Shareholder)**, RSRDC
Secretary to Govt., PWD, Rajasthan, Jaipur
8. **Shri D. C. Katara, (Director)**, RSRDC
Chief Engineer cum Addl. Secy., PWD, Rajasthan, Jaipur
9. **Shri B. P. Chauhan, (Director)**, RSRDC
Chief Engineer (Building), PWD, Rajasthan, Jaipur
10. **Shri Rohit Modi, (Director)**, RSRDC
President, India Operations, M/s. Suzlon Energy Ltd.
11. **Shri P. P. Pareek, (Director)**, RSRDC
Chartered Accountant, S. Bhandari & Co., Jaipur
12. **Shri Arimardan Singh, (Director)**, RSRDC
Chief Admn. Officer (Retd.), North Western Railway, Jaipur
13. **Shri Manohar Lal Mathur**
(Managing Director and Shareholder), RSRDC, Jaipur

Copy to :-

1. Financial Advisor, RSRDC, Jaipur
2. General Manager, RSRDC, Jaipur
3. Chief Project Manager, RSRDC, Jaipur

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

दिनांक 28.11.08

निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति का गठन :

1. श्री सी. एस. राजन (समिति अध्यक्ष)
प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं
उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड
कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर
2. श्री अभय कुमार (सदस्य)
शासन सचिव,
वित्त (व्यय)
3. श्री पी. पी. पारीक (सदस्य)
चार्टर्ड एकाउण्टेंट,
एस. भण्डारी एण्ड कम्पनी
4. श्री एम. एल . माथुर (सदस्य)
प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड
कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

**RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION
CORPORATION LTD., JAIPUR.**

Dated : 28/11/08

Composition of Audit Committee of Directors

1. Shri C.S. Rajan, (Chairman of the Committee)
Principal Secretary to Govt.,
Public Works Department,
and Vice Chairman, RSRDC

2. Shri Abhay Kumar, (Member)
Secretary to Govt.
Finance (Exp.)

3. Sh. P. P. Pareek, (Member)
Chartered Accountant,
S. Bhandari & Co.

4. Shri M.L. Mathur, (Member)
Managing Director,
RSRDC Ltd.



परोक्षी (प्रोक्सी) का प्रारूप

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के लिए देखिए धारा 176(6))

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

मैं / हम निवासी जिला.....

उपरि नामित कम्पनीका/ के सदस्य

होने के कारण श्री निवासी

जिला को दिनांक माह सन्

को पूर्वोक्त / अपरान्ह में कम्पनी के, जिससे मैं / हम सम्बन्धित हूँ / हैं, पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होने वाली **आठवीं वार्षिक साधारण सभा** में या उसकी किसी स्थगित सभा में मेरे / हमारी ओर से मेरे / हमारे परोक्षी (प्रोक्सी) के रूप में मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

आज दिनांक माह सन् 2008 को हस्ताक्षरित।

30 पैसे का राजस्व टिकिट

FORM OF PROXY

(See Section 176 (6) for the Companies Act, 1956)

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD., JAIPUR.

I/ we _____ of
 _____ in the district of _____ being
 member / members of the above named company hereby appoint _____
 _____ of _____ in the
 district of _____ as my / our proxy to vote for
 me / us on my / our behalf at 8th ANNUAL GENERAL MEETING of the Company to
 which I/We belong to be held on _____ the _____ Day of
 _____ at Registered Office at _____ AM / PM and at any
 adjournment thereof.

Signed this _____ day of Day of _____, 2008.

 Revenue Stamp
 Of pasia 30

निदेशकों का प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों का अंशधारकों/सदस्यों को)

सज्जनों,

आपके निगम के निदेशकों को 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यप्रणाली पर **आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन** आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

आलोच्य वर्ष में, निगम के पास ह्रास एवं आयकर के लिए प्रावधान करने से पूर्व, गतवर्ष के 1403.67 लाख रुपये की तुलना में 2108.40 लाख रुपये का परिचालन अधिशेष था। इस अधिशेष को आगे निम्नप्रकार संव्यवहृत किया गया है :-

यथोपरोक्त परिचालन अधिशेष	रुपये 21,08,39,508/-
घटाइए :	
ह्रास	रुपये 14,59,56,231/-
आयकर प्रावधान	रुपये 86,27,951/-
पूर्व अवधि के समायोजन	(+) रुपये 23,62,728/-
आस्थगित कर क्रेडिट	(+) रुपये 79,88,836/-
परिचालन अधिशेष (शुद्ध)	रुपये 6,66,06,890/-
प्रस्तावित लाभांश	(-) रुपये 1,00,00,000/-
वितरित लाभ पर कर	(-) रुपये 16,99,500/-
सामान्य रिजर्व में अन्तरण	रुपये 5,49,07,390/-

प्रस्तावित लाभांश

आपके निदेशक निगम की समादत्त शेयर पूँजी पर **10%** की दर से लाभांश के भुगतान के लिए प्रस्ताव करना उचित समझते हैं। समादत्त शेयर पूँजी **10.00 करोड़** रुपये है, अतः कुल लाभांश राशि **1 करोड़** रुपये होगी।

नयी लेखांकन नीतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी

वर्ष 2007-08 तक संभलाये गये टोल प्रोजेक्टस के लिए ब्याज सहित सीड मनी के प्रतिदाय के लिए राजस्थान सरकार के लेखे में 880.35 लाख रुपये जमा किए गए हैं।

तुलन - पत्र के दिनांक से आज तक सारवान परिवर्तन एवं प्रतिबद्धतायें - शून्य

कानूनी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में लगायी गयी शर्त (क्वालीफिकेशन) के अध्यक्षीन निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

1. यह कि वार्षिक लेखों को तैयार करने में, सारवान परिवर्तनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
2. यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरन्तर प्रयुक्त किया तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान किये जो उचित एवं सूझबूझयुक्त हैं तथा ये वित्तीय वर्ष की सम्पत्ति पर कंपनी के कामकाज की स्थिति

Directors Report to the
Shareholders/ Members for
The year ended 31st March, 2008

Gentlemen,

The Directors of your Corporation have pleasure in presenting to you the EIGHT ANNUAL REPORT on the working of the Corporation for the year ended 31st March, 2008 together with the Audited Statement of Accounts.

FINANCIAL RESULTS

During the year under review, the Corporation had an operational surplus of Rs.2108.40 lacs before providing depreciation and provision for income-tax as compared to Rs.1403.67 lacs in the previous year. This surplus has been further dealt as follows :

<u>Operational surplus as above</u>		Rs. 21,08,39,508/-
<u>Less:</u>		
Depreciation		Rs.14,59,56,231/-
Income Tax Provision		Rs. 86,27,951/-
Prior period adjustment	(+)	Rs. 23,62,728/-
Deffered Tax credit	(+)	Rs. 79,88,836/-
<u>Operational surplus (Net)</u>		Rs. 6,66,06,890/-
Proposed Dividend	(-)	Rs. 1,00,00,000/-
Tax on Distributed Profit	(-)	Rs. 16,99,500/-
Transfer to General Reserve		Rs. <u>5,49,07,390/-</u>

Proposed Dividend

Your directors consider it appropriate to propose for payment of dividend @10% on paid up share capital of the Corporation. The paid up Share capital is **Rs. 10 Crores** hence total dividend amount will be **Rs. 1.00 crore**

Brief Note of New Accounting Policies

Upto the year 2007-08 Rs. 880.35 lacs has been credited in Rajasthan Government's Account towards refund of seed money with interest for handed over toll projects.

Material changes and commitments from the date of balance sheet to till today - NIL.

Directors Responsibility Statement : Subject to Qualification made in statutory auditors report.

1. That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
2. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgement and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of

का तथा उनकी अवधि के लिए कम्पनी के लाभ या हानि का सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

3. यह कि निदेशकों ने कम्पनी के अनुसार समुचित लेखा अभिलेखों के सधारण के लिए तथा कपट (फ्रॉड) एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
4. यह कि निदेशकों ने चालू (ऑन गोइंग) प्रतिष्ठान के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

पूँजीगत संरचना

आलोच्य वर्ष में, निगम की 20.00 करोड़ रुपये की प्रधिकृत पूँजी एवं 10.00 करोड़ रुपये की समादत पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

टर्न ओवर

निगम का टर्न ओवर चालू वर्ष (2007-2008) में 17010.06 लाख रुपये है जबकि गत वर्ष (2006-2007) में यह 14184.05 लाख रुपये था।

भवन निर्माण, पुल एवं सड़क कार्य

आलोच्य वर्ष में, विभिन्न पुलों एवं सड़क कार्यों के निर्माण पर 6061.28 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है। वर्ष 2007-08 में पूर्ण किए गए पुल एवं सड़क कार्यों की सूची निम्न प्रकार है। आलोच्य वर्ष में विभिन्न भवन कार्यों के निर्माण पर 10948.78 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है।

वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त किये गये कार्यों की सूची

अ. भवन निर्माण कार्य

1. सी एफ सी भवन, गोला का बास, अलवर का निर्माण
2. महिला इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर का निर्माण
3. इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर में अतिथि गृह का निर्माण
4. नारेली, अजमेर में जी आर पी के लिए यू एस क्यू / एल एस क्यू पुलिस क्वार्टर्स का निर्माण
5. 11 वीं आर.ए सी, नारेली, अजमेर के लिए यू एस क्यू / एल एस न्यू पुलिस क्वार्टर्स का निर्माण
6. ए डी एम ट्रेनिंग ब्लॉक, पी टी एस, किशनगढ़ का निर्माण
7. पी टी एस किशनगढ़ में प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण
8. पोलीटेकनीक कॉलेज बिल्डिंग, चूरू फेज-V में पुस्तकालय ब्लॉक का निर्माण
9. ताल छापरा जिला चूरू में बलैक बक सैन्चुरी का निर्माण
10. दरीबा चूरू में सी एफ सी क्लस्टर वर्क
11. नये जेल भवन, बीकानेर में 5 यू एस क्यू एवं 43 एल एस क्यू का निर्माण
12. बीकानेर में एल एस क्यू एवं यू एस क्यू क्वार्टर्स का निर्माण
13. राजफैड, नापासर में गोदाम का निर्माण
14. तृतीय (III) बटालियन, आर ए सी, बीकानेर में सशस्त्र बटालियन के लिए महिला बैरकों का निर्माण
15. बीकानेर में विश्वविद्यालय, फेज II, का निर्माण
16. बीकानेर में पुलिस आवासन क्वार्टरों का निर्माण
17. श्रीगंगानगर में राजफैड गोदाम का निर्माण

the profit or loss of the company for their period.

3. That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities.
4. That the director had prepared the annual accounts on a going concern basis.

Capital Structure

During the year under review, there has been no change in the authorized capital of Rs. 20.00 crores of the Corporation and paid-up capital of Rs. 10.00 crores.

Turnover

The turnover of the Corporation during the current year is Rs. 17,010.06 lacs (2007-2008) against Rs. 14,184.05 lacs in the last year (2006-2007)

Building Works, Bridge & Road Works

During the year under review, a sum of Rs. 6061.28 lacs has been spent on the construction of various bridges and road works. A list of Bridge and Road works completed during the year 2007-2008 is as under: A sum of Rs. 10948.78 lacs has been spent on construction of various building works during the year under review.

LIST OF WORKS PROCURED DURING YEAR 2007 - 08

A. BUILDING WORK :

1. Const. of CFC Building Gola Ka Bas, Alwar
2. Const. of Mahila Engineerig College, Ajmer
3. Const. of Guest House at Engineering College, Ajmer
4. Const. of USQ / LSQ Police Qtrs. for GRP at Nareli, Ajmer
5. Cons. of USQ / LSQ Police Qtrs. for 11th RAC, Nareli, Ajmer
6. Const. of Adm Training Block at PTS, Kishangarh
7. Const. of Hostel Building for Traineis at PTS Kishangarh
8. Cont. of Library Block at Polytecnic College Building Churu Phase-V
9. Const. of Black Buck Centuary at Tal Chapper Distt. - Churu
10. CFC Cluster work at Dariba Churu.
11. Const of 5 Nos. USQ & 43 Nos. L.S.Q. at New Jail Bldg., Bikaner
12. Const. of LSQ & USQ Qtrs at Bikaner
13. Const. of Godown at RAJFED, Napasar
14. Const. of Women Barracks for Armed Battalion at IIIrd Battalion RAC, Bikaner
15. Const. of University of Phase-II, Bikaner
16. Const. of Police Housing qtrs at Bikaner
17. Const. of RAJFED Godown Sri Ganganagar

18. बीकानेर में, दूरसंचार प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण
19. जवाहर लाल नेहरू, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में मोलक्यूलर मेडिसिन स्टूडेंट्स कल्चरल सेंटर के लैक्चर थिएटर कामलेक्स स्कूल का निर्माण
20. एम सी ए भवन, चण्डीगढ़ का निर्माण
21. एल.एस.क्यू दरबार स्कूल, जयपुर का निर्माण
22. एल एस क्यू मांगियावास, जयपुर का निर्माण
23. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भवन (फेज-तृतीय), जयपुर का निर्माण
24. प्रशिक्षण केन्द्र, खादीग्राम उद्योग, सांगानेर, जयपुर का निर्माण
25. डब्लू एस एच जी एवं आई सी डी एम, सैन्टर, जयपुर का निर्माण
26. आर एल डी बी-II, जयपुर का निर्माण
27. आइ एच एम, जयपुर में छात्रावास भवन का निर्माण
28. आर.पी.ए, शास्त्रीनगर, जयपुर में यू एस क्यू का निर्माण
29. आर पी ए (भाग-I कार्य), जयपुर में एल एस क्यू का निर्माण
30. रिसर्च हॉस्पिटल प्रताप नगर, जयपुर का निर्माण
31. चतुर्थ आर ए सी बटालियन, चैनपुरा, जयपुर के लिए एल एस/यू एस क्वार्टर्स का निर्माण
32. साइकिएट्रिक सेंटर, जयपुर का निर्माण
33. एस आर जी हॉस्पिटल, झालावाड़ में 37 स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण
34. पीपाजी धाम मंदिर, गागरोन, झालावाड़ का निर्माण
35. मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ का निर्माण
36. रूरल पुलिस लाइन, डेयजर, जोधपुर में नवीन पुलिस हाउसिंग क्वार्टर्स का निर्माण
37. जी आर पी पुलिस लाइन, डेयजर, जोधपुर में नवीन पुलिस हाउसिंग क्वार्टर्स का निर्माण
38. एम्स (AIIMS) जोधपुर में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण
39. एस आई एच एम, जोधपुर में हॉस्टल, क्वार्टर्स, ट्रेनिंग रेस्टोरेंट एवं किचिन का निर्माण
40. आर टी यू, कोटा का निर्माण
41. जेल क्वार्टर्स, कोटा का निर्माण
42. सी एफ सी तलवाड़ा (बांसवाड़ा) का निर्माण
43. सी एफ सी, आकोला (चित्तौड़गढ़) का निर्माण
44. सांवर (उदयपुर) में 5000 मीट्रिकटन गोदाम का निर्माण
45. आर टी ओ, चित्तौड़गढ़ का निर्माण
46. आर.एस.घाटोल (जिला बांसवाड़ा) का निर्माण
47. आर.एस.सगवाड़ा (जिला डूंगरपुर) का निर्माण
48. आर.एस.कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) का निर्माण
49. पुलिस हाउसिंग, प्रताप नगर, उदयपुर का (हुडको के ऋण द्वारा) पुलिस हाउसिंग निर्माण
50. पुलिस हाउसिंग, न्यु लाइन कैम्पस, उदयपुर का (हुडको के ऋण द्वारा) निर्माण

ब. सड़क कार्य

1. जोधपुर पाली रोड जोधपुर का सुदृढीकरण एवं विकास कार्य
2. जोधपुर पाल रोड जोधपुर का सुदृढीकरण एवं विकास कार्य

18. Const. of TeleCommn. Adm. Block at Bikaner
19. Const. of Lecture theatre complex School of molecular medicine students Cultural centre in Jawahar Lal Nehru University, New Delhi
20. Const. of MCA Building at Chandigarh
21. Const. of LSQ Darbar School, Jaipur
22. Const. of LSQ Magiawas, Jaipur
23. Const. of Anti Corruption Bureau Bldg. (Phase-IIIrd), Jaipur
24. Const. of Training Centre at Khadigarm Udyog at Sanganer, Jaipur
25. Const. of WSHG Cum ICDS Center, Jaipur
26. Const. of RLDB-II, Jaipur
27. Const. of Hostel Building at IHM, Jaipur
28. Const. of USQ at RPA Shastri Nagar, Jaipur
29. Const. of LSQ at RPA (Part-I work), Jaipur
30. Const. of Research Hospital Pratap Nagar, Jaipur
31. Const. of L.S. / U.S. Quaters for IVth RAC Batallian at Chainpura, Jaipur
32. Const. of Psychiatric Center, Jaipur
33. Const. of 37 Nos. Staff Quarters at SRG Hospital, Jhalawar
34. Const. of Peepaji Dham Temple at Gagron, Jhalawar
35. Const. of Medcial College, Jhalawar
36. Const. of New Police Housing Quarters at Rural Police Line, Daizer, Jodhpur
37. Const. of New Police Housing Quarters at GRP Police Line, Daizer, Jodhpur
38. Const. of Housing Complex at AIIMS, Jodhpur
39. Const. of Hostel, Quarters, Training Restaurant and Kitchen at S.I.H.M., Jodhpur
40. Const. of RTU, Kota
41. Const. of Jail Qtrs. Kota
42. Const. of CFC Talwara (Banswara)
43. Const. of CFC Akola (Chittorgarh)
44. Const. of 5000 MT Godown, Sanwar (UDR)
45. Const. of RTO Chittorgarh
46. Const. of R.S. Ghatol (Distt. Banswara)
47. Const. of R.S. Sagwara (Distt. Dungarpur)
48. Const. of R.S. Kushalgarh (Banswara)
49. Const. of Police Housing (By HUDCO Loan) Pratap Nagar, Udaipur
50. Const. of Police Housing (By HUDCO Loan) at New Line Campus, Udaipur

B ROAD WORK :

1. Strenthening & Development of Jodhpur Pali Road, Jodhpur
2. Strengthening & Development of Jodhpur Pal Road, Jodhpur

स. पुल कार्य

1. तिजारा फाटक एल सी सं. 111 अलवर भिवाड़ी रोड पर आर ओ बी का निर्माण
2. आर ओ बी एल सी 82 रामगंजमण्डी का निर्माण
3. आर ओ बी एल सी 87 मोरक का निर्माण

वर्ष 2007-08 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों की सूची**अ. भवन निर्माण कार्य**

1. ए एन एम प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में अतिरिक्त कार्य
2. फोरेस्ट रेस्ट हाउस एवं रेंजर क्वार्टर, अलवर का निर्माण
3. कन्या छात्रावास, एम डी एस विश्वविद्यालय, अजमेर में अवशेष कार्य का निर्माण
4. योग केन्द्र, एम डी एस विश्वविद्यालय, अजमेर में शेष कार्य का निर्माण
5. रेंज हैड क्वार्टर, अजमेर में अपर सबआर्डीनेट पुलिस स्टाफ के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण
6. इंजिनियरिंग कॉलेज (फेज I) अजमेर का निर्माण
7. इंजिनियरिंग कॉलेज (फेज II), अजमेर का निर्माण
8. पुलिस स्टेशन, उद्योग नगर, भरतपुर का निर्माण
9. इंजिनियरिंग कालेज (फेज-II), बीकानेर का निर्माण
10. पी एम डी एस, बीकानेर में, बैरकों का निर्माण
11. एम ए पी फेज I एस एच क्वार्टर्स 198 ओ आर एस पैकेज III श्री गंगानगर का निर्माण
12. एम ए पी फेज-I एस एच क्वार्टर्स 198 बी सी ओ पैकेज-V, श्रीगंगानगर का निर्माण
13. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भवन (फेज II), जयपुर का निर्माण
14. आई आई सी डी भवन, जयपुर के द्वितीय तल (सेकिण्ड फ्लोर) का निर्माण
15. अपराध अन्वेषण यूनिट, घाटगेट, जयपुर का निर्माण
16. इन्वेस्टीगेशन सैण्टर, झालाना डूंगरी, जयपुर का निर्माण
17. पंचम बटालियन, आर ए सी, जयपुर में बैरक का निर्माण
18. महारानी कॉलेज, जयपुर में फर्स्ट फ्लोर का निर्माण
19. केन्द्रीय कारागार, जयपुर में पंचम टाइप के क्वार्टर्स का निर्माण
20. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर का निर्माण
21. 300 शय्या वाले एस.आर.जी. हास्पिटल, झालावाड़ का निर्माण
22. मिनी सचिवालय, झालावाड़ का निर्माण
23. सहकार भवन, झालावाड़ का निर्माण
24. पुलिस लाइन, जोधपुर में अपर सब आर्डीनेट ट्रांजिट होस्टल का निर्माण
25. ग्रामीण पुलिस लाइन, डेयजर जोधपुर का निर्माण
26. गौ शाला मैदान, जोधपुर में स्वीमिंग पूल का निर्माण
27. कोटा में आर ए सी बैरक का निर्माण
28. स्याम (SAAM) भवन, कोटा का निर्माण

C BRIDGE WORK :

1. Const. of ROB at Tijara Phatak LC No. 111 Alwar Bhiwadi Road
2. Const. of ROB LC 82 Ramganjmandi
3. Const. of ROB LC 87 Morak

LIST OF WORKS COMPLETED DURING 2007- 08**A BUILDING WORK :**

1. Additional work in ANM Training centre at Alwar
2. Const. of Forest rest house & Ranger Quarter Alwar
3. Const. of Remaining work at Girls Hostel MDS University, Ajmer
4. Const. of Remaining work at Yoga Centre MDS University, Ajmer
5. Const. of Transit Hostel for Upper subordinate Police staff at Range H.Q., Ajmer
6. Const. of Engineering College (Phase-I), Ajmer
7. Const. of Engineering College (Phase-II), Ajmer
8. Const. of Police Station Udyog Nagar, Bharatpur
9. Const. of Engg. College, (Phase-II), Bikaner
10. Const. of Barracks at PMDS, Bikaner
11. Const. of MAP Phase-I SH. Qtrs 198 ORS Package-III Sriganganagar
12. Const. of MAP Phase-I SH. Qtrs 198 JCO Package-V Sriganganagar
13. Const. of Anti Corruption Bureau Bldg. (Phase-II), Jaipur
14. Const. of IInd Floor, I.I.C.D. Building, Jaipur
15. Const. of Crime investigation Unit Ghat Gate, Jaipur
16. Const. of Interrogation Centre, Jhalana Doongri, Jaipur
17. Const. of Barrack at Vth Battalion RAC, Jaipur
18. Const. of First Floor at Maharani College, Jaipur
19. Const. of Vth Type Qtrs, at Central Jail, Jaipur
20. Const. of Rajasthan Health Science University Pratap Nagar, Jaipur
21. Const. of 300 Bedded SRG Hospital, Jhalawar
22. Const. of Mini Secretariat, Jhalawar
23. Const. of Sahakar Bhawan, Jhalawar
24. Const. of Upper Sub Ordinate Transit Hostel at Police Line Jodhpur
25. Const. of Police Line Rural at Daizer Jodhpur
26. Const. of Swimming Pool at Guashala Maidan, Jodhpur
27. Const. of RAC Barrack at Kota
28. Const. of SIAM Building at Kota

ब. पुल कार्य

1. आर ओ बी रंगपुर एल सी 109 कोटा का निर्माण

वर्ष 2008-09 के दौरान (31.10.08 तक) प्राप्त किए गए कार्य

1. सरस्वती नगर, जोधपुर में आयल हाउस का निर्माण
2. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का निर्माण
3. साइकेट्रिक सैण्टर, जयपुर में फेमिली थेरेपी सेंटर, डाइनिंग हाल का निर्माण एवं आधुनिकीकरण का कार्य
4. बागड़ी, मण्डौर, केनपुरा एवं आसपुर में रेजीडेंसियल स्कूल
5. जयपुर में राजस्थान पुलिस हैडक्वार्टर बिल्डिंग का निर्माण

चालू दृष्टिकोण

चालू वर्ष में आपके निगम का कार्य निष्पादन एक आशावादी दृष्टिकोण को सिद्ध करता है। हमें विश्वास है कि हम चालू वर्ष में और उसके बाद भी निगम के विकास को बनाये रखने एवं उसकी लाभप्रदता में सुधार को कायम रखेंगे।

अनुसंधान एवं विकास

निगम परियोजनाओं पर नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए सतर्क है तथा इसी कारण निगम अपने युवा इन्जिनियरों को न केवल राज्य में अपितु राज्य के बाहर भी विभिन्न प्रशिक्षण/रिफेशर पाठ्यक्रमों में प्रतिनियुक्त कर प्रोत्साहित कर रहा है। निगम सभी महत्वपूर्ण योजनाओं पर फील्ड परीक्षण प्रयोगशालाओं का रखरखाव भी कर रहा है, जहाँ पर सभी प्रकार की निर्माण सामग्रियों यथा- सीमेंट, डामर (बिटुमिन), मृदाओं, सम्मिश्रणों (एग्रीगेट्स), सीमेंट, कंक्रीट आदि के विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं। निगम तकनीकी संस्थाओं द्वारा संधारित प्रयोगशालाओं यथा पोलीटेकनिक्स, इन्जिनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य प्रतिष्ठित परीक्षण परीक्षणशालाओं का भी उपयोग कर रहा है।

प्रौद्योगिकी विलयन

निगम निर्माण गतिविधियों में किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहा है। ऊँचे प्रतिष्ठित गौरवशाली भवनों, उच्च स्तरीय पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण स्वदेशी प्रौद्योगिकी से किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण की तरफ भी उचित ध्यान दिया जा रहा है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अन्तर्गत प्रकटन

कम्पनीज (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, यह उल्लेख किया जाता है कि आलोच्य वर्ष में किसी भी कर्मचारी ने निहित सीमा से अधिक का पारिश्रमिक आहरित नहीं किया है, अतः इस सम्बन्ध में सूचना शून्य समझी जाए।

वैयक्तिक एवं औद्योगिक सम्बन्ध

निगम के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच वर्ष भर सम्बन्ध सुखद एवं सौहार्दपूर्ण रहे। कर्मचारियों की कल्याणकारी गतिविधियों पर 38,53,023/- रुपये की राशि व्यय की गयी है।

बोर्ड की बैठक

आलोच्य वर्ष में, निगम निदेशक बोर्ड के मूल्यवान् मार्ग निर्देश से लाभान्वित हुआ है जिसके कारण वह उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा है।

निदेशक बोर्ड

आलोच्य वर्ष के दौरान इस निगम के निदेशक बोर्ड में राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित निदेशकों को नियुक्त किया

B BRIDGE WORK :

1. Const. of ROB Rangpur L.C. 109 Kota.

Works procured during year 2008-09 (up to 31.10.08)

1. Construction of Oil House at Saraswati Nagar, Jodhpur
2. Construction of National Law University, Jodhpur
3. Construction of Family therapy centre, Dining Hall and modernisation work at Physcatric centre, Jaipur.
4. Residential School at Bagri, Mandore, Kenpura and Aspur.
5. Construction of Rajasthan Police Headquarter Building at Jaipur.

CURRENT OUTLOOK

The performance of your Corporation during the current year justify as optimistic outlook. We are confident that we can look forward to maintain the growth and improve the profitability of the Corporation in the current year and beyond.

RESEARCH & DEVELOPMENT

The Corporation is vigilant to use latest scientific advancement & construction technologies on the projects, and so that the Corporation is encouraging its young engineers by deputing them in various training/ refresher course not only in the State but outside also. The Corporation is also maintaining field testing laboratories on all important projects, where various tests for all types of construction material cement, bitumen, soils, aggregate, cement concrete etc. are undertaken. The Corporation is also making use of the other testing laboratories maintained by technical institutions such as poly-techniques, Engineering Colleges as well as other test houses of repute.

TECHNOLOGY ABSORPTION

The Corporation is not using any foreign technology in construction activities. Tall prestigious building structures, High Level Bridges and Railway Over Bridges are being constructed with indigenous technology. Due attention is paid for energy conservations.

DISCLOSURE UNDER SECTION 217 (2A) OF THE COMPANIES ACT, 1956

As per provisions of Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules 1975, it is stated that since no employees has drawn remuneration more than the prescribed limit during the year under review, hence report may be treated as nil.

PERSONAL & INDUSTRIAL RELATIONS

Happy and cordial relations continued through out the year between the management and the employees of the Corporation. A sum of Rs. 38,53,023/- has been spent on staff welfare activities of the employees.

BOARD MEETING

During the year under review, the Corporation has been benefited by the valuable guidance of Board of Directors, which has resulted in achieving the notable results.

BOARD OF DIRECTORS

The following directors were appointed by the GoR on the board of directors of this Corporation during the year under review. Shri S.K. Mittal, Shri Yaduvendra Mathur, Shri G.P. Sharma, Shri J.C.

गया। श्री एस के मित्तल, श्री यदुवेन्द्र माथुर, श्री जी.पी. शर्मा, श्री जे.सी.मोहन्ती, श्री बी.पी. चौहान एवं अभय कुमार।

आलोच्य वर्ष में, श्री सुभाष गर्ग, श्री वी. श्रीनिवास, श्री एच एल मीणा, श्री जगदीशचन्द्र, श्री जी.पी. शर्मा एवं श्री एस.के. मित्तल निदेशक नहीं रहे।

निगम के बोर्ड में निदेशकों के रूप में वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्यों से प्राप्त मूल्यवान् परामर्श एवं मार्गनिर्देश के लिए बोर्ड अपनी गहन सराहना अभिव्यक्त करता है।

लेखा परीक्षक

वर्ष 2007-2008 के लिए लेखों की परीक्षा करने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स डी.आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स को नियुक्त किया गया।

आभार

आपके निदेशक, आलोच्य वर्ष में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में, निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्ण एवं प्रशंसनीय सेवायें प्रदान करने के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं तथा हमें विश्वास है कि इसके सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आगामी वर्षों में निगम के कार्य निष्पादन में और सुधार लाने हेतु निरन्तर कठिन परिश्रम करते रहेंगे। निदेशक बोर्ड आलोच्य वर्ष के दौरान निगम को दिए गए अपने सहयोग एवं मूल्यवान् सहायता के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/कम्पनी बैंकर/ अन्य स्वायत्तशासी निकायों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

निदेशक बोर्ड की आज्ञा से

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28.11.2008

ह/-

प्रबन्ध निदेशक

ह/-

निदेशक

Mohanty, Shri B.P. Chauhan and Abhay Kumar.

Shri Subhash Garg, Shri V. Srinivas, Shri H.L. Mina, Shri Jagdish Chandra, Shri G.P. Sharma and Shri S.K. Mittal ceased to be directors during the year under review

We place on record our deep appreciation of the valuable advice and guidance the Corporation received from the members of the Board during the year as Directors on the Board of Corporation.

AUDITORS M/S D.R. MOHNOT & CO.

M/S D.R. Mohnot & Co. Chartered Accountants were appointed by the CAG for undertaking the audit for the year 2007-2008.

ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors express their sincere appreciation of the loyal and commendable services rendered by the officers and staff of the Corporation in achieving notable results during the year under review and also confident that officers and staff will continue to strive hard to improve the performance of the Corporation in the years to come. The Board of Directors also take this opportunity to record their deep sense of gratitude to the Central Government / State Government / Company Banker / other autonomous bodies for their cooperation and valuable assistance given to the Corporation during the year under review.

By order of the board

Place : Jaipur
Date : 28.11.2008

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Director

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड

कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड,

जयपुर

1. हमने 31.03.2008 को यथास्थिति राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के संलग्न तुलन-पत्र की तथा उससे संलग्न उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि लेखों तथा नकद-प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन विवरण-पत्रों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है। उक्त वित्तीय विवरणों पर हमारी टिप्पणियाँ इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'क' में दी गयी हैं।
2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में साधारण तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों में अपेक्षा की गयी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के लिए योजना का निर्माण एवं कार्य निष्पादन इस सम्बन्ध में यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि ये वित्तीय विवरण किन्हीं तात्त्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं। एक लेखा परीक्षा में, किसी परीक्षण आधार पर, राशियों का समर्थन करने वाली साक्ष्य एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल है। एक लेखा परीक्षा में उपयोग के लिए गए लेखा सिद्धान्तों का निर्धारण एवं प्रबन्धक वर्ग द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।
3. भारत के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के अनुसार, भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) (संशोधन) आदेश 2004 के द्वारा यथा संशोधित कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, भारत का (अधिनियम) एवं कम्पनी की ऐसी पुस्तकों एवं अभिलेखों की ऐसी जाँचों के जिन्हें हमने एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपयुक्त समझा है, हम उक्त आदेश के पैरा 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक I में संलग्न करते हैं।
4. हम यह और प्रतिवेदित करते हैं कि इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक II के भाग II में उल्लिखित प्रेक्षणों, जिनके लाभ पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था, पर विचार किये बिना, यदि इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक II के पैरा I में हमारे द्वारा प्रेक्षण किया गया होता तो रिजर्व एवं अधिशेष (2841.79लाख रुपये के प्रतिवेदित आँकड़ों की तुलना में) 815.42 लाख रुपये होता। चालू आस्तियाँ (58754.25 लाख रुपये के प्रतिवेदित आँकड़ों की तुलना में) 57,175.30 लाख रुपये होती। चालू देयतायें (59,108.68 लाख रुपये के प्रतिवेदित आँकड़ों की तुलना में) 59,556.10 लाख रुपये होती।
5. और भी, उक्त पैरा (1) एवं (3) में वर्णित अनुलग्नक II एवं अनुलग्नक I में तथा उक्त पैरा (4) में भी हमारी टिप्पणियों के साथ, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि -
 - (क) हमने वे समस्त सूचनायें एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) हमारी राय में, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी है।
 - (ग) इस प्रतिवेदन द्वारा संव्यवहृत किए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण कम्पनी द्वारा संधारित लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - (घ) हमारी राय में, इस प्रतिवेदन द्वारा संव्यवहृत तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण

AUDITOR'S REPORT

TO
THE MEMBERS OF
RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED. JAIPUR

1. We have audited the attached Balance Sheet of Rajasthan State Road Development and Construction Corporation Limited, Jaipur, as at 31.03.2008, together with the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. Our comments on the said financial statements are given in Annexure - II to this report.
2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003, as amended by Companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004 (together 'the order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, of India (the 'Act') and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we enclose in the Annexure - I, a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said Order.
4. ***We further report that without considering observation mentioned in Part II of Annexure- II of this report, the effect of which could not be ascertained on profit, had the observation made by us in Para I of Annexure- II of this report been considered, Reserves & Surplus would have been Rs 815.42 Lacs (as against the reported figure of Rs. 2841.79 Lacs), Current Assets would have been Rs. 57175.30 lacs (as against reported figure of Rs. 58754.25 lacs.), Current liabilities would have been Rs. 59556.10 lacs (as against the reported figure of Rs. 59108.68 lacs.)***
5. Further to our comments in Annexure -II and Annexure- I referred to in paragraph (1) & (3) and also Paragraph (4) above, we report that :
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by the law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books.
 - (c) The Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained by the company.
 - (d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the mandatory accounting standards referred to in the sub section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 except A. S. 7 :

सिवाय ए. एस. 7 - निर्माण ठेकों के लिए लेखांकन, ए.एस. 9 : राजस्व मान्यता, ए.एस. 15 - सेवा निवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन एवं ए.एस. 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयतायें एवं आकस्मिक आस्तियाँ के, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में वर्णित आज्ञापक लेखांकन मानकों की अनुपालना करते हैं।

- (ड.) भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 829 (ड) दिनांक 17.07.2003 के अनुसरण में, एक सरकारी कम्पनी होने से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) के प्रावधान कम्पनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।
- (च) हमारी राय में, तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, अनुसूची (ट) में लेखों पर लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियों के साथ पठित लेखे तथा इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक I एवं अनुलग्नक II में दी गयी हमारी टिप्पणियों के अध्यक्षीन, कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना उक्त प्रकार से वांछित तरीके से देती है तथा भारत में धारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्न का सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है :
- तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2008 को यथा स्थिति कम्पनी के काम काज की स्थिति का,
 - लाभ व हानि लेखे के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का,
 - नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाहों का।

कृते डी. आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स

ह/-

(विपिन कानूनगो)

भागीदार

एम.एन. 072716

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28.11.2008

Accounting for Construction Contracts, A. S. 9 : Revenue Recognition, A. S. 15 : Accounting for Retirement Benefits and A. S. 29 : Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

- (e) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 829(E) dated 17.07.2003 issued by Government of India, provisions of clause (g) of sub section (1) of Section 274 of the Companies Act, 1956 are not applicable to the company.
- (f) In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read with the accounting policies & notes on accounts in the Schedule K , and subject to our comments given in Annexure- I & Annexure- II, to this report give the information required by the Companies Act,1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :-
 - (i) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at March 31, 2008;
 - (ii) In the case of Profit & Loss Account, of the Profit For the year ended on that date; and
 - (ii) In the case of the Cash Flow Statement, of the Cash Flows for the year ended on that date.

For **D.R. MOHNOT & CO,**
Chartered Accountants

Sd/-
(VIPIN KANOONGO)
Partner
M. No. 072716

Place : Jaipur
Dated : 28.11.2008

अनुलग्नक-I राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि., जयपुर के सदस्यों को लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के पैरा (3) में वर्णित)

- (i) (क) शटरिंग सामग्री को छोड़कर कंपनी ने स्थिर आस्तियों का उचित अभिलेख रखा है।
- (ख) प्रबन्धन ने पिछले कई वर्षों से स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया। तथापि, माह अगस्त, 2004 में निगम ने स्थिर आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की है तथा विभिन्न इकाइयों से उनके पास पड़ी स्थिर आस्तियों के विवरण एवं उनकी मात्रा के बारे में सूचना मंगवाई है। हमारी राय में, स्थिर आस्तियों के सत्यापन के लिए प्रक्रिया एवं उसका अन्तराल निगम के आकार को देखते हुए अत्यधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विभिन्न इकाइयों (यूनिट्स) से प्राप्त स्थिर आस्तियों की सूची के अनुसार स्थिर आस्तियों को कुछ मदों पर 'अनुपयोगी' (अनसर्विसेबिल) अंकित किया हुआ है। फिर भी, निगम ने ऐसी अनुपयोगी स्थिर आस्तियों के कारण मूल्यों में कोई समायोजन नहीं किया है।
- (ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने स्थिर आस्तियों के किसी सारवान/प्रमुख भाग का निस्तारण नहीं किया है।
- (ii) (क) प्रबन्धन द्वारा वर्ष के दौरान माल सूचियों (इनवेंटरी) का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन की यह बांरबारता (फ्रीक्वेंसी) युक्तियुक्त है।
- (ख) मालसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं इसके कारोबार की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त नहीं है तथा अपर्याप्त है। स्टॉक के विभिन्न मदों की वास्तविक माप भौतिक सत्यापन के समय नहीं की गयी है तथा मात्राओं को केवल पुस्तकों के अभिलेख के अनुसार ही भौतिक रूप से सत्यापित किया हुआ बतलाया गया है। भौतिक सत्यापन के संबंध में प्रबन्धन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का भी उचित ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है।
- (ग) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों अनुसार तथा माल-सूची (इनवेंटरी) के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी इनवेंटरी का उचित अभिलेख संधारित कर रही है। तथापि, मालसूचियों को भौतिक सत्यापन करने पर कोई सारवान तात्विक विसंगतियां नहीं पायी गयीं।
- (iii) (क) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन संधारित रजिस्टर में सूचीबद्ध पक्षकारों को कोई ऋण न तो मंजूर किया है और न उनसे कोई ऋण लिया है।
- (ख) उपर्युक्त खण्ड (iii) (क) को ध्यान में रखते हुए, खण्ड (iii) (ख), (iii) (ग) एवं (iii) (घ) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।
- (iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, मालों (इनवेंटरी) एवं स्थिर आस्तियों का क्रय करने एवं माल (गुड्स) के विक्रय करने के संबंध में निगम का अपना आन्तरिक नियंत्रण उसके आकार एवं उसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप है। उपर्युक्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में कोई प्रमुख कमजोरियाँ न तो हमें देखने को मिली हैं और न ही कोई ऐसा उदाहरण हमें सूचित किया गया है। इस संबंध में सुधारात्मक कारवाई में प्रबंधन की ओर से कोई सतत विफलता भी देखने को नहीं मिली है।
- (v) (क) सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय यह है कि कंपनी ऐसे लेन-देन में शामिल नहीं हुई है जिसको कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत संधारित रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।
- (ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, खण्ड (ख) प्रयोज्य नहीं है।

ANNEXURE - I TO THE AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED.

(Referred to in Paragraph (3) of our report, of even date on the accounts for the year ended on **31st March, 2008**)

- (i) (a) The company has maintained proper records of fixed assets excluding shuttering material.
- (b) Physical verification of the fixed assets was not conducted by the management for past several years. However during the month of August 2004 the corporation has started the process of physical verification of fixed assets and information has been called from various units regarding description and quantity of the fixed assets lying with them. In our opinion the procedure and interval for verification of fixed assets is grossly deficient looking to the size of the corporation. As per the lists of fixed assets received from various units – certain items of fixed assets have been marked as “Unserviceable”, however the corporation has not made any adjustment in values due to such unserviceable fixed assets.
- (c) During the year, the company has not disposed off any substantial / major part of the fixed assets.
- (ii) (a) The inventories have been physically verified during the year by the management. In our opinion, the frequency of verification is reasonable
- (b) **The procedure followed for physical verification of inventories are not reasonable and are inadequate in relation to the size of the company and nature of its business. The actual measurement of various items of stock are not taken at the time of physical verification and quantities are reported to have been physically verified as per book records only. The instructions issued by the management with regard to physical verification are also not being properly followed.**
- (c) In our opinion and according to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of inventory, the company is maintaining proper records of inventory. However no material discrepancies were noticed on physical verification of inventories.
- (iii) (a) According to the Information & Explanation given to us, the company has not granted or taken any loan to / from the parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
- (b) In view of clause (iii)(a) above, Clause (iii)(b),(iii)(c) & (iii)(d) are not applicable to the company.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with size of the company and the nature of its business for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods. We have neither come across nor have we been informed of any instances of major weakness in the aforesaid internal control procedures and continuing failure on the part of the management to take corrective action in this regard.
- (v) (a) According to the information and explanation given to us, we are of the opinion that the company has not entered into any transaction that need to be entered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
- (b) In view of clause V (a) above, the clause V (b) is not applicable.

- (vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 A की एवं 58 AA के अर्थान्तर्गत या उसके किसी अन्य सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत जनता से कोई जमायें (डिपोजिट्स) स्वीकार नहीं की हैं। कंपनी ला बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
- (vii) हमारी राय में, कंपनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके आकार एवं उसके कारोबार को देखते हुए अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। आन्तरिक लेखापरीक्षकों को दिए गए कार्य क्षेत्र एवं उसके अनुवर्तन (फालोअप) को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।
- (viii) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्र सरकार ने निगम की उत्पादों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के लागत अभिलेखों के रखरखाव को विहित नहीं किया है।
- (ix) (क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं प्राप्त की गयी सूचना एवं किये गये सत्यापन के आधार पर, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा संस्था कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, सम्पदा (वैल्य) कर, सेवा कर, सीमा (कस्टम) शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर (सैस) एवं उस पर प्रयोज्य अन्य तात्विक सांविधिक (कानूनी) बकायों सहित निर्विवाद कानूनी बकायों को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा कराने में सामान्य रूप से नियमित है। और भी, हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2008 को यथास्थिति बकायों के संबंध में ऐसी कोई निर्विवाद राशि संदेय नहीं थी जो उस दिनांक से जिसको वे देय हो गयी थी, छह माह से अधिक की हों। सिवाय 114280/- रुपये के पुराने विक्रय कर की राशि के जिसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
- (ख) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आय कर / विक्रय कर / सम्पदा कर / सेवा कर / सीमा शुल्क (कस्टमड्यूटी) / उपकर (सैस) के संबंध में कोई ऐसी कानूनी बकायायें लम्बित नहीं हैं जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।
- (x) कम्पनी के पास वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई संचित हानियाँ नहीं हैं तथा इसने चालू एवं उसके ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानियाँ नहीं की हैं।
- (xi) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक या ऋणपत्र धारकों की देयों (ड्यूज) की अदायगी करने में कोई चूक नहीं की है। सिवाय हमारे प्रतिवेदन के अतुलनक 'क' के भाग II के पैरा 8 में वर्णित हुडको के ऋण के जिसका कि मिलान किया जा रहा है। अतः हम उसके व्यतिक्रम (डिफाल्ट) की स्थिति (स्टेटस) के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते।
- (xii) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, ऋणपत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी (प्लैज) रखने के रूप में प्रतिभूति के आधार पर ऋण एवं अग्रिम प्रदान नहीं किये हैं।
- (xiii) हमारी राय में, कंपनी एक चिटफण्ड या एक निधि/म्यूच्यल बेनीफिट फण्ड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए, कंपनी (लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।
- (xiv) हमारी राय में, लेखा परीक्षा के वर्ष में, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों में संव्यवहार (डीलिंग) या व्यापार करने के काम में नहीं लगी थी। एतदनुसार कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।
- (xv) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्था से अन्यों द्वारा लिए गए ऋण हेतु गारंटी नहीं दी है।
- (xvi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आलोच्य वर्ष में कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए अवधि ऋण, प्रथम दृष्ट्या उन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये गये थे जिनके लिए वे (ऋण) प्राप्त किए गए।

- (vi) The company has not accepted any deposits from the public within the meaning of Section 58A & 58AA or any other relevant provision of the Companies Act 1956. No order has been passed by the Company Law Board or Reserve Bank of India.
- (vii) **In our opinion, the company's internal audit system is grossly deficient looking to the size and nature of its business. The scope of work given to Internal Auditor and its follow up needs to be strengthened.**
- (viii) According to the information & explanation given to us the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956 in respect of the products of the corporation.
- (ix) (a) To the best of our knowledge and information obtained and verifications made, we report that the company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, investor education protection fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, custom duty, excise duty, cess and other material statutory dues applicable to it. Further according to the information & explanation given to us, no undisputed amounts payable in respect of aforesaid dues were outstanding as at 31st March 2008 for a period of more than six months from the date they become payable **except Old Sales Tax of Rs. 114280/- for which no information is available.**
- (b) According to the information and explanation given to us, there are no pending statutory dues regarding Income Tax / Sales Tax / Wealth Tax / Service Tax / Custom Duty / Excise Duty / Cess which are not deposited on account of any dispute .
- (x) The company has no accumulated losses at the end of the financial year and it has not incurred any cash losses in the current and immediately preceding financial year.
- (xi) **In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not defaulted in repayment of dues to a financial institution, bank or debenture holders except loan of HUDCO as referred to in Para 8 of Part II of Annexure II of our report is under reconciliation, hence we cannot comment on default status of the same.**
- (xii) According to the information and explanation given to us, company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- (xiii) In our opinion, the company is not a chit fund or a nidhi/ mutual benefit fund/ society. Therefore, the provisions of clause 4(xiii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- (xiv) In our opinion, during the year under audit, the company did not engage in dealing or trading in shares, securities, debentures. Accordingly, the provisions of clause 4(xiv) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- (xv) According to the information and explanation given to us, the company has not given any guarantee for loan taken by others from bank or financial institution.
- (xvi) To the best of our knowledge and belief and according to the information & explanation given to us, term loans availed by the company were, prima facie, applied by the company for the purpose for which the loans were obtained.

- (xvii) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के तुलनपत्र की समग्र परीक्षा करने पर, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि अन्य अवधि के आधार पर ली गयी कोई भी निधियाँ, दीर्घकालिक विनिवेश के लिए उपयोग में नहीं ली गयी हैं।
- (xviii) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन संधारित रजिस्टर में शामिल की गयी पार्टियों एवं कंपनियों को शेयरों का अधिमान आवंटन (प्रिफेरेन्सियल अलॉटमेंट) नहीं किया है।
- (xix) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा परीक्षा किए गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किये हैं।
- (xx) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) से कोई राशि एकत्रित नहीं की है। अतः ऐसी राशि के उद्देश्य व उपयोग के प्रकटन एवं सत्यापन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
- (xxi) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, कंपनी पर प्रतिवेदित की गयी है।

कृते डी. आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स

ह/-

(विपिन कानूनगो)

भागीदार

एम.एन. 072716

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28.11.2008

- (xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, we report that the no funds raised on short-term basis have been used for long-term investment.
- (xviii) According to the information and explanations given to us, the company has not made preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
- (xix) According to the information and explanations given to us and records examined by us, the company has not issued any debentures during the year.
- (xx) According to the information and explanation given to us the company has not raised any money from Public Issue during the year hence the question of disclosure and verification of end use of such money does not arise.
- (xxi) According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

For **D.R. MOHNOT & CO,**
Chartered Accountants

Sd/-
(VIPIN KANOONGO)
Partner
M. No. 072716

Place : Jaipur
Dated : 28.11.2008

डी. आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

अनुलग्नक- 'II' 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के पैरा 1, 4 एवं 5 में वर्णित है

- I. प्रेक्षण जिनके लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन-पत्र पर प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सकता है**
1. निगम की पेंशन देयताओं के संबंध में टिप्पणी सं. II को देखें। इस संबंध में यह प्रेक्षित किया गया है कि दिनांक 01.10.2007 को यथास्थिति भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित बीमांकिक अन्वेषण पर प्रतिवेदन के अनुसार, पिछली सेवा दायिता की राशि दि. 01.10.2007 को यथास्थिति 1944.00 लाख रुपये थी। यह राशि 31.03.2008 को यथा स्थिति आनुपातिक रूप से बढ़कर 1990.28 लाख (अनुमानित) रुपये है, जिसके पेटे निगम के पास अपनी पेंशन स्कीम निधि में केवल 492.86 लाख रुपये हैं। निगम ने 1497.42 लाख रुपये की शेष राशि जमा नहीं कराई गई (अनफण्डेड) राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसमें जनरल रिजर्व में 1497.42 लाख रुपये अधिक होने तथा चालू देयताओं में इतनी ही राशि कम होने का उल्लेख हुआ है।
 2. ग्रेच्युटी की देयता के संबंध में टिप्पणी सं. III को देखें। इस संबंध में यह प्रेक्षित किया गया कि जीवन बीमा निगम की स्कीम के लिए रिन्युअल केटेशन के अनुसार (कोष में जमा कराई जाने वाली) पिछली सेवा के लिए ग्रेच्युटी हेतु देयता का शेष वर्तमान मूल्य 279.76 लाख रुपये हैं। निगम ने 132.43 लाख रुपये की राशि कोष में जमा नहीं कराई गई शेष राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। यह लेखांकन मानक ए.एस. 15 : सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन के अनुसार नहीं है। इससे साधारण रिजर्व में 132.43 लाख रुपये से अधिक का, तथा चालू देयताओं में इतनी ही राशि कम होने का उल्लेख हुआ है।
 3. अक्षम पथ कर परियोजनाओं के पेटे सरकार से प्राप्त 2429.96 लाख रुपये की जमाओं को, उन्हें देयता के रूप में दिखाने के स्थान पर पथकर ऋणी लेखें में से घटाया गया है। इसके कारण चालू आस्तियों एवं चालू देयताओं को उस सीमा तक कम होने का उल्लेख किया गया है।
 4. **पथकर परियोजनाओं से आय**
 - (क) पथकर संग्रहण के 1.5 प्रतिशत की दर से रखरखाव लागत के लेखांकन के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन के संबंध में टिप्पणी सं. XII देखें। निगम संबंधित पथकर ऋणियों से केवल वास्तविक रखरखाव लागत को वसूलने की अपनी मूलनीति पर वापस आ गया है। उक्त नीति को वर्ष 2002-03 में संबंधित पथकर ऋणियों के लेखों में पथ कर संग्रहण के 1.5 प्रतिशत की वसूली करने में बदल दिया गया था। और भी, हमने प्रेक्षित किया कि वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में, निगम ने उन परियोजनाओं से संबंधित, जिन्हें प्रबंधन की राय में सक्षम होने के रूप में वर्गीकृत किया गया था, (पथ कर के प्रारंभ होने से) कुल पथ कर संग्रहण पर 1.5 प्रतिशत की दर से रखरखाव की लागत के रूप में 96.08 लाख रुपये वसूल किये। इस संबंध में हमने यह प्रेक्षित किया कि निगम ने पहिले ही व्यय के वर्ष में सुसंगत पथ कर ऋणियों के लेखे में संबंधित परियोजना की वास्तविक रखरखाव लागत को नामें लिख दिया है तथा इसके लिए कोई पृथक् से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि निगम वास्तविक रखरखाव लागत को नामें लिखने की अपनी पूर्व की नीति पर लौट आया है लेकिन वर्ष 2002-03 एवं वर्ष 2003-04 में नामें लिखी गयी 96.08 लाख रुपये की राशि को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है। इससे साधारण रिजर्व में 96.08 लाख रुपये अधिक होने तथा पथ कर लेनदारों के लेखे में इतनी ही राशि के कम होने का उल्लेख किया गया है।
 - (ख) कतिपय पथकर परियोजनाओं पर विनिवेश किए गए स्वयं के कोष पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज बसूलने के संबंध में लेखांकन नीति संख्या 1.3 (च) एवं टिप्पणी सं. XII देखें। इस संबंध में हमने यह

D. R. MOHNOT & CO.

Chartered Accountants

Annexure – II - referred to in paragraph I, 4 and 5 of our report of even date on the accounts of Rajasthan State Road Development and Construction Corporation Limited Jaipur for the year ended on 31st March 2008.

I. Observations the effect of which on Profit & Loss Account and Balance sheet is ascertainable.

1. Refer Note No II regarding Pension Liabilities of the Corporation. In this regard it has been observed that as per report on the actuarial investigation conducted by LIC (as on 01.10.2007), the value of past service liability was Rs. 1944.00 lacs as on 01.10.2007, the said amount is proportionately increased to Rs. 1990.28 Lacs (Appx.) as on 31.03.2008, against which the Corporation has only Rs. 492.86 lacs in its Pension Scheme Fund. The Corporation has not made any provision for the remaining unfunded amount of Rs. 1497.42 lacs, the same has resulted in overstatement of General Reserve by Rs. 1497.42 lacs and understatement of Current Liabilities by similar amount.
2. Refer Note No. III regarding Gratuity Liability. In this regard it has been observed that as per renewal quotation for scheme of LIC, Balance present value of liability for Gratuity for Past Services (to be funded) is Rs.279.76 lacs. Against which the Corporation has only Rs. 147.33 lacs in its Gratuity Fund. The Corporation has not made any provision for the remaining unfunded amount of Rs. 132.43 lacs. The same is not in accordance with A.S. 15: Accounting for Retirement Benefits. The same has resulted in overstatement of General Reserve by Rs. 132.43 lacs and understatement of Current Liabilities by similar amount.
3. Deposits received from Government against unviable toll projects amounting to Rs 2429.56 lacs has been deducted from the toll debtors account instead of showing the same as liability, consequently the current assets and current liabilities are understated to that extent.
4. Income from Toll Projects.
 - (a) Refer Note No. XII regarding change in accounting policy for accounting of Maintenance Cost @ 1.5 % of Toll Collection. The Corporation has reverted to its original policy of charging only actual maintenance cost to respective Toll Debtors a/c. The said policy was changed in the year 2002-03 to charging of 1.5% of Toll collection to respective Toll debtors account, Further we have observed that in the year 2002-03 & 2003-04 the Corporation has charged Rs. 96.08 lacs as maintenance cost @ 1.5% on Total Toll collection (since beginning of the Toll) pertaining to projects which were classified as viable in the opinion of the management. In this regard we have observed that the Corporation already debited actual maintenance cost of the concerned project to the relevant Toll Debtor account in the year of expenditure and no separate figures are available for the same. Although the Corporation has reverted to its previous policy of debiting actual maintenance cost but Rs. 96.08 lacs debited in the year 2002-03 & 2003-04 have not been reverted, the same has resulted in overstatement of General Reserve by Rs. 96.08 lacs and understatement of Toll creditors account by similar amount.
 - (b) Refer accounting policy No. 1.3 (f) and Note No. XII regarding charging of Interest @ 12% on own fund invested on certain toll projects. In this regard we have observed that the Corporation did not have any approval from Government for charging such interest on own funds. Further no such Interest was charged to such projects upto the year 2001-02, however during the year 2002-03 & 2003-04 the Corporation has charged Rs. 291.01 lacs

प्रेक्षित किया है कि निगम ने अपनी स्वयं की निधियों पर ऐसे ब्याज की वसूली करने के लिए सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। और भी, यह कि वर्ष 2001-02 तक ऐसी परियोजनाओं में ऐसा कोई ब्याज वसूल नहीं किया गया। तथापि, वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान, निगम ने अपनी स्वयं की निधि पर क्रमशः 291.01 लाख रुपये एवं 3.24 लाख रुपये ब्याज के रूप में वसूल किये हैं। अतः हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यदि स्वयं की निधि पर ब्याज प्रभारित नहीं किया जाता तो 31.03.2008 को यथास्थिति साधारण रिजर्व 294.25 लाख रुपये का कम होता तथा पथ कर लेनदारों के लेखों में इतनी ही राशि अधिक होती।

यह लेखांकन मानक 9 : राजस्व मान्यता के अनुसार नहीं है। उक्त लेखांकन मानक के अनुसार, जब संग्रहणता के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो तथा जब उपरि उल्लिखित कारणों के अनुसार महत्वपूर्ण अनिश्चिततायें रखरखाव प्रभारों के संग्रहण तथा अपनी स्वयं की निधि पर ब्याज से सम्बद्ध हो। अतः इसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

5. 31.03.2008 को यथास्थिति प्रगति पर कार्यों के आकड़ों में वे कतिपय कार्य शामिल हैं, जो पहले पूरे किये जा चुके हैं, लेकिन 4002.32 लाख रुपये की राशि क्लाइंट लेखे/विविध ऋणियों से अग्रिम में समायोजित नहीं की गयी है। हमारी राय में जब एक बार काम पूरा हो गया हो तो उसे कार्य प्रगति पर में से समायोजित किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप 4002.32 लाख रुपये अधिक के कार्य प्रगति पर (डब्लू. आई. पी.) से तथा उतनी ही राशि का क्लाइंटस से अग्रिम का अधिक का उल्लेख किया गया है।
6. निगम की मेकेनिकल यूनिट द्वारा प्राइवेट पार्टियों को दिए गए अग्रिम की 6.19 लाख रुपये की राशि शामिल है जिसके बारे में यह स्पष्ट किया गया कि सामग्री कई वर्ष पूर्व प्राप्त की गयी थी, तथा वह उपयोग में ली जा चुकी है लेकिन बिलों का समायोजन नहीं हुआ है। इसके लिए लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इससे ऋण एवं अग्रिमों तथा साधारण रिजर्व में 6.19 लाख रुपये अधिक का उल्लेख किया गया है।

II. प्रेक्षण जिनके लाभ एवं हानि लेखे एवं तुलन-पत्र पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता :-

1. पुलिस आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त निधियों से सम्बन्धित पी.डी. लेखे पर अर्जित ब्याज को जमा कराने हेतु राजस्थान सरकार से मांग के सम्बन्ध में टिप्पणी सं. IV को देखें। तथापि निगम ने इसे जमा नहीं करवाया है। इसके अलावा गत कई वर्षों के दौरान पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए सरकार से प्राप्त 9310.88 लाख रुपये की निधि पर निगम द्वारा अर्जित ब्याज के पेटे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगम ने इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अर्जित किए गए ब्याज का ब्यौरा हमें नहीं दिया है, अतः हम उसकी मात्रा को निर्धारित नहीं कर सकते।

यह लेखांकन मानक 9 : राजस्व मान्यता के अनुसार नहीं है।

2. पथ कर परियोजनाओं के सम्बन्ध में लेखांकन नीति 1:3 देखें। निगम ने उस परियोजनाओं पर हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जो प्रबन्धन की राय में अक्षम होने के रूप में वर्गीकृत की गयी हैं। इस सम्बन्ध में निगम को हुई वास्तविक हानि की मात्रा को बतलाया नहीं जा सकता। और भी निगम ने उन परियोजनाओं के लिए जो प्रबन्धन की राय में सक्षम है, सीड मनी के सम्बन्ध में (31.03.2008 तक) किए गए 445.61 लाख रुपये का प्रावधान करने के अलावा सीडमनी, सरकार से जमाओं और सड़क विकास कोष से प्राप्त राशि पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इससे निगम के लाभ तथा साधारण रिजर्व में भी अधिक का उल्लेख किया गया है। पूर्ण ब्यौरों के न होने से इनकी राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः हम इस पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं तथा इसके कारण लाभ, साधारण रिजर्व एवं चालू आस्तियों पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
3. कतिपय परियोजनाओं पर संग्रहीत तथा चालू देयताओं के अधीन पथकर लेनदारों में दिखाए गए अधिक पथ कर पर ब्याज के प्रावधान के सम्बन्ध में टिप्पणी सं. XIII को देखें। जबकि निगम ने सक्षम परियोजनाओं में विनिवेश की गयी स्वयं की निधि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में आय को दर्ज किया है। इससे निगम के लाभ तथा साधारण रिजर्व में अधिक का उल्लेख हुआ है। पूर्ण ब्यौरों के अभाव में इसकी राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अतः हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ, साधारण रिजर्व एवं चालू देयताओं पर इसके प्रभाव को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

and Rs. 3.24 lacs respectively as Interest on own funds. Hence we cannot comment on the same. Had the interest on own funds not charged general reserves as on 31.03.2008 would have been lower by Rs.294.25 lacs and Toll Creditors account would have been higher by similar amount.

The same is not in accordance with Accounting Standard 9 : Revenue Recognition, as per the said accounting standard , revenue should be recognized only when no significant uncertainty as to collectibility exists, and as per reasons mentioned above, significant uncertainties are attached with the collection of maintenance charges and interest on own fund. Hence the same should not be recognized.

5. The figure of Work in Progress as on 31.03.2008 includes certain work which have already been completed but are not adjusted from Advance from client account/ Sundry Debtors amounting to Rs 4002.32 lacs in our opinion once the work is complete then it should be adjusted from WIP. The same have resulted in overstatement of WIP by Rs. 4002.32 lacs and overstatement of Advance from clients by same amount.
6. Loans & Advances includes Rs. 6.19 lacs towards Advance to Private parties given by the Mechanical Unit of the Corporation against which it has been explained that material have been received several years ago and consumed but bills are to be adjusted. No provision for the same have been made in the books of accounts. The same has resulted in overstatement of Loans & Advances and general reserves by Rs.6.19 lacs.

II. **Observations the effect of which could not be ascertained on Profit & Loss Account and Balance Sheet :-**

1. Refer Note No IV regarding demand from Govt. of Rajasthan to deposit interest earned on P.D. account pertaining to funds received for Police Modernization. However the Corporation has not deposited the same, further no provision against the interest earned by the Corporation on funds of Rs 9310.88 lacs received from Government for various works under Police Modernization scheme during past several years has been made. The Corporation has not provided us with details of Interest earned by it in this regard hence we cannot quantify the same.

The same is not in accordance with Accounting Standard 9 : Revenue Recognition

2. Refer accounting policy No. 1.3 regarding accounting in respect of Toll projects. The Corporation has not provided any loss on projects, which are classified as unviable in the opinion of the management. Actual loss to the Corporation in this regard cannot be quantified. Further the Corporation has not made any provision for interest payable on Seed Money, Deposit from Government and Amount received from Road Development Fund other than a provision of Rs. 445.61 lacs (Upto 31.03.2008) made in respect of seed money for projects, which are viable in the opinion of the management. This has resulted into overstatement of profit as well as general reserves of the Corporation. In the absence of complete details the amount of the same is unascertainable. As such we are unable to comment on that and consequently its effect on profit, general reserve and current assets is unascertainable.
3. Refer Note No. XIII regarding provision of interest on excess toll collected on certain projects and shown in toll creditors under Current Liabilities whereas the Corporation has booked income in the shape of interest @ 12% on own fund invested in viable projects. This has resulted into overstatement of profit, as well as general reserves of the Corporation. In the absence of complete details the amount of the same is unascertainable. As such we are unable to comments on that and consequently its effect on profit, general reserve and current assets in unascertainable.

4. निगम ने 2052.16 लाख रुपये की राशि की कतिपय पुलों / सड़क परियोजनाओं के निर्माण में स्वीकृत लागत की तुलना में अतिरिक्त लागत व्यय की है जिन पर विनिवेश की वसूली पथकर के रूप में की जानी है। इसके लिए स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने की दशा में निगम को इस अतिरिक्त लागत को वहन करना पड़ सकता है। इस सम्बन्ध में निगम को हुई वास्तविक हानि की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः इस कारण से लाभ, साधारण रिजर्व एवं चालू आस्तियों पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
 5. लेखांकन नीति सं. 1.2 (च) को देखें, जिसमें निगम ने पूर्व वर्षों में बी.ओ.टी. परियोजनाओं पर 9% सेप्टेज प्रभार के लोडिंग की लेखांकन नीति में परिवर्तन कर, इकाइयों (यूनिट्स) के वास्तविक प्रशासनिक व्ययों के लोडिंग तथा वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में इन बी ओ टी परियोजनाओं में, मुख्य कार्यालय उपरिव्ययों (ओवर हैड) के आनुपातिक हिस्से की लोडिंग तक कर किया है। पूर्व वर्षों पर लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
 6. वास्तविक लागत प्लस आधार पर कराये गये कार्यों के अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर लाभ/हानि को सत्यापित करते समय यह अवलोकित किया गया कि -
 - (i) निगम ऐसे कार्यों पर लाभ/हानि की संगणना किए गए कार्य के कुल मूल्य में से व्यय की गयी उस प्रत्यक्ष लागत को घटाकर कर रहा है जिसकी संगणना प्रबन्धकों के अनुमानों के अनुसार क्लाइंट द्वारा प्रमाणित किये गये कार्य तथा अप्रमाणित कार्य के अनुसार की जाती है। कुछ इकाइयों (यूनिट्स) में अप्रमाणित कार्यों का मूल्य खाते के अनुसार वित्तीय मानों (वैल्यूज) पर आधारित होने के रूप में लिया जाता है, जबकि कुछ इकाइयों में अप्रमाणित कार्यों के आँकड़े सम्बन्धित इन्जिनियरों द्वारा दिए गए उन अनुमानों के आधार पर हैं जिनके लिए इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत (प्रूफ) उपलब्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में हमने यह भी प्रेक्षित किया है कि कुछ इकाइयों में प्रमाणित/अप्रमाणित किए गए कार्य के पेटे उप-ठेकेदारों के तदनु रूप बिल के दर्ज (बुक) नहीं किया गया जिससे लाभ/हानि के आँकड़े अनुचित हो जाते हैं।
 - (ii) कुछ परियोजनाओं में निगम ने स्वीकृत लागत से अधिक का व्यय किया है तथा इनके संशोधित अनुमान क्लाइंट विभाग के पास लम्बित हैं। इन परियोजनाओं पर लाभ संशोधित लागत के आधार पर अवधारित किया गया है जो क्लाइंट विभाग के अनुमोदन की शर्त के अन्तर्गत है। इसकी अन्तिम स्वीकृति/अस्वीकृति सम्बन्धित परियोजना के लाभ/हानि के आँकड़ों पर प्रभाव डाल सकती है। पूर्ण ब्यौरों के अभाव में, हम इसकी मात्रा निश्चित नहीं कर सकते।
 - (iii) निगम बिल तैयार करने के प्रयोजन से अन्तिम तारीख (कट आफ डेट) 31 मार्च का अनुसरण नहीं कर रहा है और यह भी कि निगम ने राजस्व के मैचिंग सिद्धान्त को भी नहीं अपनाया है तथा उप ठेकेदारों के बिलों को अन्तिम रूप से निपटाये जाने / अनुमोदित किये जाने के वर्ष में दर्ज किया जाता है। इसके कारण टैण्डर्ड (निविदत्त) कार्यों के लिए लाभ/हानि में भारी अन्तर आया है।
 - (iv) निगम 'श्रुतिपूर्ण दायित्व अवधि' (डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड) में कतिपय सड़कों एवं अन्य निर्माण कार्यों के रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। यह अवधि संविदा दर संविदा भिन्न हो सकती है। तथापि, निगम ने सुधार करने (रेक्टिफिकेशन) एवं गारण्टी कार्य को करने की अनुमानित लागत मय 'अत्याशित वारण्टी लागत' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। यह लेखांकन मानक-7 (संशोधित 2002) : 'निर्माण संविदा के लिए लेखांकन' के अनुसार नहीं है। इससे निगम के लाभ का अधिक कथन किया गया है।
 - (v) निविदत्त कार्यों पर लाभ/हानि की मान्यता के सम्बन्ध में, लेखांकन नीति संख्या 1.2 (ख) को देखें। निगम कार्य की उस मात्रा को शामिल कर रहा है जो किए गए हैं किन्तु जिनके वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बिल नहीं बनाये गये हैं। यहाँ तक कि चाहे उन्हें परवर्ती वर्ष में भी वसूल नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में हमने यह प्रेक्षित किया कि हमें प्रस्तुत किये गये निविदा लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार प्रमाणित कार्य की राशि तथा निगम की पुस्तकों के अनुसार क्लाइंट्स से प्राप्त वास्तविक राशि के बीच अन्तर हैं। यह और भी कि कुछ क्लाइंटों ने अनेक कारणों से निगम को भुगतान करना रोक दिया है तथा उसे विविध जमायें शीर्ष के अन्तर्गत दिखा रखा है। निगम ने निविदा कार्यों पर लाभ/हानि की संगणना करते समय उसे नहीं घटाया है। पूर्ण ब्यौरों के अभाव में हम इसका सत्यापन नहीं कर सकते।
- यथोपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम टैण्डर लाभ/हानि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं तथा इसके कारण वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. The Corporation has incurred extra cost as compared to sanctioned cost, in the construction of certain bridges / road projects amounting to Rs. 2052.16 lacs on which recovery of investment is by way of Toll, the sanction for the extra expenditure incurred by the Corporation is yet to be given by the Government. In case of non-sanction of the same, the Corporation may have to bear the additional cost. Actual loss to the Corporation in this regard cannot be quantified and consequently its effect on Profit, General Reserve & Current Assets is unascertainable.
5. Refer Accounting Policy No. 1.2 (F), wherein the Corporation has made change in the accounting policy of loading 9% Centage charges on BOT Projects in earlier years to loading of actual administrative expenses of units and proportionate share of Head Office overheads to these BOT Projects in the Financial year 2006-07 & 2007-08. The impact of this change in accounting policy on earlier years is unascertainable.
6. While verifying the Profit / Loss on construction works other than those awarded purely on actual cost plus basis,, it has been observed that :-
 - (i) Corporation is calculating profit / loss on such works by deducting direct cost incurred from total value of work done which is calculated on the basis of work certified by the client and work uncertified as per the estimate of the management. In some units the value of work uncertified has been taken based on financial values as per ledger, whereas in some units figure of work uncertified is on the basis of estimates made by concerned engineer for which no documentary proof is available. In this regard we have also observed that in some units corresponding bill of sub-contractor against work Certified / uncertified is not booked leading to improper figure of Profit / Loss.
 - (ii) In some projects the Corporation has spend more than the sanctioned cost and revised estimates are pending with the client department, profit on such projects have been determined on the basis of revised cost which is subject to approval of client department, final sanction / non-sanction of the same may affect the figure of Profit / Loss on concerned project. In the absence of complete details we cannot quantify the same.
 - (iii) The Corporation is not following the cut off date of 31st March for the purpose of billing and further the Corporation has not followed the matching concept of revenue and bills of sub-contractors are booked in the year of finalization / approval. Due to which the Profit / Loss for Tendered work fluctuates widely.
 - (iv) The Corporation is liable for maintenance of certain roads and other construction works during "Defect Liability Period" which varies from contract to contract, however the Corporation has not made any provision for the for "Estimated cost of rectification and guarantee work, including expected warranty cost", the same is not in accordance with the Accounting Standard 7 (Revised 2002) : Accounting for Construction contract, the same has resulted in overstatement of profits of the Corporation.
 - (v) Refer accounting policy No.1.2 (B) regarding recognition of Profit / Loss on Tendered work, the Corporation is including quantum of work done but not billed upto the end of financial year, even if not realized in subsequent year. In this regard we have observed there are variations between amount of work certified as per the Tender Profit & Loss statement submitted to us and the actual amount received from client as per the books of the Corporation, further few clients has withheld payment to the Corporation on various grounds and had kept the same under the head of "Misc. Deposit", the Corporation has not deducted the same while calculating profit / loss on Tender works. In the absence of complete details we cannot verify the same.

In view of the reasons as mentioned above, we are unable to comment on Tender Loss / Profit and consequently its effect on financial statements is unascertainable.

7. हास

- (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में यथाविहित दरों के अतिरिक्त अन्य दरों पर स्थिर आस्तियों पर हास के लिए प्रावधान करने के सम्बन्ध में लेखांकन नीति संख्या 1.5 को देखें। पूर्ण ब्यौरों के अभाव में लाभ एवं स्थिर आस्तियों पर इसके प्रभाव को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
 - (ii) हास पर लेखांकन नीति संख्या 1.5 को देखें। 8 बी.ओ.टी. परियोजनाओं की लागत के अपाकरण (एमोर्टीजेशन) के लिए अधिकारों की अवधि राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर ली गयी है। रियायत की अवधि (कन्सेशनल पीरियड) के लिए विशिष्ट सरकारी स्वीकृति के अभाव में हम उसका सत्यापन नहीं कर सकते तथा इस कारण से लाभ एवं स्थिर आस्तियों पर इसके प्रभाव को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
8. वित्तीय संस्थाओं से ऋणों की राशि का मिलान नहीं करने के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या XV को देखें। इस सम्बन्ध में हमने यह अवलोकन किया कि -
- वर्ष 2004-05 में निगम ने अपनी लेखा पुस्तकों के अनुसार हुडको के समस्त ऋणों का पूर्व भुगतान किया है तथा दिनांक 31.03.2008 को यथास्थिति हुडको का अतिशेष (बेलेन्स) निगम की पुस्तकों के अनुसार शून्य है। तथापि हुडको की लेखा पुस्तकों के अनुसार, निगम 342.71 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए दायी है।
9. विविध ऋणियों, लेनदारों एवं अन्य देयताओं, ऋणों एवं अग्रिमों, पथकर ऋणियों, उन क्लाइंटों से अग्रिमों के, जिनके अन्तिम रूप से किये गये पुष्टिकरण/पुनर्मिलान हमारे प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकेंगे, पुष्टिकरण/पुनर्मिलान के सम्बन्ध में टिप्पणी सं. X को देखें। उपर्युक्त में लम्बे समय से चले आ रहे कतिपय पुराने अतिशेष (बेलेन्स) शामिल हैं जिनके लिए प्रावधान करने तथा निर्धारित तरीके से अपलिखित (राइट आफ) करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। यह और भी कि पुष्टिकरण/पुनर्मिलान के अभाव में हम संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
10. लेखांकन नीति संख्या 1.8 (ग) को देखें जिसमें निगम ने अवकाश के बदले नकद भुगतान के लाभ के संबंध में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इण्डिया जारी किए गए ए. एस. 15 सेवा निवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन द्वारा का अनुसरण नहीं किया है। निगम ने अवकाश के बदले में नगद भुगतान की देयता हेतु 31.3.2000 तक 45.00 लाख रुपये का एक संचयी प्रावधान किया है। तथापि 31.3.2000 के बाद पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथा इस संबंध में वास्तविक देयता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
11. आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निगम के बैंक लेखों को कुर्क करने तथा जून, 1982 से फरवरी, 1993 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि बकायों से संबंधित 253.81 लाख रुपये की कुल मांग के पेटे 133.61 लाख रुपये वापस निकालने के संबंध में टिप्पणी सं.1 (ग) को देखें। निगम ने उसे चालू आस्तियाँ शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया है किन्तु उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। और भी, निगम ने मार्च 1993 से मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए ठेकेदारों / श्रमिकों (वर्कर्स) के संबंध में भविष्य निधि (पी.एफ) की देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। निगम ने आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आदेशों के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
12. निगम द्वारा निष्पादित किए गए विभिन्न कार्यों के बिलों में से कतिपय क्लाइंटों द्वारा की गयी कटौतियों के संबंध में टिप्पणी सं. X को देखें। निगम ने उन कटौतियों के लिए किसी हानि का प्रावधान नहीं किया है जो निगम द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं। विभिन्न क्लाइंटों द्वारा की गयी कटौतियों के संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है तथा इस संबंध में निगम की वास्तविक देयता का सुनिश्चयन नहीं किया जा सकता।
13. 350 लाख रुपये की राशि के सैण्टेज प्रभारों में दरों के अन्तर के कारण विवाद के संबंध में टिप्पणी सं. XIV को देखें। उक्त राशि में से 63.10 लाख रुपये वर्ष 2000-01 में लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किये गये तथा 217.03 लाख रुपये वर्ष 2004-05 में इस राशि में से वसूल किए गए। तथापि 69.87 लाख रुपये के बकाया सैण्टेज प्रभारों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निगम राजस्थान सरकार के आदेश सं. एफ 8(27) पी डब्लू 79/964 दिनांक 02.08.2003 को ध्यान में रखते हुए इसकी वसूली होने के प्रति आशावान है। इस आदेश में सैण्टेज की उस दर की प्रयोज्यता के लिए सहमति दी गयी है जो उस दिनांक को, जिसको कि कार्य का आदेश दिया गया था, प्रयोज्य थी। फिर भी, उसकी वसूलीयता के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

- 7) Depreciation
- (i) Refer Accounting Policy No. 1.5 regarding providing of depreciation on fixed assets at rates other than the rates as prescribed in schedule XIV of the Companies Act, 1956. In absence of complete details impact of the same on profits as well as on fixed assets is unascertainable.
 - (ii) Refer accounting Policy No. 1.5 on depreciation, period of rights for amortization of cost of 8 B.O.T. project have been taken on the basis of Project Report submitted to the Government of Rajasthan. In the absence of specific government sanction for concession period we cannot verify the same and consequently its effect on profit and fixed assets is unascertainable.
- 8) Refer Note No. XVI regarding non-reconciliation of amount of loans from financial institutions, in this regard we have observed that:-
- During the year 2004-05 the Corporation has made prepayment of all HUDCO loans as per its books of accounts and the balance of HUDCO as on 31.03.2008 is Nil as per books of the Corporation. However as per books of accounts of HUDCO, the Corporation is liable to pay Rs. 342.71 lacs.
- 9) Refer Note No. X regarding confirmation / reconciliation of Sundry Debtors, Creditors and other liabilities, Loans and Advances, Toll Debtors, Advances from Clients whose final confirmation / reconciliation may effect our disclosure. The above includes certain old balances lying since long time for which time bound program should be made for provisioning and writing it off in the phased manner. Further in the absence of confirmation / reconciliation we cannot comment regarding adequacy of provision for doubtful debts and advances.
- 10) Refer Accounting policy No. 1.8(C), wherein the Corporation has not followed AS-15 "Accounting for Retirement Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India in respect of leave encashment benefit. The Corporation had made a cumulative provision for Rs.45.00 lacs upto 31.03.2000 towards leave encashment liability however no provision has been made in the books after 31.03.2000 and actual liability in this regards is not ascertainable.
- 11) Refer Note No. I(c) regarding attachment of the bank accounts of the Corporation by the Commissioner, Employee Provident Fund Organization and withdrawing Rs. 133.61 lacs against the total demand of Rs. 253.81 lacs pertaining to PF dues for the period June 1982 to February 1993. The Corporation has classified the same under the head of Current Assets and no provision has been made against the same. Further the Corporation has not made any provision for the liability of PF regarding contractors worker for the period March 1993 to March 2008 The Corporation has filed a appeal against the order of Commissioner, EPF organization and the matter is sub-judice, hence we cannot comment on the same.
- 12) Refer Note No. X regarding deductions made by certain clients out of bills of various works executed by the Corporation, the Corporation has not provided any loss against the deductions which are not accepted by the Corporation. Complete information in respect of deductions made by various clients is not available and actual liability of Corporation in this regard cannot be ascertained.
- 13) Refer Note No. XIV regarding dispute on account of rate difference in centage charges amounting to Rs. 350 lacs .Out of the above amount Rs. 63.10 lacs were charged to Profit & Loss account in the year 2000-01 and Rs.217.03 lacs were recovered in the year 2004-05 out of such amount however no provision has been made for the balance centage charges of Rs.69.87 lacs, as the Corporation is hopeful of its recovery in view of Govt. of Rajasthan's order No. F-8(27)PW/79/967 dated 02.08.2003 giving consent for applicability of rate of centage as was applicable on the date on which work order was placed. However we cannot comment on recoverability of the same.

14. निगम के लाभ व हानि लेखे में, निगम की कुल टर्न ओवर एवं प्रत्यक्ष संविदा व्ययों का प्रकटन नहीं किया गया है। यह कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के प्रावधानों का उल्लंघन है।
15. न्यायनिर्णयन (एण्डजूडीकेशन)/अपील, अवधारित न की जाने योग्य राशि, के लम्बित रहने के अधीन कामगारों/ठेकेदारों/प्राइवेट पार्टियों के दावों के संबंध में आकस्मिक देयताओं के लिए टिप्पणी सं. (1) (क) देखें। इस संबंध में यह देखा गया कि उपरिवर्णित पक्षकारों के दावों (क्लेम्स) के संबंध में आकस्मिक देयताओं की मात्रा ज्ञात करने के लिए निगम के पास कोई प्रणाली नहीं है। अतः इस राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसके कारण इस संबंध में आकस्मिक देयताओं की राशि का प्रकटन नहीं हो रहा है। पूर्ण ब्यौरों के अभाव में, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा यह लेखांकन मानक 29 'आवधान, आकस्मिक देयतायें एवं आकस्मिक आस्तियाँ' के अनुसार नहीं हैं।
16. निगम ने वर्ष 1997-98 से 2001 - 2002 के दौरान क्रय किये गये सीमेंट से संबंधित अन्तरीय (डिफरेंसियल) विक्रय कर को उन्हीं कार्यों के लेखे में नामे लिखा है जिन पर पूर्व वर्षों में उस सीमेंट को उपयोग में लिया गया था। लागत एवं कार्यों (कोस्ट प्लस वर्क्स) के कार्यों में उपयोग की गई सीमेंट के संबंध में, निगम ने इस राशि पर सेंटेज प्रभारों के लिए दावा भी किया है। इस संबंध में यह देखा गया है कि इनमें से बहुत से कार्य पहले ही बन्द हो चुके हैं तथा क्लाइण्टस से इस राशि की वसूली सन्देहपूर्ण है एवं निगम ने संबंधित क्लाइण्टों से इस देयता की स्वीकृति भी हमें प्रदान नहीं की है, अतः हम इस की वसूली की स्थिति (स्टेटस) पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
17. पट्टाधृति (लीज होल्ड) भूमि के ब्यौरों एवं स्वत्व विलेखों (टाइटिल डीड्स) के अभाव में, उसके कारण उठने वाली पट्टाधृति भूमि एवं देयता के मूल्य की सत्यता के बारे में हम कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
18. निम्नलिखित इकाइयों के बैंक अतिशेषों की पुष्टि/मिलान किया जाना है :

क्रम सं.	इकाई का नाम	बैंक का नाम	राशि रुपयों में
1.	जयपुर सिविल-II	सिण्डीकेट बैंक	4562/-
2.	भरतपुर	एस.बी.बी.जे.	26415/-
3.	अलवर	विवरण अनुपलब्ध	250356/-

19. विभिन्न इकाइयों पर 6958831 रुपये की बकाया देयतायें लम्बे समय से चल रही हैं जिसके संबंध में कम्पनी के पास कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
20. छठे वेतन आयोग की सिफारिश के कारण दिनांक 01.01.07 से 31.03.08 तक की अवधि के लिए वेतन में वृद्धि की बकायायों (एरियर्स) के संबंध में 365.70 लाख रुपये की देयता हेतु प्रावधान के बारे में टिप्पणी सं. XXIV को देखें। इसके लाभ तथा देयता पर भी प्रभाव का सुनिश्चयन नहीं किया जा सकता।

कृते डी. आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स

ह/-

(विपिन कानूनगो)

भागीदार

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28.11.2008

- 14) In the Profit and Loss account of the Corporation the total turnover of the Corporation and direct contract expenses have not been disclosed which is violation of provisions of Schedule VI of the Companies Act, 1956.
- 15) Refer Note No. (I)(a) regarding contingent liabilities in respect of "Claims of Workmen / Contractors / Private Parties pending adjudication / Appeal – Amount unascertainable". In this regard it has been observed that the Corporation does not have a system to Quantify Contingent liabilities in respect of claims of the parties mentioned above, hence the amount could not be ascertained leading to non-disclosure of amount of contingent liabilities in this regard. In the absence of complete details we cannot comment on the same, further the same is not in accordance with A.S. 29: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
- 16) The Corporation has debited differential sales tax pertaining to cement purchased during the year 1997-98 to 2001-02 to the accounts of concerned work on which such cement was used in earlier years. In respect of cement used in works of cost plus works, the Corporation has also claimed centage charges on such amount. In this regard it has been observed that most of these works are already closed and recovery of this amount from clients is doubtful and the Corporation has not provided us with acceptance of this liability from concerned clients, hence we cannot comment on recoverability of the same.
- 17) In absence of details and Title Deeds of Leasehold Land, we are unable to comment on correctness of value of leasehold land and liability, if any, arises on account of that.
- 18) Bank Balance of following units are subject to confirmation/ reconciliation :-

S.No.	Name of Unit	Name of Bank	Amount in Rs.
1	Jaipur Civil-II	Syndicate Bank	4562/-
2	Bharatpur	SBBJ	26415/-
3	Alwar	Detail not available	250356/-

- 19) Outstanding Liabilities Amounting Rs. 6958831/- at various unit is outstanding since long in respect of which no detail available with the company.
- 20) Refer Note no XXIV regarding provision for liability of Rs. 365.70 lacs. In respect of arrears of increase in salary for the period from 01/01/07 to 31/03/08 due to recommendation of Sixth Pay Commission. In the absence of detailed calculation for above provisioning, impact of the same on profit as well as liability is unascertainable. .

For **D.R. MOHNOT & CO,**
Chartered Accountants

Sd/-
(VIPIN KANOONGO)
Partner

Place : Jaipur
Dated : 28.11.2008

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च 2008 को यथास्थिति तुलन पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
I	निधियों के स्रोत			
1	अंश धारकों की निधियाँ			
	(क) पूँजी	ःक	100000000	100000000
	(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	ःख	284178629	229271239
			384178629	329771239
2	ऋण निधियाँ			
	(क) प्रतिभूत ऋण		251774619	329745642
	(ख) अप्रतिभूत ऋण	ःग	0	260705119
3	आस्थगित कर देयता			1487313
	योग (1) + (2) + (3)		635953248	921209313
II	निधियों का प्रयोग			
1	स्थिर आस्तियाँ	ःघ		
	क) बीओटी को छोड़कर अन्य सकल आस्तियाँ		119130415	118506072
	घटाइए : हास		100213355	97263784
	शुद्ध समूह		18917060	21242288
	ख) बी.ओ.टी. आस्तियाँ		1102706054	914987748
	घटाइए : अपलिखित राशि		457328358	316000951
	शुद्ध समूह		645377696	598986797
	योग (क+ख)		664294756	620229085
2	आस्थगित कर आस्तियाँ		6501523	
3	चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	ःङ		
	क) स्टॉक/कार्य प्रगति पर		3420084474	2826453309
	ख) विविध देनदार		585261957	574664973
	ग) नकद एवं बैंक अतिशेष		1418688384	1070997654
	घ) अन्य चालू आस्तियाँ		23362431	9018623
	ङ) ऋण एवं अग्रिम		428027586	736616762
			5875424832	5217781321
घटाइए	चालू देयतायें एवं प्रावधान	ःच		
	(क) चालू देयता में		5887768683	4911056228
	(ख) प्रावधान		23099180	6544865
			5910867863	4917601093
	शुद्ध चालू आस्तियाँ		-35443031	300180228
4	विविध व्यय			
	अपलिखित या समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक चाणक्यपुरी गेस्ट हाउस, नई दिल्ली में ठहरने का व्यय)		600000	800000
	योग (1) + (2) + (3) + (4)		635953248	921209313
	लेखों एवं लेखांकन नीतियाँ के भाग रूप में टिप्पणी	ःट		

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते डी.आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक बोर्ड की ओर से

ह/-
(विपिन कानूनगो)
भागीदार

ह/-
(एम.के. जैन)
वित्तीय सलाहकार

ह/-
(आर.के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

ह/-
(एम.एल. माथुर)
प्रबन्ध निदेशक

ह/-
(डी.सी. कटारा)
निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28 नवम्बर, 2008

**RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2008**

S.No.	Particulars	Schedule	As at 31st March 2008 (Rs.)	As at 31st March 2007 (Rs.)
I	SOURCE OF FUNDS			
1	SHARE HOLDER'S FUNDS			
	(a) Capital	'A'	100000000	100000000
	(b) Reserve & Surplus	'B'	284178629	229271239
			384178629	329271239
2	LOAN FUNDS	'C'		
	a) Secured Loans		251774619	329745642
	b) Unsecured Loans		0	260705119
3	DEFERRED TAX LIABILITY		-	1487313
	Total (1) + (2) +(3)		635953248	921209313
II	APPLICATION OF FUNDS			
1	FIXED ASSETS	'D'		
	a) Gross Assets other than BOT		119130415	118506072
	Less : Depreciation		100213355	97263784
	Net Block		18917060	21242288
	b) BOT Assets		1102706054	914987748
	Less : Amount written off		457328358	316000951
	Net Block		645377696	598986797
	Total (a+b)		664294756	620229085
2	DEFERRED TAX ASSETS		6501523	
3	CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	'E'		
	a) Stock/Work in progress		3420084474	2826453309
	b) Sundry Debtors		585261957	574664973
	c) Cash & Bank Balance		1418688384	1070997654
	d) Other Current Assets		23362431	9018623
	e) Loans & Advances		428027586	736646762
			5875424832	5217781321
	LESS :			
	CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	'F'		
	(a) Current Liabilities		5887768683	4911056228
	(b) Provisions		23099180	6544865
			5910867863	4917601093
	Net Current Assets		-35443031	300180228
4	MISCELLANEOUS EXPENDITURE to the extent not written off or adjusted			
	Expenditure towards accomodation in Chankayapuri Guest House, New Delhi		600000	800000
	Total (1) + (2) + (3) + (4)		635953248	921209313
	Notes forming part of the accounts and accounting Policies	'K'		

As per our report of even date

For D.R. Mohnot & Co.

Chartered Accountants

On behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Vipin Kanoongo)
Partner

Sd/-
(M. K. Jain)
Financial Advisor

Sd/-
(R.K. Singhal)
Company Secretary

Sd/-
(M.L. Mathur)
Managing Director

Sd/-
(D.C. Katara)
Director

Place : Jaipur

Date : 28 November, 2008

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्ष 2007-08 के लिए (रुपये)	वर्ष 2006-07 के लिए (रुपये)
आय				
	परिचालन प्राप्तियाँ	±छ	363726128	254972849
	अपरिचालन प्राप्तियाँ	±ज	31249708	9742555
			394975836	264715404
व्यय				
	संयंत्र चलन व्यय किराया प्रभारों का शुद्ध		-	27115
	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	±झ	120621302	78082135
	अन्य प्रशासनिक व्यय	±ञ	32018010	30043647
	ब्याज भुगतान	ज (I)	31497016	22969811
	बी.ओ.टी के अतिरिक्त अन्य आस्तियों के लिए ह्रास	±घ	2924163	3599294
	बी.ओ.टी के पेटे अपलिखित की गई राशि	घ (i)	143032068	124479714
			330092559	259201716
कराधान से पूर्व लाभ / (हानि)			64883277	5513688
	जोड़िए/घटाइए : पूर्व अवधि के समायोजन		230785	-876775
	कराधान के लिए प्रावधान			
	चालू कर		-7483037	-424125
	आस्थागित कर प्रभार (क्रेडिट)		7988836	-1486336
	फ्रिज बेनीफिट कर		-1144914	-856828
	प्रावधान और अधिक आवश्यक नहीं		54876	6775000
	विनियोग के लिए प्राप्य लाभ		66606890	8644624
	प्रस्तावित लाभांश		10000000	2500000
	वितरित लाभ पर कर		1699500	424875
	जनरल रिजर्व में अन्तरित लाभ/(हानि)		54907390	5719749
	प्रति शेयर आय (प्रति शेयर 100 रुपये मूल्य पर) (देखें टिप्पणी संख्या XXVI)		66.61	8.64
	लेखों एवं लेखांकन नीतियों के भाग रूप में टिप्पणी	±ट		

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते डी.आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक बोर्ड की ओर से

ह/-
(विपिन कानूनगो)
भागीदार

ह/-
(एम.के. जैन)
वित्तीय सलाहकार

ह/-
(आर.के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

ह/-
(एम.एल. माथुर)
प्रबन्ध निदेशक

ह/-
(डी.सी. कटारा)
निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28 नवम्बर, 2008

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2008

Particulars	Schedule	For the year 2007-08 (Rs.)	For the year 2006-07 (Rs.)
INCOME			
Operating Receipts	'G'	363726128	254972849
Non-Operating Receipts	'H'	31249708	9742555
		394975836	264715404
EXPENDITURE			
Plant running expenses net of hire charges			27115
Payment to & Provision for Employees	'I'	120621302	78082135
Other Administrative Expenses	'J'	32018010	30043647
Interest Payment	J (i)	31497016	22969811
Depreciation for Assets other than BOT	'D'	2924163	3599294
Amount written off against BOT	D1	143032068	124479714
		330092559	259201716
Profit/(Loss) before Taxation		64883277	5513688
Add/Less : Prior Period Adjustment		230785	-876775
Provision for Taxation			
Current Tax		-7483037	-424125
Deferred Tax Charge (Credit)		7988836	-1486336
Fringe Benefit Tax		-1144914	-856828
Provision No More Require		54876	6775000
Profit available for appropriation		66606890	8644624
Praposed Dividend		10000000	2500000
Tax on Distributed Profit		1699500	424875
Profit/(Loss) transferred to General Reserve		54907390	5719749
Earning Per Share (per value Rs. 100/- per share) (Refer Note No. XXVI)		66.61	8.64
Tax on distributed profit			
Notes forming part of the accounts and accounting Policies	'K'		

As per our report of even date

For D. R. Mohnot & Co.
Chartered Accountants

On behalf of the Boards of Directors

Sd/-
(Vipin Kanoongo)
Partner

Sd/-
(M. K. Jain)
Financial Advisor

Sd/-
(R.K. Singhal)
Company Secretary

Sd/-
(M.L. Mathur)
Managing Director

Sd/-
(D.C. Katara)
Director

Place : Jaipur
Date : 28-11-2008

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

शेयर पूँजी
अनुसूचीहःक'

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
प्राधिकृत पूँजी		
2000000 इक्विटी अंश प्रत्येक 100/- रुपये	200000000	200000000
निर्गमित अभिदत्त एवं समादत्त	100000000	100000000
(1000000 (गत वर्ष 1000000) इक्विटी अंश प्रत्येक 100/- रुपये के पूर्ण समादत्त)	100000000	100000000

आरक्षित एवं अधिशेष
अनुसूचीहःख'

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
साधारण रिजर्व		
गत वर्ष के अनुसार	229271239	223551490
जोड़िए/घटाइए : (लाभ एवं हानि लेखों से अन्तरित लाभ/(हानि)	54907390	5719749
	284178629	229271239

ऋण
अनुसूचीहःग'

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
प्रतिभूत ऋण :-		
बैंक ऑफ राजस्थान से अवधि ऋण (चालू आस्तियों के अडमान (रहन) के रूप में प्रतिभूत)	251774619	329745642
योग	251774619	329745642
अप्रतिभूत ऋण		
आईसीआईसीआई/एनसीआरपीबी से ऋण (मूलधन की अदायगी एवं ब्याज संदाय के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गारण्टी प्रदत्त)	0	260705119
योग	0	260705119

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
SHARE CAPITAL
SCHEDULE - 'A'

	As at 31st March 2008 (Rs.)	As at 31st March 2007 (Rs.)
<u>AUTHORISED CAPITAL</u>		
2000000 Equity Share of Rs.100/- each	200000000	200000000
<u>Issued subscribed & paid up.</u>	100000000	100000000
(1000000 (Previous year 1000000) Equity Share of Rs.100/- each fully paid up)		
Total	100000000	100000000

RESERVES & SURPLUS
SCHEDULE - 'B'

	As at 31st March 2008 (Rs.)	As at 31st March 2007 (Rs.)
<u>GENERAL RESERVE</u>		
As per last year	229271239	223551490
Add/ Less : (Profit/ Loss Transferred from P&L A/c)	54907390	5719749
Total	284178629	229271239

LOANS
SCHEDULE - 'C'

	As at 31st March 2008 (Rs.)	As at 31st March 2007 (Rs.)
<u>Secured loans :-</u>		
Term loan from Bank of Raj. (Secured by way of hypothecation of Current Assets)	251774619	329745642
Total	251774619	329745642
<u>Unsecured loans :-</u>		
Loan from ICICI / NCRPB (Guaranteed by the Govt. of Rajasthan for repayment of principal & payment of interest)	0	260705119
Total	0	260705119

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर
(क) बीओटी को छोड़कर सकल आस्तियाँ
अनुसूची ष-घ

विवरण	सकल समूह				हास				शुद्ध समूह		
	यथास्थिति 01.04.07 को (लागत)	वर्ष 2007-08 में अभिवृद्धि	कटौती 2007-08	31.03.08 को यथास्थिति	31.03.07 तक	वर्ष 2007-08 के लिए	बेची/अपलिखित की गई आस्तियाँ	पूर्व अवधि का हास	31.03.08 तक योग	31.03.08 को यथास्थिति	31.03.07 को यथास्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+9)	11 (5-10)	12
फ्री होल्ड भूमि	2904189	0	0	2904189	0	0	0	0	0	2904189	2904189
मुख्य कार्यालय भवन	17998960	392695	0	18391655	8737356	482715	0	0	9220071	9171584	9261604
संयंत्र एवं मशीनरी	66770203	0	0	66770203	61118495	1414891	0	0	62533386	4236817	5651708
फर्नीचर एवं फिक्सचर	3046771	82805	0	3129576	2721907	121345	0	0	2843252	286324	324864
सर्वे एवं प्रयोगशाला उपकरण	2116069	0	0	2116069	2023789	66862	0	25408	2116059	10	92280
स्टाफ वाहन	4670292	0	0	4670292	2801481	483835	0	0	3285316	1384976	1868811
कार्यालय उपकरण	4940883	116338	0	5057221	3805686	321646	0	0	4127332	929889	1135197
साईकिल	5840	0	0	5840	5840	0	0	0	5840	0	0
शटर्सिंग सामान	11411451	0	0	11411451	11411451	0	0	0	11411451	0	0
स्टाफ कल्याण यूटिलिटी	3076	0	0	3076	3076	0	0	0	3076	0	0
पुस्तकालय पुस्तकें	227013	32505	0	259518	223378	32869	0	0	256247	3271	3635
अस्थायी निर्माण	4411325	0	0	4411325	4411325	0	0	0	4411325	0	0
कुल योग	118506072	624343	0	119130415	972633784	2924163	0	25408	100213355	18917060	21242288
पूर्व वर्ष के आंकड़े	126651934	600117	8745979	118506072	102068912	3599294	8404395		97263784	21242288	24583022

(ख) बीओटी आस्तियाँ

विवरण	सकल समूह				हास				शुद्ध समूह		
	यथास्थिति 01.04.07 को (लागत)	वर्ष 2007-08 में अभिवृद्धि	वर्ष 2007-08 में कटौती	31.03.08 को यथास्थिति	31.03.07 तक	वर्ष 2007-08 के लिए	बेची/अपलिखित की गई आस्तियाँ	पूर्व अवधि का हास	31.03.08 तक योग	31.03.08 को यथास्थिति	31.03.07 को यथास्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बीओटी परियोजनायें	914987748	222315473	34597167	1102706054	314296290	143032068	0	0	457328358	645377696	598986797
पूर्व वर्ष के आंकड़े	653966820	261020928		914987748	191521237	124479714	0	0	316000951	598986797	462445583

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD., JAIPUR

(A) GROSS ASSETS OTHER THAN BOT

Schedule "D"

PARTICULARS	GROSS BLOCK			DEPRECIATION					NET BLOCK		
	As on 01.04.07 (Cost)	Addition during the year 2007-08	Deduction 2007-08	As at 31.03.08	Up to 31.03.07	For the year 2007-08	Assets sold written off	Prior period depreciation	Total upto 31.03.08	As at 31.03.08	As at 31.03.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+9-8)	11 (5-10)	12
Freehold Land	2904189	0	0	2904189	0	0	0	0	0	2904189	2904189
Head Office Building	17998960	392695	0	18391655	8737356	482715	0	0	9220071	9171584	9261604
Plant & Machinery	66770203	0	0	66770203	61118495	1414891	0	0	62533386	4236817	5651708
Furniture & Fixture	3046771	82805	0	3129576	2721907	121345	0	0	2843252	286324	324864
Survey & Lab Equipment	2116069	0	0	2116069	2023789	66862	0	25408	2116059	10	92280
Staff vehicle	4670292	0	0	4670292	2801481	483835	0	0	3285316	1384976	1868811
Office Equipment	4940883	116338	0	5057221	3805686	321646	0	0	4127332	929889	1135197
Cycle	5840	0	0	5840	5840	0	0	0	5840	0	0
Shuttering material	11411451	0	0	11411451	11411451	0	0	0	11411451	0	0
Staff Welfare Utensils	3076	0	0	3076	3076	0	0	0	3076	0	0
Library Books	227013	32505	0	259518	223378	32869	0	0	256247	3271	3635
Temporary Structure	4411325	0	0	4411325	4411325	0	0	0	4411325	0	0
Gross Total	118506072	624343	0	119130415	972633784	2924163	0	25408	100213355	18917060	21242288
Previous Year Fig.	126651934	600117	8745979	118506072	102068912	3599294	8404395		97263784	21242288	24583022

(B) BOT ASSETS

PARTICULARS	GROSS BLOCK			AMORTISATION					NET BLOCK		
	As on 01.04.07 (Cost)	Addition during the year 2007-08	Deduction 2007-2008	As at 31.03.08	Up to 31.03.07	For the year 2007-08	Assets sold written off	Prior period depreciation	Total upto 31.03.08	As at 31.03.08	As at 31.03.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BOT Projects	914987748	222315473	34597167	1102706054	314296290	143032068	0	0	457328358	645377696	598986797
Previous Year	653966820	261020928		914987748	191521237	124479714	0	0	316000951	598986797	462445583

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर



RSRDC

(क) स्थिर आस्तियाँ (बीओटी परियोजनायें)

अनुसूची -घ (i)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रकार	स्थान	3.1.03.07 को सथास्थिति	अभिवृद्धि	बटौती/ समायोजन	कुल लागत को सथास्थिति	निर्माण वर्ष 2006-07 तक अपालिखित	अपलिखित की जाने वाली लागत का अतिरिक्त	अवधि प्रारम्भ	कुल रियाजत अवधि	शुद्ध रियाजत अवधि (दिनों में)	1.04.07 को शेष अवधि (दिनों में)	वार्षिक अवधि दिनों में	संगठित शुद्ध पथ कर 2007-08	अपलिखित 2007-08	शुद्ध लाभ/ हानि 2007-08	अपलिखित कुल को सथास्थिति, शुद्ध अतिरिक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6-7)	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15	16	17	18 (16-17)	19 (9+17)	20 (8-19)
1	मासीपुल (सांगानेर-मालपुरा)	पुल	जयपुर-III	16159061			16159061	6749445	9409616	08.04.02	11 वर्ष 11 माह 1 दिन (4350 दिन)	11 वर्ष 11 माह 1 दिन (4350 दिन)	2532	366	8681270	1360158	7321112	8109603	8049458
2	पथकर बाराण नीम का थाना कोटपुरली रोड	सड़क	जयपुर-III	180946186			180946186	64788916	116157270	29.04.05	6 वर्ष 1 माह 28 दिन	1955 दिन	1255	366	36309320	33875347	2433973	98664263	82281923
3	बीओटी परियोजना नौमू अर्नालाड शहपुरा रोड	सड़क	जयपुर-III	0	222315473		222315473	11156287	222315473	01.04.05	14 वर्ष 11 महीने 22 दिन	14 वर्ष 11 महीने 22 दिन (वर्ष निर्माण अवधि 15 माह)	5015	366	28106522	16205302	11901220	16205302	206110171
4	स्टेन्थ रिंग रोड हुमानाड-सांगानेर रोड	सड़क	हुमानाड	159450491			159450491	36930345	122520146	18.02.05	10 वर्ष 1 महीना 14 दिन	9 वर्ष 2 महीने 26 दिन (3372)	2601	366	22107178	17240436	4866742	54170781	105279710
5	एचएनएच-एचओजी रोड का सुदृढीकरण पुल आरओबी सहित	सड़क एवं पुल	हुमानाड	261020928		34597167	226423761	11156287	215267474	01.07.06	16 वर्ष 11 महीने 24 दिन	15 वर्ष 2 महीने 24 दिन	5287	366	52154389	114902193	37252196	26058480	200365281
6	अलवर भिवाडी बीओटी रोड	सड़क	अलवर	196926764			196926764	129188107	67738657	19.02.04	54 महीने और 25 दिन	51 महीने एवं 5 दिन	532	366	72548911	46602159	25946752	175790266	21136498
7	मालवाडा निम्बाहेडा रोड	सड़क	उदयपुर	78443960			78443960	47241748	31202212	01.03.02	8 वर्ष 5 महीने 4 दिन (3077 दिन)	8 वर्ष 5 महीने 4 दिन (3077 दिन)	1221	366	24548763	9352997	15195766	56594745	21849215
8	बांसवाडा बाहोद रोड	सड़क	उदयपुर	22040358			22040358	18241442	3798916	04.11.01	6 वर्ष 6 महीने (2371 दिन)	6 वर्ष 6 महीने (2371 दिन)	398	366	8166560	3483476	4673084	21734918	305440
	योग रूप्ये			914987748	222315473	34597167	1102706054	314296290	788409764						252622913	143032068	109590846	457328558	645377696

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD., JAIPUR

RSRDC



FIXED ASSETS (BOT PROJECTS)

Schedule 'D' (i)

S. No.	Name of Project	Type	Site	As at 31.03.07	Additions	Deduction Adjustment	Total Cost as at 31.03.08	Write off upto F.Y. 2006-07	Balance of Cost to be written off	Period beginning from	Total concession period	Net concession period	Period remaining on 1.4.07 (Days)	Current yr period in days	Net toll collected 2007-08	Write off 2007-08	Net profit/ loss 2007-08	Total amount W/O	Net Balance as at 31.03.08
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6-7)	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15	16	17	18 (16-17)	19 (9+17)	20 (8-19)
1	Massi Bridge (Sanganer-Malpura)	Bridge	Jaipur-III	16159061			16159061	6749445	9409616	08.04.02	11yrs. 11months 1day (4350 days)	11yrs. 11months 1day (4350 days)	2532	366	8681270	1360158	7321112	8109603	8049458
2	Toll Challa Neem ka Thana Kotputali Road	Road	Jaipur-III	180946186			180946186	64788916	116157270	29.04.05	6 yrs. 1 month 28 days	1955 days	1255	366	36309320	33875347	24333973	98664263	82281923
3	BOT Project Chomu-Ajigarh Shaapura Road	Road	Jaipur-III	0	222315473		222315473		222315473	01.04.05	14 Year 11 month 22 days	14 Year 11 month 22 days (Const. period of 15 Months)	5015	366	28106522	16205302	11901220	16205302	206110171
4.	Strengthening road Hanumangarh Ganganagar Road	Road	Hanumangarh	159450491			159450491	36930345	122520146	18.02.05	10 Year 1 month 14 days	9 yrs. 2 months 26 days (3372)	2601	366	22107178	17240436	4866742	54170781	105279710
5.	Strengthening road of HNH-SOG road including bridge ROE	Road & Bridge	Hanumangarh	261020928		34597167	226423761	11156287	215267474	01.07.06	16 Years 11 month 24 days	15 yrs. 2 months 24 days	5287	366	52154389	114902193	37252196	26058480	200365281
6.	Alwar Bhiwadi BOT Road	Road	Alwar	196926764			196926764	129188107	67739657	19.02.04	54 months and 25 days	51 months and 5 days	532	366	72548911	46602159	25946752	175790266	21136498
7.	Mangalwar-Nimbahera Road	Road	Udaipur	78443960			78443960	47241748	31202212	01.03.02	8 yrs. 5 months 4day (3077 days)	8 yrs. 5 months 4day (3077 days)	1221	366	24548763	9352997	15195766	56594745	21849215
8.	Banswara Dahod Road	Road	Udaipur	22040358			22040358	18241442	3798916	04.11.01	6 yrs. 6 months (2371 days)	6 yrs. 6 months (2371 days)	388	366	8166560	3493476	4673084	21734918	305440
	Total Rs.			944987748	222315473	34597167	1102706054	314296290	789409764						252622913	143032068	109590846	457328358	645377696

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम
अनुसूची द्वःड'

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
(क) स्टॉक/कार्य प्रगति पर (मूल्यांकित एवं प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)		
औजार एवं संयंत्र	331535	406571
गोदाम/कॉमन स्टोर में सामग्री	0	2310
मार्गस्थ स्टॉक	189249	10289
स्थान (साइट) पर माल	65923014	45944323
चालू कार्य	3353640676	2778065983
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	0	2023833
कुल योग (क)	3420084474	2826453309
(ख) विविध ऋणी		
(अप्रतिभूत प्रबन्धन द्वारा शोध्य समझे गये)		
छह माह से अधिक के बकाया ऋणी	586745274	576148290
अन्य ऋणी	0	0
घटाइएड डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-1483317	-1483317
कुल योग (ख)	585231957	574664973
(ग) नकद एवं बैंक अधिशेष		
(i) इकाइयों (यूनिट्स) में हस्तस्थ नकद		
मुख्य कार्यालय	66669	58268
	9272	1969
	75941	60237
(ii) चालू लेखे में अनुसूचित बैंकों के पास अधिशेष		
इकाइयों के बैंक खाते	22043201	16940270
मुख्य कार्यालय के बैंक खाते	100385892	37014474
मार्गस्थ प्रेषण	16871916	0
	139301009	53954744
(iii) सावधि जमाओं में	452877332	219202571
	452877332	219202571
(iv) पी.डी. खाते में जमाएँ		
ब्याज मुक्त पीडी खाते पर	82634102	797780102
	82634102	797780102
योग (ग) (i) से (iv)	1418688384	1070997654
घ अन्य चालू आस्तियाँ		
प्रोद्भूत ब्याज	19708192	9018623
स्टाफ से सम्बन्धित	3132	0
प्रोद्भूत पथकर	3651107	0
योग (घ)	23362431	9018623

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES
SCHEDULE 'E'

	As at 31st March 2008 (Rs.)	As at 31st March 2007 (Rs.)
A Stock/Work in Progress (Taken valued & as certified by the Management).		
Tools & Plants.	331535	406571
Material at Godown/ Common Stores	0	2310
Stock in Transit	189249	10289
Material at site	65923014	45944323
Work in progress	3353640676	2778065983
Capital work in progress	0	2023833
Total A	3420084474	2826453309
B Sundry Debtors (Unsecured considered good by the Management)		
Debtors outstanding over six month	586745274	576148290
Other Debtors	0	0
Less : Provision for Bad & Doubtful debts	-1483317	-1483317
Total A	585231957	574664973
C Cash & Bank Balance		
i) Cash in hand in Units	66669	58268
Head Office	9272	1969
	75941	60237
ii) <u>Balance with Schedule Bank in Current A/C</u>		
Units Bank A/C	22043201	16940270
Head Office Bank A/C	100385892	37014474
Remittance in Transit.	16871916	0
	139301009	53954744
iii) In Fixed Deposits	452877332	219202571
	452877332	219202571
iv) Deposits in PD A/C Non Interest Bearing PD A/C	82634102	797780102
	826434102	797780102
Total C (i) to (iv)	1418688384	1070997654
D Other Current Assets		
Accrued Interest	19708192	9018623
Related to Staff	3132	0
Accrued Toll	3651107	0
Total D	23362431	9018623

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
ड ऋण एवं अग्रिम (अप्रतिभूत, प्रबन्धन द्वारा शोध्य समझे गये।)		
(i) अग्रिम जो नकद में या किस्म में वसूली योग्य हैं जिनके लिए मूल्य प्राप्त किया जाना है या समायोजन लम्बित है)		
सप्लायर को अग्रिम	69979180	19952671
व्ययों के पेटे अग्रिम	397449	441246
अन्यों को अग्रिम	37234017	351750356
राजस्थान आवासन मण्डल को अग्रिम	-	52000000
राजस्थान सरकार	2250978	2250978
भविष्य निधि आयुक्त को अग्रिम	13419444	13419444
	123281068	439784695
(ii) स्टॉफ को ऋण खाद्यान्न के लिए	17312	17312
	17312	17312
(iii) आयकर (टीडीएस एवं अग्रिम कर)	57841509	45818867
	57841509	45818867
(iv) स्रोत पर काटा गया विक्रय कर एवं अग्रिम विक्रय कर	106513886	102926489
	106513886	102926489
(v) बयाना राशि एवं प्रतिभूति जमा		
क्लाइन्ट्स के पास बयाना राशि	16462703	22465703
क्लाइन्ट्स के पास प्रतिभूति	76812264	65077782
अन्यों के पास प्रतिभूति जमा	18758188	22157892
ग्राहकों के पास विविधि जमायें	27111512	36967640
	139144667	146669017
(vi) पूर्व प्रदत्त व्यय	1229144	1430382
	1229144	1430382
कुल योग ड (i) से (vi)	428027586	736646762
योग (क) से (ड)	5875424832	5217781321

	As at 31st March 2008 (Rs.)	As at 31st March 2007 (Rs.)
E <u>Loans & Advances</u> (Unsecured, considered good by the Management)		
i) Advance recoverable in cash or kind for which value to be received or pending adjustments).		
Advance to supplier	69979180	19952671
Advance against expenses	397449	441246
Advance to others	37234017	351720356
Advance to RHB		52000000
Govt. of Rajasthan	2250978	2250978
Advance to PF Commissioner	13419444	13419444
	123281068	439784695
ii) Loans to staff		
For Food Grain	17312	17312
	17312	17312
iii) <u>Income Tax (TDS & Adv. Tax)</u>	57841509	45818867
	57841509	45818867
iv) Sales Tax Deducted at Source & Advance Sales Tax	106513886	102926489
	106513886	102926489
v) <u>Earnest Money & Security deposit</u>		
Earnest Money with clients.	16462703	22465703
Security deposit with clients	76812264	65077782
Security deposit with others	18758188	22157892
Mis. Deposits with client	27111512	36967640
	139144667	146669017
vi) Prepaid Expenses.	1229144	1430382
	1229144	1430382
Total E (i) to (Vi)	428027586	736646762
Total (A to E)	5875424832	5217781321

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड

चालू देयतायें एवं प्रावधान
अनुसूचीह-च'

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
चालू देयतायें		
क. प्रदाय किये गए माल एवं की गई सेवाओं के लिए विविध लेनदार		
व्ययों/क्रय के लिए लेनदार	283702654	166571036
1. माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर बकाया देय विविध लेनदार	0 283702654	
योग	283702654	
अदत्त वेतन	885078	841202
पथकर के लिए लेनदार	531031464	494210542
खरीदे गये माल के लिए देयता जिनके बिल अभी आने हैं	636707	636707
विक्रय कर के लिए देयता	18068982	18068982
ऋणियों के खाते में क्रेडिट अतिशेष	-	169936
पार्टियों को अग्रिम में क्रेडिट अति शेष	65253	101898
स्टाफ को अग्रिम में क्रेडिट अति शेष	22164	21504
(क)	834412302	680621807
ख. ठेकों के पेटे समायोजन योग्य प्राप्तियाँ (क्लाइण्ट्स से अग्रिम)	4326650138	3622066273
राजस्थान सरकार (सीडमनी एवं पथकर परियोजनाओं पर ब्याज)	219875781	219875781
संविदा लेखा	55986407	51701387
(ख)	4602512326	3893643441
ग. अन्य देयतायें		
बयाना राशि	88508130	47757539
आयकर/विक्रय कर	1449039	3672897
प्रतिभूति जमाएँ	280216435	224134570
प्रेषण पर्यन्त वसूलियाँ	149698	340260
मध्यस्थ (आर्बिट्रेशन) शुल्क	238431	238431
अन्य देयतायें	18296440	5054366
(ग)	388858173	281198063
घ. विविध जमाएँ		
1. आयातित सीमेन्ट के लिए जमा	9189543	9189543
घटाइए : सीमेन्ट सप्लाई की अनन्तिम (अस्थायी) सप्लाई	7925645	7925645
	1263898	1263898
2. अन्य	60721984	54329019
योग (1 व 2)	61985882	55592917
योग (क से घ)	5887768683	4911056228
प्रावधान		
क) कराधान	11103027	3619990
ख) एफबीटी के लिए प्रावधान	296653	0
ग) प्रस्तावित लाभांश एवं उस पर कर	11699500	2924875
	23099180	6544865
कुल योग (क से घ)	5910867863	4917601093

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS
SCHEDULE 'F'

	As at 31st March 2008 (Rs.)	As at 31st March 2007 (Rs.)
<u>Current Liabilities</u>		
A Sundry Creditors for goods <u>Supplied & Services rendered</u>		
Creditors for Expenses/ Purchases	283702654	166571036
1. Out standing dues to Micro, Small and Medium Enterprises	Nil	
2. Other Creditor	283702654	
Total	283702654	
Unpaid Salaries	885078	841202
Creditors for Toll	531031464	494210542
Liability for material purchased but bills awaited	636707	636707
Liability for Sales Tax	18068982	18068982
Credit Balance in Debtors Account		169936
Credit Balance in Adv. to parties	65253	101898
Credit balacne in Adv. to staff	22164	21504
(A)	834412302	680621807
B <u>Adjustable receipt against contracts</u> (Advance from clients)	4326650138	3622066273
Govt. of Raj. (seed money & intt. on Toll projects)	219875781	219875781
Contract A/c	55986407	51701387
(B)	4602512326	3893643441
C <u>Others Liabilities.</u>		
Earnest money	88508130	47757539
Income Tax/ Sales Tax	1449039	3672897
Security Deposit	280216435	224134570
Recoveries pending remittances	149698	340260
Arbitration fees	238431	238431
Other liabilities	18296440	5054366
(C)	388858173	281198063
D <u>Miscellaneous Deposit</u>		
1) Deposit for imported cement	9189543	9189543
<u>Less :</u>		
Provisional price of cement supply	7925645	7925645
	1263898	1263898
2) Others	60721984	54329019
(D)	61985882	55592917
Total (A to D)	5887768683	4911056228
Provisions		
a) Taxation	11103027	3619990
b) Provisions for F.B.T.	296653	0
c) Proposed dividend & tax thereon	11699500	2924875
	23099180	6544865
Grand Total (A to D)	5910867863	4917601093

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
परिचालन प्राप्तियाँ
अनुसूची ङ

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
सेन्टेज प्रभार	108408217	76853039
निविदा कार्यों पर लाभ	-310803	5616713
2006-07	2007-08	
लाभ	11918707	10960486
हानि	5301994	11271289
भण्डारण प्रभार	2952084	1263655
मशीन किराया प्रभार	53717	0
आय	29006621	
घटाइए : प्लाण्ट रनिंग व्यय	28952904	
बी.ओ.टी. पथकर संग्रहण	252622913	170239442
योग	363726128	254972849

अपरिचालन प्राप्तियाँ
अनुसूची ङ

एफ.डी.आर. एवं पी.डी. लेखे पर ब्याज	27204061	5332274
विविध प्राप्तियाँ	4045647	2967018
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	0	1431231
आयकर पर ब्याज	0	12032
योग	31249708	9742555

कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान
अनुसूची ङ

क	स्टाफ को वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि आदि (प्रबन्ध निदेशक को 475584/- रुपये सहित) पिछले वर्ष में 431888/- रुपये	108158296	65655543
ख	पेंशन निधि एवं ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	7609983	7241088
ग	राज्य नवीनीकरण निधि में अंशदान	1000000	1000000
घ	कर्मचारी कल्याण पर व्यय	3853023	4185504
योग		12062132	78082135

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्रशासनिक व्यय
अनुसूची-÷ज'

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
विज्ञापन	735174	437086
बीमा	35743	37888
डाक, तार एवं टेलीफोन	1369232	1589556
मुद्रण व लेखन सामग्री	812312	956138
यात्रा एवं वाहन व्यय (निदेशकों के 2500/-रुपये सहित)		
पिछले वर्ष के आंकड़े रु. 84782/-रुपये	1205296	1678440
विद्युत एवं जल	1888079	1426580
किराया	606970	684200
विधिक व्यय	442026	765342
भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव	1466750	2158264
औजार एवं संयंत्र अपलिखित	0	58355
बीओटी आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव	1542112	451709
बैंक प्रभार	2053259	1797022
सदस्यता शुल्क एवं अभिदान	10800	13500
विविध व्यय	1313584	3269211
कारोबार (बिजनेस) प्रोन्नति	4546641	0
वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव	6639714	5907902
रेट्स एवं कर	619449	661151
परामर्श/डिजाइन प्रभार	5976663	5609021
नगरीय विकास कर/गृह कर	385680	1558618
आन्तरिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं यात्रा भत्ता	18020	583054
अपलिखित किए गए आस्थगित राजस्व व्यय	200000	200000

कानूनी लेखा परीक्षा का पारिश्रमिक

क	लेखा परीक्षा शुल्क	67416	44080
ख	यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति	55000	140000
ग	कर लेखा परीक्षा का शुल्क	28090	16530

योग
32018010
30043647
ब्याज का संदाय
अनुसूची-÷ज' (I)

	31 मार्च 2008 को यथास्थिति (रुपये)	31 मार्च 2007 को यथास्थिति (रुपये)
ई एण्ड आई कार्यों पर ब्याज	8859854	8054413
भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज	5148	12269
बीओटी कार्यों पर ब्याज	22632014	14903129
योग	31497016	22969811

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
ADMINISTRATIVE EXPENSES
SCHEDULE 'J'

		For the year 2007-08	For the year 2006-07
	Advertisement	735174	437086
	Insurance	35743	37888
	Postage, Telegram & Telephone	1369232	1589556
	Printing & Stationery	812312	956138
	Travelling & conveyance (including Rs.2500/- of Directors previous year figure 84782/-)	1205296	1678440
	Electricity & Water	1888079	1426580
	Rent	606970	684200
	Legal Expenses	442026	765342
	Repair & Maintenance of Building	1466750	2158264
	Tools & Plant writeoff	0	58355
	Repair & Maintenance of BOT Assets.	1542112	451709
	Bank Charges	2053259	1797022
	Membership fees & subscription	10800	13500
	Sundry Expenses	1313584	3269211
	Business Promotion	4546641	0
	Repair & Maintenance of Vehicles.	6639714	5907902
	Rates & Taxes	619449	661151
	Consultancy / Design charges	5976663	5609021
	Urban Development Tax./House Tax	385680	1558618
	Internal Auditors Remuneration & TA	18020	583054
	Deferred Revenue Expenditure W/O	200000	200000
	Statutory Audit Remundration		
a	Audit Fees	67416	44080
b	Reimbursement of Travelling Expenses	55000	140000
c	Tax Audit Fees	28090	16530
	Total	32018010	30043647

INTEREST PAYMENT
SCHEDULE 'J (I)'

		For the year 2007-08	For the year 2006-07
	Interest on E & I works	8859854	8054413
	Interest on House Building Adv. (others)	5148	12269
	Interest on BOT works	22632014	14903129
	Total	31497016	22969811

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-ःट'

लेखों एवं लेखांकन नीतियों की भाग रूप टिप्पणी

1. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 लेखांकन की पद्धति

कम्पनी निम्नलिखित लेखांकन शीर्षों के मामले को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परम्परा (कन्वेंसन) का प्रोद्भूत आधार पर अपने लेखों का संधारण कर रही है।

(क) एस्केलेशन दावे एवं परिनिर्धारित नुकसान।

(ख) निगम कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज की प्रतिपूर्ति

(ग) सरकार की अन्य उगाही, यदि कोई हो।

(घ) अवकाश के बदले में नकद भुगतान।

(ङ) प्रतिदाय एवं आयकर/विक्रय कर पर प्राप्य ब्याज।

1.2 आय

(क) लागत एवं कार्यों (कोस्ट प्लस वर्क्स) पर आय को निगम द्वारा व्यय की गई प्रत्यक्ष लागत के आधार पर मान्यता दी गयी है।

(ख) निविदा कार्यों पर लाभ/हानि को किए गए कार्यों की कुल राशि में से व्यय की गयी प्रत्यक्ष लागत को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है। इस प्रयोजन के लिए किए गए कार्यों की कुल राशि में किए गए उस कार्य की मात्रा भी शामिल है जिनके बिल वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नहीं बनाए गए हैं, चाहे वे परवर्ती वर्ष में भी वसूल नहीं हुए हों।

(ग) कम्पनी की नीति उन संविदा कार्यों पर, जिन पर कि वर्ष की समाप्ति पर 25% से कम काम किया गया है, लाभ एवं हानि को स्वीकार (रिकागनाइज) नहीं करने की रही है।

(घ) निविदा कार्यों पर भावी हानि के लिए प्रावधान वित्तीय मूल्यों के आधार पर अपूर्ण निविदा कार्यों पर किया गया है।

(ङ) बी.ओ.टी. परियोजनाओं के सम्बन्ध में सुविधाओं का उपयोगकर्ताओं से संग्रह किए गए पथकर को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब राशि देय (ड्यू) हो तथा वसूली निश्चित हो तथा यह मान्यता प्राप्त आय ऐसी सुविधाओं के रखरखाव के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्ययों की शुद्ध राशि हो।

(च) इकाइयों के वास्तविक प्रशासन व्यय एवं मुख्य कार्यालय उपरिव्ययों (ओवर हैड्स) के आनुपातिक हिस्से को पूर्व वर्षों में 9% सेण्टेज प्रभार डालने के स्थान पर, बी.ओ.टी. परियोजनाओं पर सेण्टेज प्रभारों के रूप में प्रभारित किया गया है। सेण्टेज वसूल करने की नीति को बी.ओ.टी. लेखांकन के सम्बन्ध में वर्ष 2005-06 के लिए आर.एस.आर.डी.सी. के लेखों पर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के कारण बदला गया है। लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण 2005-2006 तक के वर्षों पर प्रभाव का सुनिश्चयन नहीं किया जा सकता।

(छ) भण्डारण प्रभारों से आय को क्रय किये गए सीमेंट एवं इस्पात (स्टील) की लागत के 1% की दर पर पुस्तकांकित किया गया है।

(ज) निगम ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. एफ 8(27) पी.डब्ल्यू/79/आरटी 1 दिनांक 04-10-79 के आधार पर सरकार/अर्द्धसरकार/स्वायत्त राशि निकाय/निगम की ओर से किये गये कार्य के लिए सेण्टेज से आय को पुस्तकांकित किया है।

Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Limited

SCHEDULE - 'K'

NOTE FORMING PART OF THE ACCOUNTS & ACCOUNTING POLICIES

(1) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1.1 METHOD OF ACCOUNTING

The Company is maintaining its accounts on accrual basis following historical convention except in case of following accounting heads.

- (a) Escalation claims and liquidated damages.
- (b) Reimbursement of interest on HBA to Corporation employees.
- (c) Other levies of Govt., if any,
- (d) Leave encashment.
- (e) Refunds and interest receivable on Income Tax / Sales Tax.

1.2 INCOME

- (A) Income on cost plus works is recognized on the basis of direct cost incurred by the Corporation.
- (B) Profit/Loss on tender work has been accounted for by deducting direct cost incurred from total value of work done. For this purpose the total value of work done includes quantum of work done but not billed upto the end of financial year, even if not realized in subsequent year.
- (C) Company has the policy of not recognizing Profit & Loss on Contract work on which less than 25% of work has been done till end of the year
- (D) Provision for future loss on tender work has been made on incomplete tender works on the basis of financial value.
- (E) Toll collected from users of facility in respect of B.O.T. projects is accounted for when the amount is due and recovery is certain, and the income recognized is net of direct expenses incurred for maintenance of such facility.
- (F) Actual Administration Exp. of units & proportionate share of Head Office Overheads have been charged as centage charges on BOT projects instead of 9% centage charges loaded in earlier years. The policy of charging centage have been changed due to comments of CAG & Auditor on the accounts of RSRDC for the year 2005-06 in respect of BOT accounting. Due to change in accounting policy the impact on the year upto 2005-06 is unascertainable.
- (G) Income from Storage charges has been booked @1% of cost of cement & steel purchased.
- (H) Corporation has booked income from centage for the work done on behalf of Government/ Semi Government/ Autonomous Body/ Corporation on the basis of circular No. F-8 (27) PW/ 79/ Rt.1 dated 04.10.79 issued by Government of Rajasthan.

1.3 संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यों एवं अन्य उन कार्यों के सम्बन्ध में लेखांकन जिन पर वसूली पथकर के रूप में की जानी है

- क) कार्यों के पूर्ण होने पर निर्माण की लागत एवं सेण्टेज प्रभारों को सम्बन्धित परियोजना के पथकर ऋणी लेखे में नामे लिखा गया है तथा उसे चालू आस्तियों के अन्तर्गत दिखाया गया है ।
- ख) सरकार से प्राप्त की गयी सीड मनी को सम्बन्धित परियोजना के उक्त पथकर ऋणियों के लेखे में नामे लिखा जाता है । तथापि उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो प्रबन्धन की राय में सक्षम हैं, जहां सीडमनी पथकर में से वसूल की गयी है, उसे शीर्ष चालू देयताओं के अधीन दिखाया गया है।
- ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा वसूल किया गया ब्याज तथा गारन्टी कमीशन को सम्बन्धित पथकर ऋणियों के लेखे में नामे लिखा जाता है। पथकर के संग्रहण के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय को काटने के बाद संग्रहित पथकर के रूप में प्राप्ति को सम्बन्धित पथकर ऋणियों/लेनदारों के लेखों में जमा किया गया है।
- घ) सरकार से प्राप्त की गयी सीड मनी पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तथापि उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो प्रबन्धन की राय में सक्षम हैं, सरकार से प्राप्त सीड मनी पर ब्याज के लिए प्रावधान, निर्माण लागत, वित्तीय संस्थाओं के ब्याज, रख-रखाव एवं अन्य प्रभार, यदि कोई हों एवं निगम की निधि पर ब्याज, यदि कोई हो, का समायोजन करने के बाद उपलब्ध राशि की सीमा तक किया गया है।
- ङ) पथकर परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित पथकर ऋणियों के लेखे में प्रभारित किया गया है।
- च) कतिपय उन परियोजनाओं में, जो प्रबन्धन की राय में सक्षम हैं, स्वयं के कोष के सम्बन्ध में, विनिवेश की गई राशि के 12 प्रतिशत की दर पर स्वयं की निधियों पर ब्याज के रूप में लाभ को मान्यता दी गयी है यदि वे वास्तव में पथकर में से वसूल किए गए हैं ।

1.4. कार्य प्रगति पर

प्रगति पर कार्यों को निविदत कार्यों के लिए लागत पर तथा लागत एवं कार्य (कोस्ट प्लस वर्क्स) को लागत एवं सेण्टेज प्रभारों पर मूल्यांकित किया गया है। औजारों एवं संयंत्रों (टूल्स एण्ड प्लान्ट्स), स्थान (साइट) पर सामग्री, मशीनरी, स्पेयर्स, गोदाम पर सामग्री एवं मार्गस्थ स्टॉक को फीफो (FIFO) आधार पर संगठित लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

1.5 हास

- (क) सर्वे एवं प्रयोगशाला उपकरणों जिन पर कि हास सीधी रेखा पद्धति पर 33.33 प्रतिशत की दर से प्रावहित किया गया है, डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति पर हासित किया गया है।
- (ख) आस्तियाँ जिन पर डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति से हास प्रावहित किया गया है, उन सबको अनुसूची दखत में विहित दरों पर हासित किया गया है। किन्तु संयंत्र एवं मशीनरी, शटरिंग सामग्री एवं कम्प्यूटर के लिए हास 25 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया गया है।
- (ग) पुस्तकालय पुस्तकों में अभिवृद्धि (एडीसन) को दिनांक 1.4.86 से एवं उसके बाद 100% की दर से हासित किया गया है तथा 31.3.86 से पूर्व की क्रयों के लिए डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति पर 10 प्रतिशत की दर पर हास को प्रभारित किया गया है।
- (घ) स्थिर आस्तियों में अभिवृद्धियों/कटौतियों पर हास दिनांक 1.4.1991 से यथानुपाती आधार पर प्रभारित किया गया है।
- (ङ) निगम द्वारा स्वयं का स्वामित्व प्राप्त नहीं की गई भूमि पर बी.ओ.टी. आधार पर निर्मित आस्तियों को (उन बी. ओ. टी. परियोजनाओं के सम्बन्ध में जहाँ रियायती अवधि के लिए सरकार की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्य नहीं है) यथानुपाती आधार पर सम्बन्धित परियोजनाओं के प्रतिवेदन में दी गयी अधिकारों की अवधि में अपाकृत (एमोटाईज्ड) कर दिया गया है तथा उन बी.ओ.टी. परियोजनाओं के सम्बन्ध में जहाँ रियायती अवधि के लिए विशिष्ट सरकारी स्वीकृति प्राप्य है, उसे सरकार की स्वीकृति के अनुसार अधिकारों की अवधि में आपकृत किया गया है ।

1.3 **ACCOUNTING IN RESPECT OF INSTITUTIONALLY FINANCED WORKS AND OTHERS ON WHICH RECOVERY IS BY WAY OF TOLL.**

- a) On completion of works the cost of construction plus centage charges has been debited to toll debtor account of the concerned project and shown under current assets.
- b) Seed money received from Govt. is credited to above Toll debtor account of the concerned project however in respect of projects which are viable in the opinion of the management the same is shown under the head Current Liabilities where seed money has been recovered out of Toll.
- c) Interest charged by financial institutions and guarantee commission is debited to respective toll debtors account. Receipt by way of toll collected after netting off direct expenditure incurred for collection of toll is credited to respective toll debtors/creditors account.
- d) No provision for interest on seed money received from the Government has been made however in respect of projects which are viable in the opinion of the management, provision for interest on seed money received from Govt. has been made to the extent of money available after adjusting construction cost, Interest of financial institutions, maintenance & other charges, if any and Interest on corporations fund, if any.
- e) Actual Maintenance cost in respect of toll projects has been charged to concerned Toll debtors account.
- f) In respect of own funds invested in certain projects, which are viable in the opinion of the management, profits in the shape of interest on own funds @ 12% of amount invested have been recognized if actually recovered out of toll.

1.4 **Work in progress: -**

Work in progress is valued at cost for Tendered works and for cost plus works at cost plus Centage Charges. Tools & Plants, material at site, machinery spares, material at Godown and Stock in transit is valued at cost computed on FIFO basis.

1.5 **DEPRECIATION**

- (a) Depreciation is provided on W.D.V. method other than survey & lab, equipment for high depreciation has been charged @ 33.33% on Straight Line Method.
- (b) Assets which are depreciated on W.D.V. method have all been depreciated at the rates prescribed in Schedule – XIV, except in the case of plant & machinery, shuttering material and computer for which depreciation @ 25% has been charged.
- (c) Addition to library books are depreciated at 100% from 1.4.86 onwards and depreciation @ 10% on W.D.V. method for purchases prior to 31.03.86.
- (d) Depreciation on addition/deductions in fixed assets is charged on pro-rata basis w.e.f. 01.04.1991.
- (e) Assets constructed on land not owned by the corporation on B.O.T. basis has been amortized over the period of rights as given in project report of the concerned project on pro-rata basis (In respect of BOT Projects where specific Government sanction for concession period is not available) and in respect of BOT projects where specific Government sanction for concession period is available, the same has amortized over the period of rights as per Government sanction.

1.6 कराधान

- (क) चालू कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लाभों पर, यदि कोई हो, आय कर देयता के लिए किया गया प्रावधान है।
- (ख) आस्थगित कर व्यवहार कुशलता (प्रूडेंस) के प्रतिफल के अध्यक्षीन, टाइमिंग अन्तर पर माना जाता है, यह उस कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच का वह अन्तर है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है तथा एक या अधिक परवर्ती अवधियों में उल्टा होने में समर्थ है।
- (ग) आस्थगित कर आस्तियों को आय कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार बाद में स्वीकार किए जाने वाले असमामेलित (अनएब्जाब्ड) हास, अग्रनीत (कैरी फोरवर्ड) व्यवसाय हानियों पर स्वीकार किया जाता है।

1.7 आस्थगित राजस्व व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को 10 वर्षों की अवधि में अपलिखित किया गया है।

1.8 सेवानिवृत्ति लाभ

(क) पेंशन देयता

निगम के लाभ एवं हानि लेखे में वेतन एवं मँहगाई भत्ते के 12 प्रतिशत को नामे लिख रहा है। इसे निगम की पृथक् पेंशन निधि में जमा कराया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन इस लेखे में से भुगतान की जाती है।

(ख) ग्रेच्युटी की देयता

कम्पनी ने ग्रेच्युटी की देयता के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक '÷÷नकद संचय पॉलिसी' ले रखी है। इसके वार्षिक नवीनीकरण प्रीमियम को निगम के लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(ग) अवकाश के नकद भुगतान की देयता

अवकाश के नकद भुगतान की देयता को, 45 लाख रुपये के पुराने प्रावधान के सिवाय, नकद आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

1.9 आस्तियों का हास (इम्पेयरमेंट)

आस्तियों की ब्याज राशि (कैरिंग एकाउण्ट्स) का प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को पुनरवलोकन (रिव्यू) किया जाता है। यदि आन्तरिक/बाह्य कारणों पर आधारित हास (इम्पेयरमेंट) को कोई संकेत हो, तो जब भी किसी आस्ति की ब्याज (कैरिंग) राशि उनके वसूलनीय मूल्य से अधिक हो, हास हानि को मान्यता दी जाती है।

2. वर्ष 2007-08 के लिए लेखों के अनुलग्नक एवं उसके भाग रूप टिप्पणियाँ

(I) आकस्मिक देयतायें

निम्नलिखित के सम्बन्ध में लेखों में प्रावधान/समायोजन नहीं किए गए हैं :इ

- (क) कामगारों/ठेकेदारों/प्राइवेट पार्टियों के दावे जो न्याय निर्णयन (एडजूडीकेशन)/अपील किये जाने के कारण लम्बित हैं, अतः इसकी राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती। निगम के विरुद्ध 697.75 लाख रुपये के अवार्ड दिया गया है।
- (ख) निगम की ओर से बैंक द्वारा 17.61 करोड़ रुपये की गारण्टी दी गयी है।
- (ग) ठेकेदारों के सम्बन्ध में अंशदायी भाविष्य निधि न्यायाधिकरण के समक्ष सी.पी.एफ. देयता की 253.81 लाख की मांग विचाराधीन है। भाविष्य निधि आयुक्त ने इस मांग के प्रति निगम के बैंक लेखों को कुर्क कर लिया था। बैंक द्वारा 133.61 लाख रुपये की राशि राजस्थान भाविष्य निधि आयुक्त को भेज दी गयी थी जिसे चालू देयताओं के अधीन वर्गीकृत किया गया है। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

1.6 TAXATION

- (a) Current Tax is the provision made for Income Tax Liability, if any on the profits in accordance with the Provisions of the Income Tax Act, 1961.
- (b) Deferred Tax is recognized, subject to the consideration of Prudence, on timing difference, being the difference between the taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.
- (c) Deferred Tax Assets are recognized on unabsorbed depreciation, carry forward business losses, expenditure to be allowed later as per the provisions of the Income Tax Act, 1961, if any.

1.7 DEFERRED REVENUE EXPENDITURE

Deferred Revenue Expenditure have been w/o over a period of 10 years.

1.8 RETIREMENT BENEFITS

(a) **Pension Liability**

The corporation is debiting 12% of Pay and D.A. to the Profit and Loss account of the corporation; the same is deposited in separate Pension fund account of the corporation. Pension to retired employees is paid out of such account.

(b) **Gratuity Liability**

The company has taken a "Cash Accumulation Policy" from LIC of India for payment of Gratuity liability. Annual renewal premium of the same is charged to P & L account of the corporation.

(c) **Leave Encashment Liability**

Leave encashment liability is accounted for on Cash basis except old Provision of Rs. 45 lacs.

1.9 IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amounts of Assets are review at each Balance Sheet date. If there is any indication of Impairment based on Internal/ External factors, impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable value.

2. NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR 2007- 08: -

(I) **Contingent Liabilities:**

Provision/adjustment has not been made in the accounts in respect of:

- (a) Claims of Workmen/Contractors/Private Parties pending adjudication /appeal Amount unascertainable. Award of Rs.697.75 lacs has been passed against the Corporation.
- (b) Guarantees given by Banks on behalf on Corporation Rs.17.61 crores.
- (c) Demand of Rs. 253.81 lacs is respect of contractors, CPF liability is pending before EPF Tribunal. P.F. Commissioner had attached Bank accounts of the Corporation against this demand. A sum of Rs.133.61 lacs was remitted to RPFC by the Bank which has been classified under Current Assets; the mater is pending before Hon'ble High Court.

- (घ) आर.एस.जी.एच., नई दिल्ली के लिए ऋण के विरुद्ध 139.06 लाख रुपये की राशि के लिए रीको का दावा है।
- (II) लेखांकन नीति संख्या 1.8 (क) के अनुसार, निगम उसके अपने पेंशन लेखे में वेतन एवं मंहगाई भत्ते के 12% का अंशदान कर रहा है। इस लेखे में 31.3.2008 को यथास्थिति कुल उपलब्ध निधि 492.86 लाख रुपये की है, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन (एक्चुरियल वेल्यूएशन) के अनुसार पेंशन सम्बन्धी पिछली सेवा लाभों का मूल्य 1990.28 लाख रुपये है। 1497.42 लाख रुपये की अतिशेष राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा यह लेखांकन मानक-15 के अनुरूप नहीं है।
- (III) लेखांकन नीति संख्या 1.8(ख) के अनुसार, निगम ने भारतीय जीवन पॉलिसी के वार्षिक नवीनीकरण प्रीमियम को निगम के लाभ एवं हानि लेखे में नामे लिख रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन (एक्चुरियल वेल्यूएशन) के अनुसार, पिछली सेवा के लिए ग्रेच्युटी की देयता 31.3.2008 को यथास्थिति 279.76 लाख रुपये है जिसके पेटे, इस लेखे में 147.33 लाख रुपये उपलब्ध है। 132.43 लाख रुपये की शेष राशि के प्रति कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (IV) वर्ष 2004-05, में निगम ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त निधि से सम्बन्धित पी.डी. लेखे पर अर्जित ब्याज को जमा कराने के लिए राजस्थान सरकार से एक मांग की है। सरकार के अनुसार निगम ने उक्त निधि को ब्याज अदेय (नान बियरिंग इन्टरेस्ट) पी.डी. लेखे से ब्याज देय पी.डी. लेखे में गलत अन्तरित कर दिया है। निगम ने पहले ही इस राशि को प्रोद्भूत होने के वर्ष में अपने लाभ एवं हानि लेखे में जमा (क्रेडिट) कर दिया है। इसके पेटे कोई प्रावधान नहीं किया गया है निगम ने सरकार की कोई मांग स्वीकार नहीं की है। ब्याज अदेय पी.डी. लेखे में इस राशि को जमा कराने के लिए पूर्व में ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं किये गये थे।
- (V) 53,717/- रुपये संयंत्र चलाने की आय 2,89,52,904/- रुपये के संयंत्र चलाने के पिछले व्यय के बाद शुद्ध है। (गत वर्ष के व्यय एवं किराया प्रभार क्रमशः 1,58,04,779/- रुपये एवं 1,57,77,864/- रुपये है।)
- (VI) सप्लायर्स को अग्रिम में मैसर्स गेमन इण्डिया लिमिटेड को दिए गए 1023491/- रुपये मैसर्स एस.बी. वर्मा को 845563/- रुपये, मैसर्स बी.एस.एम. ठेकेदार को 2975636/- रुपये की राशि शामिल है जो बहुत अधिक समय से लम्बित है। इन लेखों में समायोजन यदि कोई हो, जब भी वे अन्तिम रूप से निर्णीत होंगे, किया जाएगा।
- (VII) 310803/- रुपये के लिए निविदत्त कार्यों पर लाभ को 10960486/- रुपये पर के लाभ को काटने के बाद दिखाया गया है। (गत वर्ष 6616713/- रुपये के लाभ को 5301994/- रुपये पर हानि को काटने के बाद दिखाया गया है)।
- (VIII) 31.3.2008 को यथास्थिति पी.डी. लेखे के अतिशेष में राज्य सरकार द्वारा रोकੀ गयी (फ्रीज्ड) 403.30 लाख रुपये की राशि शामिल है।
- (IX) प्रगति पर (चालू) कार्यों का विवरण (रुपये लाखों में)
- | | |
|---|------------------------|
| प्रारम्भिक अतिशेष | 27780.66 |
| वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य | 17010.06 |
| योग | <u>44790.72</u> |
| ग्राहकों के लेखे में अन्तरित राशि | 11254.31 |
| प्रगति पर कार्यों (डब्ल्यूआईपी) का अतिशेष | 33536.41 |

(d) Claim of RIICO for Rs. 139.06 lacs against loan for RSGH, New Delhi.

- (II) In accordance with Accounting Policy No. 1.8(a), the corporation is contributing 12% of Pay & D.A. to Pension account of the corporation. Total fund available in this account as on 31.03.2008 is Rs.492.86 lacs whereas as per actuarial valuation done by LIC of India, the value of past service benefits regarding Pension is Rs. 1990.28 lacs. No provision has been made against the balance amount of Rs.1497.42 lacs & is not in conformity with As-15.
- (III) In accordance with Accounting Policy No. 1.8(b), the Corporation has debited annual renewal premium of LIC policy to the P & L account of the corporation. As per actuarial valuation done by the LIC of India, liability of Gratuity for past service as on 31.03.2008 is Rs 279.76 lacs., against which, fund available in this account is Rs. 147.33 lacs. No provision has been made against the balance amount of Rs.132.43 lacs is not conformity with As-15.
- (IV) In the years 2004.05 the Corporation has received a demand from Govt. of Rajasthan to deposit interest earned on P.D. account pertaining to fund received for Police Modernisation. As per the Government the corporation has wrongly transferred the said funds from Non-interest bearing P.D. account to Interest bearing P.D. account. The corporation has already credited such interest to its P & L account in the year of accrual, No provision has been made against the same since the corporation has not accepted the demand of government because no such directions were received in past to deposit the amount in non-interest bearing P.D. account.
- (V) Plant running income of Rs. 53,717/- is net of plant running expenses of Rs. 2,89,52,904/- (previous year expenses & hire charges are Rs. 1,58,04,979/- & Rs. 1,57,77,864/- respectively).
- (VI) Advance to suppliers includes advance of Rs. 1023491/- given to M/S Gammon India Ltd. M/S S.B. Verma Rs. 845563/-, M/S BSM Contractor Rs. 2975636/- pending since long time. Adjustment if any in these accounts will be made as and when they will finally settled.
- (VII) Loss on tendered works for Rs.310803/- has been shown after netting off profit of Rs.10960486/- (Previous year profit of Rs.6616713/- has been shown after netting off loss for Rs.5301994/-)
- (VIII) Balance in P.D. account as on 31.03.2008 includes a sum of Rs.403.30 lacs freed by the State Govt.
- (IX) Detail of work in progress Account. (Rs. In Lacs.)

Opening balance	27780.66
Work executed during the year	17010.66
Total	<u>44790.72</u>
Amount transferred to client A/c	11254.31
Balance of WIP in progress	33536.41

- (X) विविध ऋणियों, लेनदारों एवं अन्य देयताओं, ऋण एवं अग्रिम, पथकर ऋणियों, ग्राहकों (क्लाइण्ट्स) से अग्रिम एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण के अतिशेषों की पुष्टि एवं मिलान किया जाना है। समायोजन, यदि कोई हो, अन्तिम रूप से मिलान/पुष्टिकरण/निपटारा होने पर किया जाएगा।
- (XI) बैंकों के पास सावधि जमाओं में 17.61 करोड़ रुपये की बैंक गारण्टियों के लिए मार्जिन मनी के पेटे रहन (प्लेज)रखी गयी 5.75 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
- (XII) वर्ष 2002-03 में निगम ने सक्षम पथकर परियोजनाओं पर विनिवेश की गई स्वयं की निधि पर रख-रखाव प्रभारों एवं ब्याज को पथकर परियोजनाओं पर आय के रूप में लेखाबद्ध करने का विनिश्चय किया है। निगम द्वारा हाथ में ली गई कतिपय पथकर परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं को जिनमें निर्माण की लागत, ब्याज एवं अन्य लागतों को पूरा करने के लिए वसूली पर्याप्त है, प्रबन्धन की राय में 'सक्षम पथकर परियोजनाओं' के रूप में समझा गया है। अक्षम (नानवाइएबिल) पथकर परियोजनाओं की दशा में पथकर परियोजनाओं पर विनिवेशित स्वयं की निधियों पर रखरखाव प्रभारों एवं ब्याज की आय को तब तक के लिए आस्थगित रखा गया है जब तक कि पथकर संग्रहण से इसकी वसूलनीयता का युक्तियुक्त सुनिश्चयन न हो। एतदनुसार निगम ने 31.3.2004 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए, सात पथकर परियोजनाओं पर कुल पथकर संग्रहण के 1.5% की दर पर रख रखाव प्रभारों के लिए 96.08 लाख रुपये प्रभारित किए हैं। और भी निगम ने 31-3-2004 तक पथकर की सम्पूर्ण अवधि के लिए समस्त सक्षम पथकर परियोजनाओं में विनिवेशित स्वयं की निधि पर ब्याज के रूप में 294.25 लाख रुपये वसूल किए हैं तथा इसके बाद समस्त पथकर कार्यों को एक इकाई (यूनिट) समझे जाने के कारण राजस्थान सरकार को पैकेज प्रस्तुत किए जाने को ध्यान में रखते हुए इसे बन्द कर दिया गया। यह लेखांकन मानक 9 : राजस्व मान्यता के अनुरूप नहीं है।
- (XIII) निगम ने कुछ कार्यों पर 531031464/-रुपये राशि की परियोजना लागत पर अधिक पथकर संग्रहित किया है तथा इसे चालू देयताओं के अधीन पथकर लेनदारों के रूप में दिखाया गया है। निगम ने संग्रहित किये गए अधिक पथकर को अन्य उन कार्यों में पथकर के हास के पेटे समायोजित करने के लिए सरकार से निवेदन किया है जिसे कि चालू देयताओं के अधीन पथकर ऋणियों के रूप में दिखाया गया है।
- (XIV) राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड एवं अन्य सरकारी निगमों/संगठनों ने सेण्टेज प्रभारों में दरों के अन्तर के कारण 350 लाख रुपये पर विवाद उत्पन्न किया है। इस राशि में से 63.10 लाख रुपये वर्ष 2000-01 में लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किये गये थे। निगम ने इस राशि में से 217.03 लाख रुपये वसूल किए हैं, तथापि 69.87 लाख रुपये के शेष सेण्टेज प्रभारों के लिए कोई प्रावधान राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ 8(27) पी.डब्ल्यू/79/967 दिनांक 2-8-2003 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है। इस आदेश में सेण्टेज की उसी दर को लागू रखने की सहमति दी गयी है जो कार्य देने के आदेश की तारीख प्रयोज्य थी।
- (XV) चूरू एवं खोले के हनुमान जी पर सर्किल के विकास पर 35,00,889/- लाख रुपये के व्यय को व्यापार एवं विक्रय बढ़ावा (बिजनेस एण्ड सेल्स प्रमोशन) व्यय के रूप में समझा गया है तथा उसे लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।
- (XVI) वर्ष 2004-05 के दौरान निगम ने अपनी लेखा पुस्तकों के अनुसार समस्त हुड़को ऋणों की पूर्व अदायगी की है तथा दिनांक 31-03-2006 को यथास्थिति हुड़को का अतिशेष निगम की पुस्तकों के अनुसार शून्य है। तथापि हुड़को की लेखा पुस्तकों के अनुसार, निगम 342.71 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए दायी है। हुड़को इसे अधित्यजित (वेब) करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव पर विचार कर रहा है तथा मामला निपटारे के अधीन है।
- (XVII) लेखांकन नीति सं. 1.5 (ड) के अनुसार, निगम ने बी.ओ.टी. परियोजनाओं पर 14,30,32,068/- रुपये अपलिखित कर उसे शीर्ष हास के अन्तर्गत दिखाया गया है।
- (XVIII) पीस रेट वर्कर /ठेकेदारों के बिलों को उनको अन्तिम रूप से निपटारे जाने/अनुमोदित किए जाने के वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है।

- (X) Balance of Sundry Debtors, Creditors and other liabilities, Loans and Advances, Toll debtors, Advance from clients and loans from financial institutions are subject to confirmation and reconciliation, Adjustment, if any will be made at the time of final reconciliation/ confirmation/ settlement.
- (XI) Fixed deposits with banks include a sum of Rs. 5.75 crores pledged against margin money for Bank Guarantee amount to Rs. 17.61 crores.
- (XII) During the year 2002-03 the Corporation has decided to account for, the maintenance charges and interest on own funds invested on the viable toll projects as income on Toll projects, out of certain toll projects undertaken by the corporation few toll projects where recovery is sufficient to recover the cost of construction, interest and other costs, have been considered as "Viable Toll Projects" in the opinion of the management. In case of non-viable toll projects the income by way of maintenance charges and interest on own funds invested on toll projects have been postponed till there is a reasonable certainty of its recoverability from Toll collection. Accordingly the corporation has charged Rs.96.08 Lacs towards maintenance charges @ 1.5% of the total toll collection of seven toll projects for the entire period of toll upto 31.03.2004. Further the corporation has charged Rs. 294.25 lacs as interest on own funds invested in all the viable toll projects fir the entire period of toll upto 31.03.2004 & thereafter it has been discontinued in view of submission of packages to Government of Rajasthan for treating all toll works as one unit. This is not conformity with As-9 (Revenue Recognition).
- (XIII) The Corporation has collected excess toll over the project cost amounting to Rs.531031464/- on few works, the same has been shown as toll creditors under Current Liabilities. The Corporation has requested Govt. to adjust excess toll collected against toll deficiency in other works, which have been shown as toll debtors under Current Assets.
- (XIV) RSEB & Other Govt. Corporations/ organizations has disputed Rs. 350 lacs on account of rate difference in centage charges, out of this amount Rs. 63.10 lacs were charged to profit & loss a/c in the year 2000-01. The Corporation has recovered Rs.217.03 lacs out of such amount however no provision has been made for the balance centage charges of Rs.69.87 lacs in view of Govt. of Rajasthan's order no. F-8 (27) PW/79/967 dated 02-08-2003 giving consent for applicability of rate of centage as was applicable on the date on which work order was placed.
- (XV) Exp. of Rs.35,00,889/- lacs on development of circle at Churu & Khole Ke Hanuman Ji has been treated as Business & Sales promotion exp. & is charged to Profit and Loss Account.
- (XVI) During the year 2004-05 the Corporation has made prepayment of all HUDCO loans as per its books of accounts and the balance of HUDCO as on 31.03.2006 is Nil as per books of the Corporation. However as per books of accounts of HUDCO, the Corporation is liable to pay Rs. 342.71 lacs. HUDCO is considering suitable proposal for waiver & matter is under settlement.
- (XVII) In accordance with accounting policy No. 1.5(e) the Corporation has w/o Rs.14,30,32,068/- on BOT Projects and shown under the head Depreciation.
- (XVIII) Bill of Piece Rate Worker contractors are accounted for in the year of finalization/ approval.

- (XIX) कम्पनी ने माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम एण्टरप्राइजेज डवलपमेंट एक्ट, 2006 जो 2 अक्टूबर, 2006 से प्रभाव में आया था, के सम्बन्ध में सप्लायर से कोई सूचना प्राप्त नहीं की है, अतः 31 मार्च, 2008 को यथा स्थिति, अदत्त राशि से सम्बन्धित प्रकटन, यदि कोई हो, अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित संदत्त / संदेय ब्याज सहित के बारे में, नहीं किया गया है।
- (XX) जयपुर में गोविन्द देव जी मन्दिर में सत्संग भवन एवं जयपुर में सेटेलाइट अस्पताल का निर्माण कराया गया है तथा बोर्ड के निर्णय दिनांक 24-8 दिनांक 20-12-06 एवं 27-9 दिनांक 27-6-07 को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य लाभ / हानि बराबर के अधार पर कराया गया है।
- (XXI) स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज की आय को मूलधन की वसूली पूर्ण होने पर, वसूल किया जाता है।
- (XXII) कम्पनी की राय में चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम, यदि वे कारोबार के साधारण क्रम में वसूले गये हैं, तो उसी मूल्य के हैं जो लेखा पुस्तकों में वर्णित हैं।
- (XXIII) निदेशकों (प्रबन्ध निदेशक सहित) को लाभों के प्रतिशत के रूप में कोई कमीशन नहीं दिया गया है/ संदेय नहीं है, अतः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 349 के अनुसार शुद्ध लाभ के संगणन को दर्शाये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (XXIV) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण अधिसूचना संख्या एफ 11 (7) एफ डी (रुल्स)/2008 दिनांक 12-9-2008 के द्वारा दिनांक 01-01-2007 से दिनांक 31-03-2008 तक की अवधि के लिए 365.70 लाख रुपये की देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 25-9-2008 को आयोजित बोर्ड की मीटिंग में संकल्प सं. 32.10 (4) द्वारा कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा उसका अनुमोदन किया गया है।
- (XXV) लेखांकन मानक 22 : करों के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर देयता निम्न प्रकार है : ङ्

विवरण	रकम (रुपये) 31.03.2008	रकम (रुपये) 31.03.2007
आस्थगित कर देयतायें (पुस्तकों एवं आयकर ह्रास में अन्तर)	-	14,87,313/-
आस्थगित कर आस्तियाँ	65,01,523/-	-
शुद्ध आस्थगित कर देयता	-	14,87,313/-
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	65,01,523/-	-
आस्थगित कर देयता पश्चलिखित	14,87,313/-	-

- (XXVI) लेखांकन मानक संख्या 20 के अनुसरण में प्रति अंश आमदनी इस प्रकार है : ङ्

विवरण	रकम (रुपये) 31.03.2008	रकम (रुपये) 31.03.2007
कर के बाद शुद्ध लाभ	6,66,06,890/-	86,44,624/-
अंशों की संख्या	10,00,000/-	10,00,000/-
अंकित मूल्य (रुपये प्रति अंश)	100/-	100/-
ई.पी.एस.-आधारभूत एवं मिश्रित (रुपये प्रति अंश)	66.61	8.64

- (XIX) The Company has not receive any information from its supplier regarding the status under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006, which came into effect from 2nd October, 2006, and hence disclosure, if any, relating to amounts unpaid as on 31st March, 2008 together with interest paid/ payable as required under the Act, have not been given.
- (XX) Construction of Satsang Bhawan at Govind Dev Ji Temple & Satellite Hospital at Jaipur have been executed on no profit / loss Basis in view of Board decision vide no. 24.8 dt. 20.12.06 & No. 27.9 dt. 27.06.07.
- (XXI) Interest income on Loans and Advances to staff are recovered on completion of recovery of principal amount.
- (XXII) In the opinion of the company, the Current Assets & Loans and Advances are of the value as stated in the accounts if realized in the ordinary course of the business.
- (XXIII) No commission has been paid/ is payable to the directors(including Managing Director) by way of percentage of profits, hence the computation of net profit in accordance with Section 349 of 'The Companies Act. 1956' is not required to be shown.
- (XXIV) Liabilities for Rs.365.70 Lacs for the period from 01.01.2007 to 31.03.2008 on account of arrear of increase in salary is provided vide Notification No. F.11 (7) FD (Rules)/2008 dt.12.09.2008 and as approve by Board of Directors of the Company Vide Resolution No.32.10 (4) in the Board meeting held on 25.09.2008 due to recommendation of Sixth copy commission.
- (XXV) Deferred Tax Liability in accordance with Accounting Standard 22 Accounting for Taxes is as under: -

PARTICULARS	AMOUNT (RS.) 31.03.2008	AMOUNT (RS.) 31.03.2007
DEFERRED TAX LIABILITIES		
Difference in Books & IT Depreciation	-	1487313/-
DEFERRED TAX ASSETS	6501523/-	-
NET DEFERRED TAX LIABILITY	-	1487313/-
Net Deferred Tax Asset.	6501523/-	-
Deferred Tax Liability written back	1487313/-	-

- (XXVI) Earning Per Share pursuant to Accounting Standard 20 is as under:-

PARTICULARS	AMOUNT (RS.) 31.03.2008	AMOUNT (RS.) 31.03.2007
Net Profit after Tax	6,66,06,890/-	8,64,4624/-
Number of Shares	1000000/-	10,00,000/-
Face Value(Rs. Per Share)	100/-	100/-
EPS-Basic & Diluted (Rs. Per Share)	66.61	8.64

(XXVII) लेखांकन मानक 17 के अनुसरण में सेगमेंट रिपोर्टिंग निगमों पर प्रयोज्य नहीं है क्योंकि यह केवल एक गतिविधि अर्थात् निर्माण गतिविधियों में ही शामिल है। उसमें कोई पृथक् प्रतिवेदन किये जाने योग्य सेगमेंट्स नहीं है।

(XXVIII) (क) सम्बन्धित पक्षकारों की सूची एवं उनका सम्बन्ध :-

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बन्ध
1.	श्री सी.एस. राजन, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग (अध्यक्ष-ईसी)	(मुख्य प्रबन्धन कार्मिक)
2.	श्री अभय कुमार, सचिव, वित्त-खख	(सदस्य कार्यकारी समिति)
3.	श्री डी.सी. कटारा, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग	(सदस्य कार्यकारी समिति)
4.	श्री एम. एल. माथुर, प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड	(सदस्य कार्यकारी समिति)

सम्बद्ध पार्टी के अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों (एण्टरप्राइजेज) के साथ सम्बन्ध एवं लेखांकन मानक 18 के पैरा 9 के अनुसार ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन के बारे में कोई प्रकटन करना आवश्यक नहीं।

(ख) सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन का ब्यौरा-

उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमेन) को फीस	18000/- रुपये
प्रबन्ध निदेशक को वेतन	475584/- रुपये

संविदात्मक दायित्वों के अधीन संदेय वेतन एवं अन्य देयों / ऋण के भुगतान के अलावा कोई लेन-देन प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक के साथ नहीं हुआ है।

(XXIX) निगम बी.ओ.टी. आधार पर निष्पादित परियोजनाओं के सम्बन्ध में धारा 80 आई.ए. के अधीन कटौती करने का पात्र है। अतः कर सलाहकार द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार 74.83 लाख रुपये की राशि के न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(XXX) अन्यथा उल्लिखित किये गये के सिवाय सभी आंकड़ों को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया गया है। पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

(XXXI) अनुसूची 'क' से 'ट' तक अनुलग्न हैं तथा 31-03-2008 को यथास्थिति लेखों का भाग रूप हैं।

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते डी.आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक, बोर्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड,
जयपुर की ओर से

ह/-
(विपिन कानूनगो)
भागीदार

ह/-
(एम.के. जैन)
वित्तीय सलाहकार

ह/-
(आर.के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

ह/-
(एम.एल. माथुर)
प्रबन्ध निदेशक

ह/-
(डी.सी. कटारा)
निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28-11-2008

(XXVII) Segment reporting pursuant to Accounting Standard 17 is not applicable on the Corporation as it is involved only in one activity i.e. construction activities and no separate reportable segments are there.

(XXVIII)(a) List of related parties and their relationships

S. No.	Name of the related party	Relationship
1.	Sh. C.S. Rajan Principal Secretary to Govt. PWD (Chairman-EC)	Key Management Personnel
2.	Sh. Abhay Kumar, Secy. Finance-Exp.-II	(Member-EC)
3.	Sh. D. C. Katara, Chief Engineer PWD	(Member-EC)
4.	Sh.M.L.Mathur, Managing Director, RSRDC Ltd.	(Member-EC)

No disclosure is required regarding related party relationship with other state Controlled enterprises and transactions with such enterprises as per para No. 9 of Accounting Standard 18.

(b)	Details of transaction with related parties, Fee to Vice Chairman	Rs. 18000/-
	Salary to Managing Director	Rs.475584/-

No transaction have taken place with key management personnel or their relatives other than payment of salary & other dues payable under contractual obligations.

(XXIX) Corporation is eligible for deduction u/s 80IA in respect of projects executed on BOT basis, therefore Provision for Minimum Alternate Tax amounting to Rs.74.83 lacs has been made as per the provisions of the Income Tax Act 1961 as per opinion given b Tax Advisor.

(XXX) All figures have been rounded upto nearest rupee except otherwise stated Figure for the previous year has been regrouped/rearranged, wherever to necessary.

(XXXI) Schedule 'A' to 'K' are annexed to and forming part of accounts as on 31st March 2008. As per our Report of even date.

For D.R. & Mohnot & Co.
Chartered Accountants

On behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Vipin Kanoongo)
Partner

Sd/-
(M.K. Jain)
Financial Advisor

Sd/-
(R.K. Singhal)
Co. Secretary

Sd/-
(M.L. Mathur)
Managing Director

Sd/-
(D.C. Katara)
Director

Place : Jaipur
Date : 28 November, 2008

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलनपत्र सारांश एवं साधारण कारोबार की रूपरेखा

पंजीयन का ब्यौरा

1. पंजीयन संख्या

0	0	1	8	5	3
---	---	---	---	---	---

राज्य कोड

1	7
---	---

2. तुलन पत्र का दिनांक

3	1	0	3	0	8
---	---	---	---	---	---

(रुपया हजारों में)

II. वर्ष के दौरान एकत्रित पूँजी (रुपये हजारों में)

सार्वजनिक निर्गम

शून्य

बोनस निर्गम

शून्य

राइट निर्गम

शून्य

प्राइवेट प्लेसमेंट

(राज. सरकार)

शून्य

III. निधियों को जुटाने एवं लगाने की स्थिति (रुपये हजार में)

कुल देयतायें

0	6	3	5	9	5	3
---	---	---	---	---	---	---

कुल आस्तियाँ

0	6	3	5	9	5	3
---	---	---	---	---	---	---

निधियों के स्रोत

समादत्त पूँजी

1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

आरक्षित एवं अधिशेष

2	8	4	1	7	9
---	---	---	---	---	---

प्रतिभूत ऋण

अप्रतिभूत ऋण

निधियों का प्रयोग

2	5	1	7	7	5
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

शुद्ध स्थिर आस्तियाँ

6	6	4	2	9	5
---	---	---	---	---	---

विनिवेश

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

आस्थगित कर आस्तियाँ

6	5	0	2
---	---	---	---

शुद्ध चालू आस्तियाँ

(-)

0	0	3	5	4	4	3
---	---	---	---	---	---	---

संचित हानियाँ

शून्य

विविध व्यय

600

IV. कम्पनी का कार्य निष्पादन (रुपये हजार में)

टर्न ओवर एवं अन्य आय

0	3	9	4	9	7	6
---	---	---	---	---	---	---

कुल व्यय

0	3	3	0	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---

कर से पूर्व लाभ

6	4	8	8	4
---	---	---	---	---

+

कर के बाद लाभ (हानि)

6	6	6	0	6
---	---	---	---	---

-

प्रति शेयर आय रुपयों में

66.61

लाभांश दर प्रतिशत

10.00

V. कम्पनी के प्रमुख तीन उत्पाद/सेवाओं का साधारण नाम (मौद्रिक भाषा के अनुसार)

मद कोड संख्या (आई.टी.सी. कोड)

अनुपलब्ध

उत्पाद विवरण

निर्माण गतिविधि

समसंख्यक दिनांक हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

निदेशक बोर्ड की ओर से

कृते डी.आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ह/-

(विपिन कानूनगो)

भागीदार

ह/-

(एम.के. जैन)

वित्तीय सलाहकार

ह/-

(आर.के. सिंघल)

कम्पनी सचिव

ह/-

(एम.एल. माथुर)

प्रबन्ध निदेशक

ह/-

(डी.सी. कटारा)

निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28-11-2008

BALANCE SHEET ABSTRACT & GENERAL BUSINESS PROFILE RAJ. STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

REGISTRATION DETAILS

1. Registration No.

0	0	1	8	5	3
---	---	---	---	---	---

 State Code

1	7
---	---
2. Balance Sheet Date

3	1	0	3	0	8
---	---	---	---	---	---

 (Rs. in thousands)

II. Capital raised during the year (Amount Rs. in thousand)

Public issue	Right issue		
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>NIL</td></tr></table>	NIL	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>NIL</td></tr></table>	NIL
NIL			
NIL			
Bonus issue	Private Placement (Govt. of Raj.)		
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>NIL</td></tr></table>	NIL	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>NIL</td></tr></table>	NIL
NIL			
NIL			

III. Position of Mobilisation and Deployment of funds (AMOUNT RS. IN THOUSAND)

Total Liabilities	Total Assets																	
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td><td>5</td><td>3</td></tr></table>	0	6	3	5	9	5	3	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td><td>5</td><td>3</td></tr></table>	0	6	3	5	9	5	3			
0	6	3	5	9	5	3												
0	6	3	5	9	5	3												
Sources of funds																		
Paidup Capital	Reserve & Surplus																	
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	0	0	0	0	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>2</td><td>8</td><td>4</td><td>1</td><td>7</td><td>9</td></tr></table>	2	8	4	1	7	9					
1	0	0	0	0	0													
2	8	4	1	7	9													
Secured Loans	Unsecured Loans																	
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td></tr></table>	2	5	1	7	7	5	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	0				
2	5	1	7	7	5													
0	0	0	0	0	0	0												
Application of Funds																		
Net Fixed Assets	Investments	Deferred Tax Assets																
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>6</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>5</td></tr></table>	6	6	4	2	9	5	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	-	-	-	-	-	-	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>6</td><td>5</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	6	5	0	2
6	6	4	2	9	5													
-	-	-	-	-	-													
6	5	0	2															
Net Current Assets																		
(-) <table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td></tr></table>	0	0	3	5	4	4	3											
0	0	3	5	4	4	3												
Accumulated Losses	Misc. Expenditure																	
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>NIL</td></tr></table>	NIL	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>600</td></tr></table>	600															
NIL																		
600																		

IV. Performance of the Company (Amounts Rs. In Thousand)

Turnover & Other Income	Total Expenditure														
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>0</td><td>3</td><td>9</td><td>4</td><td>9</td><td>7</td><td>6</td></tr></table>	0	3	9	4	9	7	6	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td></tr></table>	0	3	3	0	0	9	2
0	3	9	4	9	7	6									
0	3	3	0	0	9	2									
Profit Before Tax	+ Profit/(Loss)/after Tax														
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>6</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td>4</td></tr></table>	6	4	8	8	4	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td></tr></table>	6	6	6	0	6				
6	4	8	8	4											
6	6	6	0	6											
Earning per share in Rs.	Dividend Rate %														
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>66.61</td></tr></table>	66.61	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>10.00</td></tr></table>	10.00												
66.61															
10.00															

V. General Names of there principal product/services of the company (As per Monetary terms)

Item Code No. (ITCCODE)	N.A.
Product description	Construction Activities
As per our report of even date	
For D.R. Mohnot & Co.	On behalf of the Board of Directors
Chartered Accountants	

Sd/- (Vipin Kanoongo) Partner	Sd/- (M.K. Jain) Financial Advisor	Sd/- (R.K. Singhal) Co. Secretary	Sd/- (M.L. Mathur) Managing Director	Sd/- (D.C. Katara) Director
--	---	--	---	--

Place : Jaipur
Date : 28 November, 2008

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
01.04.2007 से 31.03.2008 तक की अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण

	31 मार्च, 08 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 07 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व का शुद्ध लाभ एवं असाधारण मर्दे जोड़िए/घटाइए-	68815612	5513688
हास	145956231	128079008
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	-	-1431231
ब्याज से आय	-27204061	-5344306
ब्याज का भुगतान	31497016	22969811
आयकर के लिए प्रावधान	-8627951	-2767289
पूर्व अवधि का समायोजन	2307852	-876775
प्रस्तावित लाभांश एवं उस पर कर	-11699500	-2924875
आस्थिगित राजस्व व्यय	200000	200000
प्रावधान अब आगे आवश्यक नहीं	54876	6775000
कार्यकारी पूँजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ समायोजन के लिए :	201300075	150193031
इनवेंटरी एवं प्रगति पर (चालू) कार्य में कमी/(वृद्धि)	-593631165	-202171721
विविध ऋणियों में कमी/(वृद्धि)	-10596984	256948311
ऋण एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	308619176	57675390
अन्य चालू देयताओं में कमी (वृद्धि)	-14343808	228333
चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	993266770	281780574
परिचालन से उत्पादित नकद	884614064	544653918
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	884614064	544653918
(ख) विनिवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
स्थिर आस्तियों का अर्जन	-190047310	-261621045
पूर्व अवधि का हास	25408	-
स्थिर आस्तियों का विक्रय	0	1772815
ब्याज से आय	27204061	5344306
विनिवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	-162817841	-254503924
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
लिया गया प्रतिभूत ऋण	-77971023	-6819090
अप्रतिभूत ऋणों की अदायगी	-260705119	-347565662
ब्याज का भुगतान	-31497016	-22969811
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	-370173158	-377354563
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि	351623065	-87204569
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	1070997654	1158202250
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद समतुल्य	1418688384	1070997654

कृते डी.आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक बोर्ड की ओर से

ह/-
(विपिन कानूनगो)
भागीदार

ह/-
(एम.के. जैन)
वित्तीय सलाहकार

ह/-
(आर.के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

ह/-
(एम.एल. माथुर)
प्रबन्ध निदेशक

ह/-
(डी.सी. कटारा)
निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28-11-2008

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD 01.04.2007 TO 31.03.2008

(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	2007-08	2006-07
Net Profit Before Tax & Extraordinary Items	68815612	5513688
Add/Less		
Depreciation	145956231	128079008
Profit on Sale of Fixed Assets		-1431231
Interest Income	-27204061	-5344306
Interest Paid	31497016	22969811
Provision for Income Tax	-8627951	-2767289
Prior Period Adjustment	2307852	-876775
Proposed dividend & tax thereon	-11699500	-2924875
Deferred Revenue Expenditure	200000	200000
Provision No More Required	54876	6775000
Operating Profit before working capital charges	201300075	150193031
Adjustment for :		
Decrease/(Increase) in Inventory & WIP	-593631165	-202171721
Decrease/(Increase) in Sundry Debtors	-10596984	256948311
Decrease/(Increase) in Loans & Advances	308619176	57675390
Decrease/(Increase) in other Current Assets	-14343808	228333
Increase/(Decrease) in Current Liabilities	993266770	281780574
Cash Generated from operation	884614064	544653918
Net Cash from Operating Activities	884614064	544653918
(B) CASH FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
Acquisition of Fixed Assets	-190047310	-261621045
Profit period depreciation	25408	
Sale of Fixed Assets	0	1772815
Interest income	27204061	5344306
Net Cash used in Investing Activities	-162817841	-254503924
(C) CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES		
Secured Loans taken	-77971023	-6819090
Repayment of Unsecured Loans	-260705119	-347565662
Interest Paid	-31497016	-22969811
Net Cash used in Financing Activities	-370173158	-377354563
Net Increase in Cash & Cash Equivalents	351623065	-87204569
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year	1070997654	1158202250
Cash & Cash Equivalents at the end of the year	1418688384	1070997654

For D.R. Mohnot & Co.
Chartered Accountants

On behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Vipin Kanoongo)
Partner

Sd/-
(M.K. Jain)
Financial Advisor

Sd/-
(R.K. Singhal)
Co. Secretary

Sd/-
(M.L. Mathur)
Managing Director

Sd/-
(D.C. Katara)
Director

Place : Jaipur

Date : 28 November, 2008

**कम्पनी अधिनियम की धारा 217(3) के अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट
लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में प्रेक्षणों के उत्तर/स्पष्टीकरण निम्न प्रकार हैं :ह**

पैरा संख्या 1 से 5 : कोई टिप्पणी नहीं।

अनुलग्नक I

- (i) (क) कोई टिप्पणी नहीं
(ख) नियमों के अन्तर्गत प्रेक्षणों के विस्तृत मार्गनिर्देशों का पालन किया जा रहा है।
(ग) कोई टिप्पणी नहीं।
- (ii) (क) कोई टिप्पणी नहीं
(ख) नियमों के अन्तर्गत प्रेक्षणों का पालन करने के लिए सभी यूनिटों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। वास्तविक (भौतिक) सत्यापन का कार्य करने, माप, गिनती, तोल एवं वास्तविक मैजरमेंट की जांच करने के लिए अन्य इकाई के किसी सहायक रेजीडेण्ट इन्जिनियर एवं सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार को प्रतिनियुक्त कर विभागीय तौर पर भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। अधिकांश मामलों में जैसे स्टील, सेंड, लोहा इत्यादि का वजन कराना सम्भव नहीं है। इनका वजन कराने की लागत बहुत अधिक हो जाएगी। सम्बन्धित समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए वास्तविक सत्यापन के प्रतिवेदन को यूनिट कार्यालयों में सत्यापन के लिए भेजा जाता है तथा यदि जरूरत हो, आवश्यक कार्यवाही, की जाती है।
(ग) कोई टिप्पणी नहीं
- (iii) (क) कोई टिप्पणी नहीं
(ख) कोई टिप्पणी नहीं
- (iv) अनुपालना के लिए नोट किया
- (v) कोई टिप्पणी नहीं
- (vi) कोई टिप्पणी नहीं
- (vii) आन्तरिक जाँच के कार्य क्षेत्र को विस्तारपूर्वक तैयार किया गया है। चार्टर्ड लेखाकार एवं विभागीय कर्मचारी दोनों आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य कर रहे हैं।
- (viii) कोई टिप्पणी नहीं
- (ix) कोई टिप्पणी नहीं
- (x) कोई टिप्पणी नहीं
- (xi) कोई टिप्पणी नहीं
- (xii) कोई टिप्पणी नहीं
- (xiii) कोई टिप्पणी नहीं
- (xiv) कोई टिप्पणी नहीं
- (xv) कोई टिप्पणी नहीं
- (xvi) कोई टिप्पणी नहीं
- (xvii) कोई टिप्पणी नहीं

ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT UNDER SECTION 217(3) OF THE COMPANIES ACT

Replies/Clarifications to the observations in Auditors Report are as under:-

Para No. 1 to 5 : No Comments

Annexure - I

i)

- (a) No comments.
- (b) Detailed guidelines are being followed the observation under rules.
- (c) No comments.

ii)

- (a) No comments.
- (b) Detailed guidelines have been issued to all the units to follow the observations under rules. The physical verification is being conducted departmentally by deputing an Asstt. Resident Engineer and AAO/ Accountant of the other unit to conduct physical verification work to check measure, count, weightment actual measurements. In most of the cases like steels, sand, grit etc. is not possible to weight. The cost of weightment will be too heavy. Physical verification report submitted by the concerned committee are sent for verifications to the unit offices and necessary action if any is taken.
- (c) No comments.

iii)

- (a) No comments.
- (b) No comments.

iv) Noted for compliance.

v) No comments.

vi) No comments.

vii) The scope of work of internal audit has been prepared in detail. The Chartered Accountants and Departmental Staff Both are carrying out the internal audit work.

viii) No comments.

ix) No comments.

x) No comments.

xi) No comments.

xii) No comments.

xiii) No comments.

xiv) No comments.

xv) No comments.

xvi) No comments.

xvii) No comments.

- (xviii) कोई टिप्पणी नहीं
- (xix) कोई टिप्पणी नहीं
- (xx) कोई टिप्पणी नहीं
- (xxi) कोई टिप्पणी नहीं

अनुलग्नक-II

II. प्रेक्षण जिनका लाभ एवं हानि लेखे एवं तुलन-पत्र पर प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सकता है।

1. वर्तमान में निगम पी.डी. खाते में 8% की दर पर ब्याज अर्जित कर रहा है। जो विभिन्न बोर्डों / निगमों द्वारा राजस्थान सरकार के पास जमा कराई गयी पेंशन निधियों पर स्वीकार्य दर है तथा यह जीवन बीमा निगम की बीमांकिक (एक्च्युएरियल) के अनुसार 2021 तक निगम के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के प्रत्येक माह उसके वेतन एवं महंगाई भत्ते का 12% पी.डी. खाते में जमा कराया जा रहा है। अतः भावी आयोजन के लिए मामले पर विचार किया जा रहा है तथा एक समिति, जिसमें सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य लेखाधिकारी, आरएसआरडीसी लिमिटेड है, दिनांक 27-06-2007 को आयोजित बोर्ड की मीटिंग में निदेशक बोर्ड के निर्देशों के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन कराने तथा पेंशन निधि में कमी होने के कारण की जाँच कराने के लिए गठित की गई है।
2. निगम ने निगम कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की देयता को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी प्राप्त की है। इसे वर्ष 2004-05 में नकद संचय नीति में परिवर्तित कर दिया गया है तथा बढ़ाया गया प्रीमियम वर्ष 2005-06 से भुगतान किया जा रहा है। अतः परवर्ती वर्षों में यह अन्तर धीरे-धीरे कम होता जाएगा।
3. 2429.56 लाख रुपये की जमा निम्नलिखित कार्यों पर निगम द्वारा प्राप्त की गई है :-

	(रुपये लाखों में)
(i) पार्वती पुल, बारां के निर्माण पर	543.00
(ii) चम्बल पुल, पालीघाट, सवाईमाधोपुर	596.56
(iii) काली सिन्ध पुल, कोटा	1290.00
योग	<u>2429.56</u>

वर्ष 1956 में, निगम ने राज्य सरकार के निर्देशों पर इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हुडको से ऋण लिया था। अनुमान है कि निगम पथकर संग्रहण से इन जमाओं की वसूली करने में समर्थ नहीं होगा क्योंकि ये असक्षम परियोजनाएँ हैं, इसलिए, पथकर ऋणियों से इसकी कटौती की गई है।

4. पथकर परियोजनाओं से आय

- (क) सक्षम पथकर परियोजनाओं पर रख रखाव की वास्तविक लागत सम्बन्धित कार्य में नामे लिखी गई है। पथकर संग्रह की 1.5% राशि वसूल करने की प्रक्रिया को तब तक के लिए समाप्त कर दिया गया है जब तक कि सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती।
- (ख) वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर निगम द्वारा अभिनियोजित (डिप्लायड) निधियों पर ब्याज को वसूल करना पथकर संग्रहण से की जा रही ब्याज की पूर्ण वसूली को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया न्यायोचित है। अतः साधारण रिजर्व के अधिक होने का उल्लेख नहीं किया गया है।

- xviii) No comments.
- xix) No comments.
- xx) No comments.
- xxi) No comments.

Annexure - II

I. Observations the effect of which on Profit & Loss Account and Balance Sheet is ascertainable.

1. At present the Corporation is earning Interest @ 8% in the P.D. A/c (Rate admissible on pension funds deposited with the Govt. of Raj. by various Boards/ Corporations) and is sufficient to meet the pension liabilities of Corporation employees upto 2021 (As per LIC actuarial) because 12% of pay plus D.A. of every employees is being deposited in P.D. A/c every month, for future planning matter is being considered and a committee comprising of Secretary to GoR Finance Department, MD & CAO, RSRDC Ltd. to get the actuarial valuation done and examine reasons for the short-fall in the pension fund has been constituted as per directions of Board of Directors in its 27th Board Meeting held on 27.06.2007.

The Borad of Directors in its 32nd Meeting held on 25.09.08 has approved transfer on Rs. 200 lacs to Employees Pension Fund.

2. The Corporation has obtained a group gratuity policy from the L.I.C. to cover the gratuity liability of Corporation employees. It has been converted into cash accumulation policy in the year 2004-05 and increased premium is being paid from the year 2005-06. Hence the gap shall slowly come down in the subsequent years.
3. Rs. 2429.56 lacs is deposit received by the Corporation on following works: -

		(Rs. in lacs)
i)	Const. of Parvati Bridge Baran	- 543.00
ii)	Chambal Bridge, Palighat, Sawaimadhapur	- 596.56
iii)	Kalisindh Bridge, Kota	- 1290.00
Total		<u>2429.56</u>

In the year 1995 the Corporation had taken loan from HUDCO to complete these projects on the directions of the State Govt. It is estimated that Corporation will not be able to recover the deposits from toll collection, as these are unviable projects. Therefore, it has been deducted from the toll debtors.

4. Income from Toll Projects: -
 - (a) The actual cost of maintenance on viable toll projects has been debited to the concerned work. The practice of charging 1.5% of toll collection has been dispensed with till approval from the Govt. is received.
 - (b) Charging of interest on funds deployed by the Corporation on the lines of loan taken from financial institutions is fully justified in view of full recovery of interest being effected from toll collection. Hence there is no overstatement of general reserves.

तथापि, वर्ष 2004-05 से 2006-2007 में निगम द्वारा संस्थागत वित्तपोषित कार्यों पर कोई निधियाँ काम में नहीं ली गयीं तथा एतदनुसार किसी ब्याज का कोई क्लेम नहीं किया गया।

5. एक विशेष अभियान उन कार्यों को वित्तीय रूप से बन्द करने के लिए चलाया गया जो वास्तविक रूप से पूर्ण हो गये थे। वर्ष 2007-08 में 112.54 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को बन्द कर दिया गया। शेष कार्यों को बन्द करने के लिए बड़े प्रयास किये जा रहे हैं।
6. 6.19 लाख रुपये की राशि के अग्रिमों की वसूली/समायोजन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

II. प्रेक्षण जिनके लाभ एवं हानि लेखे एवं तुलन-पत्र पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका

1. निगम वर्ष 2001-02 से पुलिस आधुनिकीकरण एवं जेल कार्यों के लिए गृह विभाग से निधियाँ प्राप्त कर रहा है। निगम को निधियाँ रिलीज की जाने वाली स्वीकृतियों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि निधियों को केवल ब्याज अदेय पी.डी. लेखे में रखा जाना है। स्वीकृति में यह उल्लिखित किया गया है कि राशि पी.डी. लेखे में अन्तरित की गयी है। इसके कारण जमाओं (डिपोजिट्स) को निगम द्वारा ब्याज देय पी.डी. लेखे में अन्तरित कर दिया गया। गृह विभाग द्वारा यह निर्दिष्ट किये जाने पर कि इन निधियों को ब्याज अदेय पी.डी. लेखे में रखा जाना है तो ब्याज देय पी.डी. लेखे में उपलब्ध राशि को दिनांक 31-01-2005 को ब्याज अदेय पी.डी. लेखे में अन्तरित कर दिया गया। उसके बाद प्राप्त की गई समस्त निधियों को ब्याज अदेय पी.डी. लेखे में रखा गया है।

गृह विभाग को देय ब्याज के सम्बन्ध में यह निवेदन किया जाता है कि पी.डी. लेखों में अन्य विभागों की निधियाँ तथा साथ ही निगम की अधिशेष (सरप्लस) निधियाँ भी वित्त विभाग (मार्गोपाय) से दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जमा करायी गई थी तथा इस राशि को पी.डी. लेखे से निगम की प्रतिदिन की कार्यकारी पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आहरित कर लिया गया था। अतः गृह विभाग की जमाओं पर अर्जित ब्याज की गणना करना सम्भव नहीं है।

2. असक्षम परियोजनाओं पर पथकर का संग्रहण ब्याज एवं वित्तीय संस्थाओं को निगम द्वारा की गयी अदायगी तक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपर्याप्त पथकर संग्रहण के कारण सीड मनी पर ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया जा रहा है। जब एवं जैसे ही पथकर सीड मनी पर ब्याज की पूर्ति करने के लिए पूरा हो जाएगा, उसके लिए प्रावधान कर दिया जाएगा। ब्याज का प्रावधान न करने से लाभ के अधिक होने का उल्लेख नहीं हुआ है। जो कार्य सक्षम हैं तथा जिन पर पथकर बन्द कर दिया गया है, सीड मनी पर ब्याज की 445.61 लाख रुपये की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में जमा करायी गयी है।
3. निगम ने सम्बन्धित परियोजना प्रतिवेदन में मार्गनिर्देशों के न होने को ध्यान में रखते हुए अधिक पथकर संग्रहण पर ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया है। इसी प्रकार निगम ने असक्षम परियोजनाओं पर पथकर संग्रहण में कमी आने पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया है। अतः व्यय एवं राजस्व में समता के सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है।
4. पथकर पैकेज को विचार हेतु प्रस्तुत करते समय पथकर परियोजनाओं की अन्तिम लागत के बारे में सरकार को अवगत करा दिया गया है। समस्त पथकर कार्यों के लिए सरकार को प्रतिदाय की गयी/या सरकार से प्राप्य राशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते समय अधिक व्यय को लेखाबद्ध किया गया है।
5. कोई टिप्पणी नहीं।
6. (i) समस्त निविदा कार्यों में किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा अर्थात् ग्राहकों (क्लाइण्ट्स) द्वारा प्रमाणित एवं भुगतान प्रदत्त कार्य तथा अप्रमाणित कार्य को वर्ष की समाप्ति पर लेखाबद्ध किया गया है। इसका सतत रूप से अनुसरण किया जा रहा है।
- (ii) पथकर पैकेज को विचार हेतु प्रस्तुत करते समय पथकर परियोजनाओं की अन्तिम लागत के बारे में

However in the year 2004-05 to 2006-07 no funds were employed by the Corporation on institutionally financed works and accordingly no interest has been claimed

5. A special drive was initiated to financially close the works, which were physically complete. Works amounting to Rs.112.54 crores were financially closed in the year 2007-08 for closing the remaining works vigorous efforts are being made.
6. The efforts have been made for recovery/ adjustment of advance amounting to Rs.6.19 lacs.

II. Observations the effect of which could not be ascertained on Profit & Loss Account and Balance Sheet: -

1. The Corporation is receiving funds from the Home Department for police modernization & Jail works since the year 2001-02. Nowhere in the sanctions for releasing funds to the Corporation is stated that funds are to be kept in the non- interest bearing P.D. A/c only. It is mentioned in the sanction that amount is transferred to P.D. A/c, consequently deposit were transferred to interest bearing P.D. A/c by the Corporation. On pointing out by the Home Department that funds are to be kept in non interest bearing P.D. A/c, the amount available in interest bearing P.D. A/c was transferred to non- interest bearing A/c on 31.01.2005. Thereafter all the funds received have been kept in non- interest bearing P.D. A/c.

As regards interest due to Home Deptt. it is submitted that in P.D. A/c funds of other Departments as well as surplus funds of the Corporation were also deposited in view of the direction from the Finance Department (Ways & means) and amount was drawn from P.D. A/c looking to the day to day working capital requirement of the Corporation, therefore it is not possible to calculate the interest earned on Home Department deposits.

2. The toll collection on unviable projects is not sufficient to cover even the interest & repayment made by the Corporation to financial institutions. Due to inadequate toll collection the interest on seed money is not being provided. As and when toll will be sufficient to cover the interest on seed money the same shall be provided for. Non-providing of interest does not result in overstatement of profit. The works, which are viable and toll has been closed, interest on seed money amounting to Rs. 445.61 lacs has been credited to PWD.
3. The Corporation has not made any provision of payment of interest on excess toll collection in view of absence of guidelines in the respective project report. Similarly Corporation has not charged any interest on short- fall in toll collection on unviable projects. Hence matching concept of expenditure & revenue has been followed.
4. The Government has been apprised about final cost of the toll projects while submitting toll package for consideration. The excess expenditure has been accounted for while submitting the details of amount refunded/ receivable from the Govt. on account of all the toll works.
5. No Comments.
6.
 - i) In all the tender works actual quantum of work done i.e. work certified & paid by the clients and uncertified work at the year end has been accounted for. It is being consistently followed.
 - ii) The Government has been apprised about final cost of the toll projects while

सरकार को अवगत करा दिया गया है। समस्त पथकर कार्यों के लिए सरकार को प्रतिदाय की गयी/या उससे प्राप्य राशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते समय अधिक व्यय को लेखाबद्ध किया गया है।

- (iii) सभी निविदा कार्यों में किये गये कार्य की वास्तविक मात्रा अर्थात् ग्राहकों (क्लाइण्ट्स) द्वारा प्रमाणित एवं भुगतान प्रदत्त कार्य तथा अप्रमाणित कार्य को वर्ष की समाप्ति पर लेखाबद्ध किया गया है। इसका सतत रूप से अनुसरण किया जा रहा है।
 - (iv) रखरखाव पर किया गया वास्तविक व्यय, जब भी सम्बन्धित वर्ष में यह संदेय हो, सम्बन्धित कार्यों में प्रभारित किया जा रहा है। पथकर परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी इसका अनुसरण किया जा रहा है।
 - (v) सभी निविदा कार्यों में किये गये कार्य की वास्तविक मात्रा अर्थात् ग्राहक (क्लाइण्ट्स) द्वारा प्रमाणित एवं भुगतान प्रदत्त कार्य तथा अप्रमाणित कार्य को वर्ष की समाप्ति पर लेखाबद्ध किया गया है। इसका सतत रूप से अनुसरण किया जा रहा है।
7. (i) पिछली प्रक्रिया के अनुसार ह्रास को कर-आयोजना के भाग रूप में प्रभारित किया गया है।
(ii) सरकार ने बी.ओ.टी. आधार पर 31.03.2003 तक आवंटित कार्यों के लिए आदेश में रियायत अवधि विहित नहीं की है। अतः बी.ओ.टी. परियोजनाओं की अपाकरण (एमोर्टाईजेशन) लागत को राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है।
 8. मामला हुडको के साथ निपटारे के अधीन है।
 9. सभी ग्राहकों को बकाया अतिशेषों की पुष्टि करने हेतु पत्र लिखे गये हैं।
 10. जीवन बीमा निगम से अवकाश के नकद भुगतान का बीमांकिक मूल्यांकन लम्बित होने के दौरान लेखों में और कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
 11. मामलों को वापस भेजने पर 860.53 लाख रुपये की कुल मांग को घटाकर 253.00 लाख रुपये कर दिया गया है। अंशदायी भविष्य निधि आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील कर्मचारी भविष्य निधि न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित है। मामला 11.12.2008 को अगली सुनवाई के लिए सूची में दर्ज किया गया है।
 12. परिनिर्धारित नुकसानी के लिए ग्राहकों द्वारा काटी गयी राशि को सम्बन्धित कार्यों में नामे लिखा गया है। जब एवं जैसे ग्राहकों द्वारा परिनिर्धारित नुकसानी (एल.डी.) राशि का प्रतिदाय किया जाएगा, इसे वापस कार्य (वर्क) में जमा कर दिया जाएगा।
 13. सभी ग्राहकों से, जिन्होंने सैण्टेज की स्वीकार्यता पर विवाद किया है, दिनांक 02-08-2003 के सरकार के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए हमारे देय (ड्यूज) भुगतानों को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।
 14. इसे पहिले ही अनुसूची ÷ट'(घ) में प्रदर्शित कर दिया गया है।
 15. 697.75 लाख रुपये की राशि को आर्बिट्रेशन एवार्ड्स के कारण लेखों पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। आर्बिट्रेशन के अतिरिक्त अन्य मामलों में मुकदमों के लम्बित होने के कारण देयता को सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है।
 16. वर्ष 2004-05 में, निगम ने वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान क्रय किये गये सीमेंट से सम्बन्धित अन्तरीय (डिफरेंसियल) विक्रय कर की देयता के लिए 180.69 लाख रुपये जमा कराये हैं। इसे सम्बन्धित उन कार्यों के लेखों में नामे लिखा गया है जिनमें उस सीमेंट का पूर्व वर्षों में उपयोग किया गया है।
 17. जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम से स्वत्व विलेख (टाइटिल डीड) की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।
 18. सम्बन्धित इकाइयों (यूनिट्स) को पुराने बैंक अतिशेषों का पुष्टिकरण करा कर प्राप्त करने के लिए निर्देश दिये हैं।

submitting toll package for consideration. The excess expenditure has been accounted for while submitting the details of amount refunded/ receivable from the Govt. on account of all the toll works.

- iii) In all the tender works actual quantum of work done i.e. work certified & paid by the clients and uncertified work at the year end has been accounted for. It is being consistently followed.
- iv) The Actual expenditure incurred on maintenance is being charged to concerned work as and when payable in the respective year. This is being followed in respect of toll projects also.
- v) In all the tender works actual quantum of work done i.e. work certified & paid by the clients and uncertified work at the year end has been accounted for. It is being consistently followed.

7.

- i) As per past practice depreciation has been charged as a part of tax planning.
- ii) Government has not prescribed concession period in the order for the works allotted upto 31.03.03 on BOT basis. Therefore, amortisation cost of BOT projects have been taken on the basis of project report submitted to the Government of Rajasthan.

8. Matter is under settlement with HUDCO.

9. Letters have been written to all the clients to confirm the outstanding balance.

10. Pending actuarial leave encashment valuation from LIC no further provision has been made in the accounts.

11. Total demand of Rs. 860.53 lacs has been reduced to Rs. 253.00 lacs on remand back of the case. Appeal against order of CPF Commissioner is pending before EPF Tribunal. The case is listed for next hearing in 11.12.2008.

12. Amount deducted by clients on account of liquidated damages has been debited for concerned works. As and when L.D. amount is refunded by client, it is credited back to the work.

13. All the clients who have disputed the admissibility of the centage charges have been requested for release of our due payments in view of Governments clarification dated 02.08.03.

14. It is already exhibited in schedule 'K' which is a part of accounts.

15. An amount of Rs. 697.75 lacs has already been shown as contingent liability in notes of accounts on account of arbitration awards. In cases other than arbitration it is not possible to ascertain the liability on account of pending litigation.

16. During the year 2004-05 the Corporation has credited Rs. 180.69 lacs towards liability of differential sales tax pertaining to Cement purchased during the year 1997-98 to 2001-02 the same has been debited to the accounts of concerned works in which such cement was used in earlier years.

17. Efforts are being made to obtain duplicate copy of Tilde Deed from JDA / Nagar Nigam.

18. Concerned units have been directed to obtain confirmation of old Bank Balances. Compliance shall be reported to the Borad very shortly.



19. सम्बन्धित इकाइयों को बकाया देयताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बहुत शीघ्र बोर्ड को अनुपालना किये जाने से सूचित कर दिया जाएगा।
20. कोई टिप्पणी नहीं।

ह/-
प्रबन्ध निदेशक

ह/-
निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28-11-08

- 19. Conserved units have been directed to furnished the details of outstanding liabilities. Compliance shall be reported to the Board very shortly.
- 20. No comments.

By order of the board

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Director

Place: Jaipur

Date: 28-11-08



सत्यमेव जयते

संख्या/No सीएडब्ल्यू-1/वा.ले./आरएसआरडीसी/2007-08/के-241/प्रे-1752

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (COMMERCIAL & RECEIPT AUDIT), RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक/Date 16.01.2009

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.
झालाना डूंगरी, जयपुर आगरा बाई पास रोड
जयपुर।

विषय : राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि., जयपुर के 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 619(5) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के अधीन षून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वार्षिक लेखे एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

व. उपमहालेखाकार (वाणिज्यिक)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



सत्यमेव जयते

संख्या/No सीएडब्ल्यू-1/वा.ले./आरएसआरडीसी/2007-08/के-241/प्रे-1752

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (COMMERCIAL & RECEIPT AUDIT), RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक/Date 16.01.2009

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.
झालाना डूंगरी, जयपुर आगरा बाई पास रोड
जयपुर।

विषय : राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि., जयपुर के 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 619(5) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के अधीन षून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वार्षिक लेखे एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

व. उपमहालेखाकार (वाणिज्यिक)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के अनुसार 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धकों की जिम्मेदारी है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये कानूनी लेखा परीक्षक भारत के इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के उनके प्रोफेशनल निकाय द्वारा विहित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतन्त्र लेखा परीक्षा पर आधारित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, दिनांक 28-11-2008 के अनुसार, उनके द्वारा तैयार किया हुआ बतलाया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन पूरक लेखा परीक्षा कराई है। यह पूरक लेखा परीक्षा कानूनी लेखा परीक्षकों के वर्किंग पेपर्स को देखे बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से कानूनी लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी कर्मियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं आयी है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन कानूनी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर या उनके पूरक पर टिप्पणी का अवसर प्रदान करती हो।

कृते एवं ओर से भारत के नियन्त्रक एवं लेखा परीक्षक

स्थान : जयपुर

ह/-

दिनांक : 16-01-2009

(मीनाक्षी मिश्रा)

महालेखाकार (सी एण्ड आर ऑडिट)
राजस्थान, जयपुर

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2008.

The preparation of financial statements of Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Limited for the year ended 31 March 2008 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28.11.2008.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Limited Jaipur for the year ended 31 March 2008. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comments upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Sd/-

(Meenakshi Mishra)

Accountant General (C. & R. Audit)
Rajasthan, Jaipur

Place : Jaipur
Date : 16.01.2009